लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 4, बुधवार, 25 फरवरी, 1970/6 फाल्गुन, 1891 (शक)
No. 4, Wednesday, February 25, 1970/Phalguna 6, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference ..	1—3

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
61. उत्तरी वियतनाम के एक प्रकाशन में भारत पर कथित अपलेखात्मक आक्षेप	Reported Libellous attack on India in a North Vietnam Publication ..	4—9
63. 'अपोलो' अभियानों में भारतीय उपकरणों को ले जाने के बारे में अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष अभिकरण से प्रार्थना	Request to National Aeronautics and Space Agency of USA for carrying India made equipment in Apollo Missions ..	9—10
64. गणतंत्र दिवस 1970 की सलामी उड़ान के पूर्वाभ्यास में विमान दुर्घटना	Aircrash during Republic Day Flypast Rehersal (1970) ..	10—13
65. कीनिया में भारतीय व्यापार की समाप्ति	Closure of Indian Business in Kenya ..	13—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
62. 'मिग' विमानों के खरीदने के लिये रूस के साथ करार	Agreement with USSR for Purchase of MIGS ..	18
66. रूपड़, हरिके और फिरोजपुर बांधों का भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरण	Taking over Rupor, Harike and Ferozepur Dams by Bhakra Control Board ..	18—19
67. भारत नेपाल वार्ता	Indo Nepal Talks ..	19

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
68. चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना	Finalisation of Fourth Five Year Plan ..	20
69. राज्य व्यापार निगम की समीक्षा समिति की सिफारिशें	Recommendations of Review Committee of State Trading Corporation ..	20—21
70. अन्य देशों के उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन	Study of the production and marketing Techniques of other Countries ..	21
71. रामगंगा पर कालागढ़ बाँध परियोजना	Kalagarh Dam Project on Ramganga ..	22
72. रूस को रेल के माल डिब्बे बेचने का करार	Wagon Deal with USSR ..	23
73. परमाणु बम का बनाया जाना	Manufacture of an Atom Bomb ..	23
74. पाकिस्तान को रूस द्वारा शस्त्रों का सम्भरण	Supply of Arms by USSR to Pakistan ..	23—24
75. आणविक शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने सम्बन्धी संधि	Nuclear non Proliferation Treaty	24
76. रूस द्वारा भारी मशीनों की खरीद	Purchase of Heavy Machines by USSR ..	25
77. देश के अन्दर खपत पर नियंत्रण करके निर्यात के लिये अधिक भण्डार तैयार करने का विरोध	Opposition for Creation of Surplus for Export through restraints on domestic consumption ..	25
78. विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in various States ..	25—26
79. अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के लिये पृथक-पृथक नौसैनिक बेड़े	Separate Fleets for Arabian Sea and Bay of Bengal ..	26—27
80. एक ठेकेदार द्वारा जवानों को अपमिश्रित दूध की सप्लाई	Adulterated Milk supplied to Jawans by a contractor	27
81. बिजली की अन्तर्राज्य सप्लाई तथा बिक्री के लिये टैरिफ	Tariff for Inter State Supply and sale of power ..	28—29
82. दिल्ली में बिजली की कमी	Power shortage in Delhi ..	29—30
83. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के विदेश मंत्री को निमंत्रण	Invitation to Foreign Minister of Provisional Revolutionary Government of South Vietnam ..	30
84. रुई का आयात करने के लिये एक एजेंसी की स्थापना	Setting up of an Agency to under take import of Cotton ..	30

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
85. एक्सपो 70 के लिये विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	Deputation of Departmental Officers to Expo 70 ..	31
86. चीन से लौट रहे नागाओं का पकड़ा जाना	Nagas captured on return from China ..	31
87. हिन्द महासागर में विदेशी नौसेना की उपस्थिति	Presence of Foreign Navy in Indian Ocean ..	32
88. विजयंता टैंक के लिये फालतू पुर्जों का आयात	Import of Spare Parts for Vijayanta Tank	32
89. परमाणु हथियारों की निर्माण लागत के बारे में जांच	Inquiry into cost structure of Nuclear Weapons ..	32—33
90. लोकतक परियोजना	Loktak Project ..	33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
401. कुल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय	Gross National Product and per captia Income ..	33—35
402. मध्य प्रदेश के लिये सिंचाई परियोजना	Irrigation Projects for Madhya Pradesh ..	35—36
403. निर्यात और आयात का मूल्य	Value of Exports and Imports ..	36
405. मैसर्स डायमन्ड ड्रम एण्ड बकट फैक्ट्री बम्बई के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Messrs Diamond Drum and Bucket Factory, Bombay ..	36—37
407. श्रीलंका में भारतीय लोग	Indians in Ceylon ..	37
408. प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा प्रकाशित विज्ञान की पत्रिकाएं	Scientific Journals Brought out by Defence Research and Development Organisation ..	37—38
409. सैनिक विनियम तथा प्रपत्र निदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन	Publications brought out by Directorate of Military Regulations and Forms ..	38—39
410. बिहार सरकार द्वारा छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था	Irrigation Facilities in Chota Nagpur and Santhal Pargana by Bihar Government ..	39
411. राज्यों के योजना परिव्यय में कथित असमानता	Alleged Disparities in States Plan Outlays ..	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
413. कानपुर की आर्थिक संकटग्रस्त मिलों को अधिकार में लेना	Taking over of sick Mills of Kanpur	40—41
414. विदेशी बागान का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Plantations	41
415. भारत अर्थ मूवर्ज द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors by Bharat Earth Movers ..	41—42
416. सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलें	Textile Mills taken over by Government ..	42
417. अधिकार में ली गई कपड़ा मिलों का पुनः चालू करना	Reopening of taken over Textile Mills	42
418. तुरन्त तैयार होने वाली चाय उद्योग की स्थापना	Establishment of Instant Tea Industry ..	43
419. मानव केशों से ऊन का उत्पादन	Production of Wool From Human Hair	43—44
420. मनीपुर के हथकरघा उद्योग में सुधार	Improvement in Handloom industry of Manipur ..	44—45
421. नई दिल्ली में मनीपुर हैंडलूम एम्पोरियम	Opening of Manipur Handloom Emporium at New Delhi ..	45
422. तमिल नाडु के वस्त्र उद्योग में संकट	Crisis in Textile Industry in Tamil Nadu ..	45—46
423. कच्चे माल के भंडार की स्थापना	Setting up of a Raw Material's Bank	46
424. चावल का तस्कर व्यापार	Smuggling of Rice	46
425. ऊन साफ करने वाले अनधिकृत कारखाने	Unauthorised Combing Units ..	47—48
426. उत्तर वियतनाम द्वारा विद्रोही नागाओं को कथित प्रशिक्षण	Alleged Training of Hostile Nagas by North Vietnam ..	48
427. दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा	Provisional Revolutionary Government of South Vietnam's Delegation's visit to India ..	49—49
428. वियतनाम में लापता अमरीकी सैनिकों की पत्नियों की भारत यात्रा	Visit to India by Wives of American Servicemen missing in Vietnam	49
429. प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध	Ban on Display of pictures of Netaji Subhas Chandra Bose in Defence Establishments ..	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
430. नेपाल से भारतीय वायरलैस आपरेटरों का वापिस भेजा जाना	Withdrawal of Indian Wireless Operators from Nepal ..	50—51
431. भारत और अफ्रीकी देशों के आपसी सम्बन्धों का मजबूत बनाया जाना	Strengthening of Indo-African Ties	51
432. वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की सहायता के लिये विशेषज्ञों की तालिकायें	Expert panels to Assist Foreign Ministry ..	51—52
433. फरक्का परियोजना से मशीनों तथा उपकरणों की चोरी	Machinery and parts of equipment Stolen from Farakka Project ..	52
434. आयुध उत्पादन बोर्ड	Ordnance Production Board	52
435. लन्दन में सन हाउस पर व्यय	Expenditure on Sun House in London ..	53
436. वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Trade ..	53—54
437. नेफा के लिये बिजलीघर	Power Plant for NEFA	54
438. भारत के कुछ भागों पर अपलेखात्मक आक्षेप	Libellous assertions about certain parts of India ..	54—55
439. भारत और रूस के प्रधान मंत्रियों और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच पत्र-व्यवहार	Exchange of letters among Prime Ministers of India, USSR and Pakistan President ..	55
440. औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के चयन के लिये कसौटी	Criteria for Selection of Industrially backward Districts	56
441. एशियायी साझा बाजार	Asian Common Market ..	56
442. पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर से अमरीका द्वारा प्रतिबन्ध का हटाया जाना	Lifting of US Embargo on Arms Supply to Pakistan ..	57
443. विदेशी नीति में परिवर्तन	Shift in Foreign Policy	57—58
444. फरक्का बांध परियोजना में श्रम समस्या	Labour Problem in Farakka Barrage Project	58
445. संयुक्त राष्ट्र विश्व युवक सम्मेलन	UN World Youth Assembly ..	59
446. जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को राजनयिक मान्यता	Diplomatic Recognition to German Democartic Republic ..	59

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
447. चाय उद्योग के सम्बन्ध में बरुआ समिति की सिफारिशें	Recommendations of Barooah Committee on Tea Industry ..	59—60
448. डा० टी० मेसकरन्हस की पुर्तगाली जेल से रिहाई	Release of Dr. T. Mascarenhas from the Portuguese Jail ..	60
449. उत्तर भारत में अणु शक्ति केन्द्र	Atomic Power Station in Northern India ..	60
450. 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारी	Officers Retiring after Completing Age of Fifty Years ..	61
451. प्रधान मंत्री की पत्रकारों के साथ बैठक	Prime Minister's Meeting with Journalists ..	61
452. ताशकन्द करार के बाद पाकिस्तान द्वारा भूमि, वायु तथा क्षेत्रीय जल सीमा का उल्लंघन	Land, Air and Territorial Waters Violations by Pakistan after Tashkent Agreement ..	62
453. ताशकन्द करार का उल्लंघन	Number of Violations of Tashkent Agreement ..	62
454. पाकिस्तान के साथ मित्रता के सम्बन्ध बनाने के लिए भारत द्वारा खर्च किया गया धन	Amount spent by India for securing friendship of Pakistan ..	62—63
455. चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित विद्रोही नागा	Naga Rebels trained by China and Pakistan ..	63
456. परमाणु अस्त्रों का निर्माण	Production of Nuclear Weapons ..	63—64
458. नेपाल के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade relations with Nepal ..	64
459. थुम्बा अड्डा	Thumba Rocket Base	64—65
460. दार-एस-सलाम में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन	Non alligned meet at Dar-es-salamm	65
461. भारत के विदेश व्यापार में कमी	Decrease in India's Foreign Trade ..	65—66
462. युगोस्लाविया के साथ व्यापार करार	Traffic Agreement with Yugoslavia ..	66
463. 7 ओ क्लाक ब्लेड का आयात	Import of 7 O'Clock Blades ..	66
464. गंगा कावेरी सम्पर्क परियोजना का सर्वेक्षण	Survey of Ganga-Cauvery Link Project ..	67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
465. हनोई में इण्डियन मिशन का दर्जा बढ़ाया जाना	Raising status of Indian Mission in Hanoi	67
466. नागालैण्ड में युद्धविराम	Cease Fire in Nagaland	67—68
467. हथकरघा वस्तुओं का निर्यात	Export of Handloom Products ..	68
468. पाकिस्तान को स्थल मार्ग से रूसी मशीनें तथा भारी उपकरण ले जाना	Carrying of Soviet Machinery and Heavy Equipment to Pakistan over Land Route	68
469. नेपाल में भारतीय फोटोग्राफरों की पिटाई	Indian Photographers beaten up in Nepal	68—69
470. भारत को पाकिस्तान के समकक्ष रखने का रूसी प्रयास	Russian bid to Equate India with Pakistan ..	69—70
471. कावेरी बेसिन के जल का प्रयोग	Use of Cauvery Basin Water ..	70—71
472. पोलैण्ड के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Poland ..	71
473. उगांडा से भारतीयों की निकासी	Exodus of Indians from Uganda	71—72
474. जनरल नेविन के साथ वार्ता	Talks with General Ne Win	72—73
475. डा० धर्मतेजा तथा श्रीमती तेजा का प्रत्यर्पण	Extradition of Dr. Dharma Teja and Smt. Teja ..	73
476. तारापुर अणु बिजली घर का कार्यकरण	Functioning of Tarapur Atomic Energy Station ..	73
478. नागा युवक नेता द्वारा प्रति-रक्षा मंत्री को माओ का बिल्ला भेंट किया जाना	Mao Badge presented to Minister of Defence by Naga Youth Leader	74
479. भण्डरदारा बांध का निरीक्षण	Inspection of Bhandardara Dam	74—75
480. प्रधान मंत्री सचिवालय के प्रेस तथा सूचना कार्यालय में सुधार	Improvement in Press and Information Wing of Prime Ministers Secretariat ..	75
481. राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध आरोप	Allegations against Management of STC ..	75—76
482. भारत और बर्मा के बीच सीमा निर्धारण	Demarcation of Indo Burma Boundary ..	76

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

483. मनीपुर में बिजली सप्लाई में सुधार	Improvement of Power Supply in Manipur	76—77
484. प्रधान मंत्री का भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा मद्रास का दौरा	Prime Ministers visit to Madras in an IAF Plane	77
485. दार-एस-सलाम में तटस्थ राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रवेश	Pakistan Entry into Non-Aligned Summit at Dar-es-Salam ..	78
486. निर्यात में कमी	Fall in Exports	78
487. पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा रूस के अपने दौरे के समय कश्मीर के विषय पर रूसी नेताओं के साथ बातचीत	Pak. President to discuss Kashmir with Soviet Leaders during his Tour to USSR ..	79
488. सिंचाई सुविधा रहित कृषि क्षेत्रों का विकास	Development of unirrigated Agricultural Areas ..	79—80
489. विदेश व्यापार के लक्ष्य	Targets of Foreign Trade ..	80
490. चीन अमरीका वार्ता	China USA Talks	80
492. पूर्वी उत्तर प्रदेश में बांधों के नवीकरण के लिये निधियों की मांग	Demand for Funds for Remodelling of Dams in Eastern Uttar Pradesh	80—81
493. पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Prime Minister's Statement re. Backwardness of Eastern U. P. ..	81
494. भारतीयों को बर्मा की नागरिकता	Burmese Citizenship for Indians ..	81
496. पेडोंग में भू-स्खलन से सीमा सड़क संगठन के मजदूरों की मृत्यु	Death of Workers of Border Roads Organisation due to Land Slide at Pedong ..	82
497. विदेशों में प्रदर्शन कक्ष (शो रूम) स्थापित करना	Setting up of Show Rooms in Foreign Countries ..	82—83
498. उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन	Means of Irrigation in Uttar Pradesh ..	83—84
499. डालामऊ (उत्तर प्रदेश) में गंगा नदी पर उठाऊ सिंचाई योजना	Lift Irrigation Scheme on Ganga River in Dalmau (U.P.) ..	84

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

500. उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Power Supply to Uttar Pradesh ..	84
501. उत्तर वियतनाम द्वारा पाकिस्तानी कर्मचारियों का सैनिक प्रशिक्षण	Military Training by North Vietnam to Pak. Personnel	85
502. कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को समाप्त करना	Winding up of international Control Commission in Cambodia ..	85
503. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा तूफान की चेतावनी देने वाले राडारों का निर्माण	Manufacture of Cyclone Warning Radars by Bharat Electronics Ltd. ..	85—86
504. पलकों की कृत्रिम बालों का निर्माण	Manufacture of Artificial Eyelashes ..	86—87
505. अखिल भारतीय आयातकालीन कमीशन प्राप्त विमुक्त अधिकारी संघ	All India Released Emergency Commissioned Officers' Association ..	87
506. प्रतिरक्षा सेनाओं में सिविल कर्मचारी	Civilian in Defence Force ..	87
507. मार्च, 1968 से पूर्व सेवानिवृत हुए अधिकारियों के लिये पेंशन की बढ़ी हुई दर	Enhanced rate of Pension for Officers retiring before March, 1968 ..	87—88
508. ब्यास बांध के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Outees of Beas Dam ..	88
509. नेपाल के रास्ते तीसरे देश के उत्पादकों का भारत में आयात	Import into India of third country products through Nepal ..	89—90
510. 19 दिसम्बर, 1968 की हड़ताल के बारे में असैनिक प्रतिरक्षा के विरुद्ध आरोप	Civilian Defence employees facing charges in connection with 19th September, 1968 strike ..	90
511. नायलान के धागे के मूल्यों में वृद्धि	Rise in the Prices of Nylon Yarn	90—91
513. वैदेशिक व्यापार मंत्री के दौरे	Foreign tours of Foreign Trade Minister ..	91—92
514. मलयेशिया में रहने वाले भारतीय के लिये कार्य करने के परमिट	Work Permits for Indians in Malaysia	92—93

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
515. फरक्का परियोजना कर्मचारियों के बारे में श्री के० जी० बोस का वक्तव्य	Statement of Shri K. G. Bose Regarding Farakka Project employees ..	93
516. मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग	Use of Imported Cars by Ministers ..	94
517. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Commissioned Officers through Union Public Service Commission ..	94
518. रूसी सैनिक उपकरणों के लिये भुगतान का आधार	Basis of Payment for Russian Military Equipments	95
519. मंत्रियों द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर	Reply to letters of M.Ps. to Ministers	95—96
520. विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम करना	Reduction of Staff in Indian Mission Abroad ..	96—97
521. उत्तर प्रदेश के लिए विकास योजनाएं	Development Schemes for U. P. ..	97
522. बिजली तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता	Assistance provided by Centre to Uttar Pradesh and Tamil Nadu for Power and Irrigation Purposes ..	97—98
523. अभ्रक का निर्यात	Export of Mica	99
524. लद्दाख में बिजली की लागत	Cost of Electricity in Ladakh ..	99—100
525. ट्राम्बे में जीरो एनर्जी फास्ट रिएक्टर स्टेशन का निर्माण	Construction of Zero Energy Fast Reactor Station, Trombay ..	100
526. कलपकम में रियेक्टर अनुसंधान केन्द्र का निर्माण	Construction of Reactor Research Centre, Kalpakam ..	100
527. आठवीं गार्ड भारतीय सेना	8th Guards Indian Army ..	100—101
528. तारापुर परमाणु संयंत्रों के स्विचयार्ड में दोषों का पाया जाना	Defects noticed in Tarapore Atomic Plant Switch Yard ..	101
529. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के परीक्षण विमान चालक की मृत्यु	Death of Test Pilot of Hindustan Aeronautics in an Aircrash ..	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
530.	पाकिस्तान द्वारा पश्चिम जर्मनी के सहयोग से टैंक भेदी कोबरा प्रक्षेपणास्त्र बनाया जाना	Production of anti tank cobra Missiles by Pakistan in collaboration with West Germany ..	102
531.	200 मेगावाट शक्ति के विद्युत केन्द्र	Setting up of 200 MW Power Stations ..	102—103
532.	उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रधान मंत्री द्वारा खण्डन	Denial by Prime Minister of charges by Ex-Chief Ministers of U. P. ..	103
533.	आयुध/वस्त्र कारखानों में काम की कमी	Shortage of Work in Ordnance/clothing Factories ..	103—104
534.	कानपुर में मिश्रित धातु इस्पात कारखाना	Alloy Steel Plant at Kanpur ..	104
535.	यूरोपीय देशों में भारतीय इंजीनियरी सामान की मांग	Demand of Indian Engineering Goods in European Countries ..	104—105
536.	सिन्धु जल सन्धि	Indus Water Treaty ..	105—106
537.	हथियारों और गोला बारूद की अन्य देशों को बिक्री	Sale of Weapons and Ammunition to other Countries ..	106
538.	रंगून में राज्य व्यापार निगम का शाखा कार्यालय का खोला जाना	Opening of Office of STC in Rangoon ..	106—107
539.	राज्य व्यापार निगम के पास म्यूरेटिक आफ पोटास तथा यूरिया का भंडार	Stockpile of Muriate of Potash and Urea with STC ..	107
540.	गंगा बांध परियोजना के कर्मचारियों में अराजकता तथा अनुशासनहीनता	Lawlessness and indiscipline amongst workers of Ganga Barrage Project ..	107—108
541.	सीमा चौकियों पर आदमी तैनात करने के बारे में भारत नेपाल करार	Indo-Nepal Agreement on Manning Border Posts ..	108
542.	भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक बोर्ड	Indian Soldiers and Airmen's Board ..	108
543.	हिन्दी क्रियान्वयन समिति	Hindi Implementation Committee ..	109
544.	आय का वितरण तथा रहन सहन का स्तर सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन	Reports of Committee on distribution of Income and levels of living ..	109

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
545. पाकिस्तान के साथ व्यापार	Trade with Pakistan	.. 109—110
546. फरक्का तथा पूर्वी नदियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ बातचीत	Talks with Pakistan on Farakka and Eastern rivers	.. 110
548. मध्य प्रदेश सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन	Funds for Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	.. 110—111
549. मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Madhya Pradesh	111
550. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये धनराशि	Funds for Rural Electrification Scheme	.. 111—112
551. प्राकृतिक रबड़ के मूल्य	Price of Natural Rubber	.. 112
552. 18 पंजाब रेजिमेंट द्वारा कुलियों को देने के लिये लिया गया धन	Money Drawn by 18 Panjab Regiment for Payment to Porters	.. 112—113
553. 18 पंजाब रेजिमेंट की बटालियन निधि को इकट्ठा करना	Raising of Battalion Fund of 18 Panjab Regiment	.. 113
554. दूसरे ग्रेड के पर्यवेक्षकों के रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती	Recruitment of SC and ST Candidates as Supervisors Grade II	.. 113—114
555. हस्तशिल्प की बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Handicrafts	.. 114—115
556. पूर्वी पाकिस्तान में चीनी सैनिक विशेषज्ञों द्वारा चलाया जा रहा प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre being run by Chinese Military Experts in East Pakistan	116
557. मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन का नियतन	Allotment of funds for Irrigation Projects in Madhya Pradesh	.. 116—117
558. असम में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के आदान-प्रदान के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन संबंधी योजनायें	Scheme re. Inland Water Transport for Movement of Defence requirements in Assam	.. 117
559. सूती कपड़े के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Cotton Textiles	.. 117—118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
560. अलाभप्रद कपड़ा मिलों का लाभप्रद कपड़ा मिलों में विलय करने के बारे में अधिकारी दल का प्रतिवेदन	Report of Official Group on Merger of Weaker Textile Mills with stronger Mills	118
561. उपान्त (मार्जिनल) तथा अलाभप्रद कपड़ा मिलों के तकनीकी तथा वित्तीय कार्य संचालन के बारे में सर्वेक्षण	Schemes Re : Inland Water Transport working of Marginal and weak Textile Mills ..	118—119
562. चौथी योजना का पहला वर्ष	First Year of Fourth Plan ..	119
563. चाय के उत्पादन में कमी	Decline in production of Tea ..	119—120
564. रुई का आयात	Import of Cotton ..	120—121
565. पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी	Pak. War postures against India on Eastern Wing ..	121
566. पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के आक्रमण पर ब्रिटेन की कथित सांठगांठ	Alleged British Connivance at invasion of Kashmir by Pakistan ..	121
567. पूर्व अफ्रीकी भारतीयों पर इंगलैंड में प्रविष्ट होने पर प्रतिबन्ध	Curbs on East Africa Indians to enter England ..	122
568. बिना तराशे गये हीरों का आयात	Import of rough diamonds ..	122
569. ब्रिटेन भारत वार्ता	Indo British Talks ..	122—123
570. तेलंगाना और रायलसीमा के विकास के लिए विशेष सहायता	Special assistance for development of Telengana and Rayalseema ..	123
571. रामगंगा और गंडक नहर परियोजना के लिये वित्तीत सहायता	Financial assistance for Ramganga and Gandak Canal projects ..	123—124
572. सैनिक अधिकारियों तथा जवानों की प्रशिक्षण पद्धति में नये विचार का समावेश	Introduction of new ideas in Training system for officers and jawans	124
573. गुलाब की लकड़ी तथा फिगर्ड लारेल लकड़ी के निर्यात पर रोक	Ban on export of rosewood and figured laurel wood ..	124—125
574. पारे के आयात में देरी	Delay in import of Mercury ..	125

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
575. उपकेशों (विग) का व्यापार तथा निर्यात	Wig trade and its export	.. 125—126
576. रुई के मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices of Cotton	.. 126
577. निर्यात व्यापार का तालमेल	Co-ordination of Export Trade	.. 126—127
578. नारियल जटा बोर्ड में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व	Representation of cooperative Societies on Coir Board	.. 127
579. नारियल जटा तथा उससे बने माल के निर्यात में कमी	Decline in exports of Coir and Coir Goods	.. 127—128
580. चुम्बी घाटी में चीनियों के अड्डे का विस्तार	Extension of Chinese base in Chumbi Valley	.. 128
581. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात	Import through STC	.. 129
582. अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार	Bilateral Trade arrangements with African countries	.. 129
583. जापानी वैदेशिक व्यापार संगठन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी	Exhibition organised by Japan External Trade Organisation	.. 129—130
584. पश्चिमी कोसी नहर योजना का निर्माण	Construction of Western Kosi Canals Scheme	.. 130
585. कमला तटबन्ध का जयनगर (बिहार) से आगे विस्तार	Extension of Kamala Embankments beyond Jai Nagar (Bihar)	.. 130—131
586. वियतनाम लोकतंत्री गणतंत्र में भारतीय मिशन का दर्जा बढ़ाना	Elevating Indian Mission in Democratic Republic of Vietnam	.. 131
588. सीमा सड़क विकास बोर्ड	Border Roads Development Board	.. 131
589. वाणिज्य तथा उद्योग के संयुक्त मंडल के स्वर्ण जयन्ती सम्मेलन में श्री टाटा का भाषण	Address by Shri Tata at Golden Jublee Conference of Associated Chambers of Commerce and Industry	.. 132
590. वैदेशिक व्यापार मंत्री की विदेश यात्रायें	Foreign Tours of the Minister of Foreign Trade	.. 132
591. ब्रह्मसमाज के तीर्थ यात्रियों को पूर्वी पाकिस्तान में बागुरा जिले में जाने की अनुमति देने से पाकिस्तान का इन्कार	Pakistan Refusal to Brahma Samaj Pilgrims to visit Bagura District of East Pakistan	.. 133

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
592. निर्यात संवर्द्धन तथा व्यापार विस्तार के बारे में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	Special Training programme in Export Promotion and Trade Expansion ..	133—134
593. नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Coir Industry	134
594. नेपाल में व्यापार सम्मेलन	Trade Conference in Nepal ..	134—135
595. तिब्बत में चीनी परमाणु प्रतिष्ठान	Chinese Nuclear Installation in Tibet ..	135
596. शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु इंजीनियरी प्रौद्योगिकी का उपयोग	Use of Nuclear Engineering Technology for peaceful purposes ..	135—136
597. हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industries ..	136
598. रूसी दूतावास द्वारा त्रिवेन्द्रम में भूमि की खरीद	Purchase of Land by USSR Embassy in Trivandrum ..	136
599. आनन्द भवन के गृह कर का निर्धारण	Assessment of House Tax of Anand Bhavan ..	137
अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to U.S.Q. No. 1542 ..	137
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
लाओस में उत्पन्न स्थिति	Situation in Laos ..	138—142
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok ..	138—139
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh ..	138, 139, 140, 141, 142
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	143
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
57वां प्रतिवेदन	Fifty-seventh Report ..	144
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
52वां तथा 54वां प्रतिवेदन	Fifty second and Fifty-Fourth Reports ..	144
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
5वां प्रतिवेदन	Fifth Report ..	144

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Business of the House	.. 144—145
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	.. 145—169
श्री हनुमंतैया	Shri Hanumanthaiya	.. 145—151
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	.. 151—153
डा० रामसुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	.. 155—160
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	.. 160—161
श्री रा० बरुआ	Shri R. Barua	.. 161—162
श्री रंगा	Shri Ranga	.. 163—167
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	.. 167
डा० सुशीला नैयर	Dr. Sushila Nayar	.. 168—169
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
दिल्ली पुलिस के बारे में	Re: Delhi Police	.. 169—175
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	.. 170—172
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	.. 174, 175

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 25 फरवरी, 1970/6 फाल्गुन, 1891 (शक)
Wednesday, February 25, 1970/Phalguna 6, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री के० टी० एम० अहमद इब्राहीम के निधन की सूचना देनी है जो 30 जनवरी, 1970 को तमिलनाडू में तिरुनेलवेली पेटाई में 72 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए। श्री अहमद इब्राहिम 1946 से 1950 तक भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे।

हमें अपने मित्र की मृत्यु पर गहरा शोक है और मैं विश्वास करता हूं कि सदन उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदन संदेश भेजने में मेरे साथ शरीक होगा, विशेषकर उनके भाई श्री एम० मुहम्मद इस्माइल को जो इस सदन के सदस्य हैं और जिन्हें मैं अपना गहरा शोक तथा संवेदना व्यक्त करता हूं।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): संविधान के निर्माण में परिश्रम करने वाले व्यक्ति अब धीरे-धीरे घटते जा रहे हैं। श्री अहमद इब्राहीम का निधन इस तथ्य का एक और दुखपूर्ण उदाहरण है। जब हम संविधान के निर्माताओं के बारे में सोचते हैं तो अत्यन्त प्रसिद्ध नामों का हमारे मष्तिष्क में आना स्वाभाविक ही है। परन्तु कम प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी संविधान-निर्माण में योगदान दिया है। श्री अहमद इब्राहीम संविधान सभा की पूर्ण अवधि तक उसके सदस्य रहे। मैं व्यक्तिगत रूप में तो श्री अहमद इब्राहीम को नहीं जानती थी, परन्तु मुझे पता लगा कि वह मुस्लिम लीग तथा मद्रास विधान मण्डल में अत्यधिक सक्रिय थे। तमिलनाडु में अनेक शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठनों के साथ उनका विशिष्ट सम्बन्ध था।

अतः मेरा निवेदन है कि आप इस सदन की संवेदनाओं को उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दें ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : हमें श्री अहमद इब्राहीम की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत आघात पहुंचा । वह संविधान के निर्माताओं में से एक थे । आप संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को जानते हैं । संविधान हमारे राष्ट्र का मुख्य आधार है और समस्त कार्यक्रम इसी के अनुसार चलते हैं । संविधान सभा के सदस्य के नाते उन्होंने देश की बड़ी सेवा की और वह एक बड़े समाजसेवी भी थे । मैं विपक्ष की ओर से उनके शोकाकुल परिवार को और उनके भाई श्री एम० मुहम्मद इस्माइल को, जो यहां हमारे साथ हैं, गहरी संवेदना तथा शोक व्यक्त करता हूं । यह एक प्रतिभाशाली परिवार है । श्री अहमद इब्राहीम संविधान सभा में थे और उनके भाई इस समय यहां हमारे साथ हैं ।

मेरा निवेदन है कि विपक्ष की ओर से आप उनके शोक संतप्त परिवार तथा उनके भाई तक हमारी संवेदनाएं पहुंचा दें ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : मैं श्री के० टी० एम० अहमद इब्राहीम के निधन पर, जो 30 जनवरी 1970 को तिरुनेलवेली में अपने निवास स्थान पर स्वर्ग सिधार गए थे, माननीय प्रधान मंत्री तथा विपक्ष के नेता द्वारा प्रकट की गई संवेदना तथा दुख में शामिल होता हूं ।

स्वर्गीय के० टी० एम० अहमद इब्राहीम अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और वह गत 50 वर्ष तक देश तथा जाति की सेवा करते रहे । मैं उन्हें काफी लम्बी अवधि से जानता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम तथा खिलाफत आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था और गांधीजी के संदेश को सारे देश में फैलाते रहे थे । हिन्दू-मुस्लिम एकता में उनका दृढ़ विश्वास था और देश की स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया ।

वह वर्ष 1946 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य और 1946 से 1952 तक मद्रास विधान परिषद के सदस्य रहे । संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने संविधान के निर्माण में, विशेषकर मूल अधिकारों, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और पिछड़े तथा अल्प संख्यक वर्गों से सम्बन्धित अध्यायों के बारे में प्रमुख एवं सक्रिय भाग लिया । इसके पश्चात् उन्होंने तमिल नाडु मुस्लिम लीग के महा सचिव के रूप भी 40 वर्ष पर्यन्त कार्य किया ।

इससे उनकी महानता और लोक प्रिय होने का पता लगता है । इसके अतिरिक्त शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सेवाएं स्मरणीय हैं । अन्नामलाई विश्वविद्यालय सीनेट तथा मद्रास राज्य पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्य की हैसियत से उन्होंने तमिलनाडु में शिक्षा के उच्चतम स्तर पर रहते सेवा की । स्वर्गीय अहमद इब्राहीम साहिब की ऐसी श्रेष्ठ विशेषताएं थीं और उन्होंने ऐसी सेवाएं की थीं । मैं प्रार्थना करता हूं कि मुस्लिम लीग की ओर से हमारी संवेदनाएं तथा शोक संदेश उनके शोकाकुल परिवार के सदस्यों, विशेषकर उनके भाई श्री मुहम्मद इस्माइल, जो इस सदन में मुस्लिम लीग के संसदीय दल के नेता हैं, तक पहुंचा दें । ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं स्वर्गीय अहमद इब्राहीम को मद्रास में अनेक वर्षों से जानता था । वह बहुत ही मिलनसार और सज्जन व्यक्ति थे जो समाज-कल्याण कार्य में ही अनुरक्त रहे। राजनीति के अतिरिक्त वह समाज-कल्याण में बहुत रुचि रखते थे और जहां कहीं भी वह लोगों को मुसीबत में देखते थे, मैंने उन्हें उनके कष्टों का निवारण करने के लिये भरसक प्रयत्न करते हुये देखा । अतः उनकी जुदाई की मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है और संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार को भेजने में मेरा दल भी शामिल होता है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं प्रजा समाजवादी दल की ओर से श्री अहमद इब्राहीम के निधन पर शोक प्रकट करता हूं और उनके शोकाकुल परिवार के सदस्यों तक अपनी संवेदनाएं पहुंचाने में हम सदन के नेता, विपक्ष के नेता तथा अन्य नेताओं के साथ सम्मिलित होते हैं । मुझ आशा है आप हमारी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा देंगे ।

श्री एस० कन्डप्पन (मेटूर) : मैं व्यक्त की गई संवेदनाओं में द्रमुक दल की ओर से शामिल होता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार के सदस्यों विशेषकर हमारे सहयोगी श्री मुहम्मद इस्माइल तक पहुंचा दें ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं भी श्री अहमद इब्राहीम के अकाल निधन पर शोक व्यक्त करने में आपके साथ शरीक होता हूं ।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I, on behalf of my party, associate myself with the sentiments expressed by the leader of the House and the leader of the opposition on the sad demise of Shri Ahmed Ibrahim. I hope you will convey our condolences to the bereaved family.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, I did not express my sentiments earlier because I was under the impression that now we have a leader of the entire opposition in the House and Dr. Ram Subhag Singh in that capacity had already expressed his condolences on behalf of the entire opposition. Previously there was no leader of the opposition and the leaders of the various opposition parties used to speak separately on such occasions on behalf of their respective parties. But since the leaders of the various parties are expressing their sentiments, separately, I also, on behalf of my party, express my deep sorrow on the sad demise of Shri Ahmed Ibrahim.

As a member of the Constituent Assembly his contribution is memorable. His brother is a member of this House and it is quite natural for us to join him in mourning the death of Shri Ibrahim. I request you to convey our condolences to the bereaved family.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Bagpat) : Sir, I on behalf of my party express our deep sorrow on the death of Shri Ahmed Ibrahim. I hope you will convey our condolences to bereaved family.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य शोक व्यक्त करने के लिए थोड़े समय के लिए मौन खड़े रहेंगे।

(इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय तक मौन खड़े रहे)

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तरी वियतनाम के एक प्रकाशन में भारत पर कथित अपलेखात्मक आक्षेप

+

*61. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री दे० अमात :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री रा० वे० नायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तरी वियतनाम के विदेशी भाषा प्रकाशन-ग्रह हनोई द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत पर अपलेखात्मक आक्षेप किया गया है और जिसके सम्बन्ध में 8 जनवरी, 1970 को भारत के अनेक समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार ने नार्थ वियतनामिज फारेन लैंग्वेजेज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया कथित पैम्फ्लेट देखा है ।

(ख) वियतनाम लोक गणराज्य की सरकार ने बताया है कि यह प्रकाशन पूर्णतया गढ़न्त है और इस विषय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । भारत सरकार के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि वह इस बात को सही माने ।

श्री नम्बियार : सी० आई० ए० के समस्त प्रकाशन ही ऐसे हैं।

श्री कृ० मा० कौशिक : मंत्री महोदय के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए मैं एक बात जानना चाहता हूं । उत्तरी वियतनाम इस बात का प्रतिकार करता रहा है । भारत पर लगाए गए अश्लीलतापूर्ण आरोप 10 पृष्ठों में है । इसलिये उत्तरी वियतनाम से ही इन आरोपों का सीधा सम्बन्ध है और स्वाभाविक है कि उत्तरी वियतनाम ने इनके बारे में इन्कार किया है । इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास कोई ऐसी अन्य सामग्री है जिससे वह यह सिद्ध कर सकें कि इस प्रकाशन का उत्तरी वियतनाम से वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं है अथवा क्या उन्होंने दिल्ली स्थित हनोई के महावाणिज्य दूत के ही कथन पर एकदम विश्वास कर लिया ।

श्री दिनेश सिंह : मुझे इस बात की पुष्टि करने के लिए नहीं कहा गया है कि पुस्तिका उत्तरी वियतनाम की ही है अथवा नहीं । माननीय सदस्यों ने मुझसे पुस्तिका के सम्बन्ध में पूछा था कि क्या उत्तरी वियतनाम के अधिकारियों ने इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है । हमने उत्तरी वियतनाम के अधिकारियों से इसकी पूछताछ की । हमने हनोई में प्रकाशन गृह से इस पुस्तिका की एक प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया । पर उन्होंने बताया कि उन्होंने उस

पुस्तिका का प्रकाशन ही नहीं किया अतः उसकी कोई प्रति उनके पास नहीं है। सरकार ने भी इससे इन्कार किया है। इस सम्बन्ध में हम इससे अधिक और क्या कर सकते हैं ?

श्री लोबो प्रभु : भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने बताया है कि उत्तरी वियतनाम की सरकार ने कहा है कि उस पुस्तक के प्रकाशन के लिये वह जिम्मेदार नहीं है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस स्थिति से कोई और प्रश्न उठता है अथवा नहीं।

श्री कृ० मा० कौशिक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले तो हनोई के महावाणिज्य दूत ने इस पुस्तिका के प्रकाशन से ही इन्कार किया पर जब बाद में उन्हें यह पता लगा कि हमारे-वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में इसकी एक प्रति है तो उन्होंने अपने पहले वक्तव्य का खण्डन किया और इस पुस्तिका की प्रकाशन सम्बन्धी बात को अमरीका के सिर मढ़ा तो उनके उक्त स्पष्टीकरण को मानना, जबकि इस पुस्तिका के 25 पृष्ठों में अमरीका के विरुद्ध ही अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, हमारे लिए गलत बात नहीं होगी।

श्री दिनेश सिंह : वैदेशिक कार्य मंत्रालय के पास यह पुस्तिका नहीं है। स्वतंत्र दल ने उसकी एक प्रति हमें दी थी जिसकी जांच करने का हमें अवसर मिला था। हमने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न तो किया और जो कुछ जानकारी हम प्राप्त कर सके, वह मैंने पहले ही दे दी है।

श्री दे० अमात : क्या यह सच है कि सरकार ने पेरिस शान्ति वार्ता में एन० एल० एफ० की मुख्य प्रवक्ता मदामबिन्ह को हमारे देश की यात्रा करने के लिए सरकारी तौर पर निमंत्रण दिया है; और क्या इस बारे में दक्षिण वियतनाम की सरकार की प्रतिक्रिया की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

एक माननीय सदस्य : इससे प्रश्न का कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रकाशित सामग्री से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह संगत नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में एक अतारांकित प्रश्न था जिसका आज उत्तर दिया गया है। उसे देखकर उन्हें जानकारी मिल जायेगी।

श्री रा० वें० नायक : चीन द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किये जाने के समय से, 1962 से 1970 तक हनोई सरकार का रवैया निरन्तर शत्रुतापूर्ण और भारत विरोधी रहा है। उसने हमें पाकिस्तान और चीन पर आक्रमण का दोषी ठहराया है तथा यह आरोप लगाया है हम इन दोनों देशों के विरुद्ध विस्तारवादी महत्वाकाक्षाएं रखते हैं। उसका कहना है कि हम अमरीकी साम्राज्यवादियों और आधुनिक पुनरीक्षणवादियों के पिट्ठू हैं। वे कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ समझौता न करने के कारण हम युद्धलिप्सु हैं। अपनी जनता की आकांक्षाओं और आर्थिक स्वतन्त्रताओं को दबाने के कारण हम प्रतिक्रियावादी हैं। इसके विपरीत दक्षिण वियतनाम से हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मित्रतापूर्ण हैं। उनके साथ हमारे अच्छे व्यापार सम्बन्ध हैं और लगभग

4000 भारतीय दक्षिण वियतनाम में रहते हैं और उनमें से कई उत्तर वियतनाम से भाग कर वहां गये हैं। इन तथ्यों को देखते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वे शत्रुता करने वालों से मैत्री और मैत्री करने वालों से घृणा करना छोड़ दें।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने कुछ सुझाव ही दिये हैं।

श्री पीलु मोडी : मैं समझता हूं कि यह सुझाव कार्यवाही करने के लिये है।

श्री रंगा : क्या सरकार माननीय सदस्य द्वारा रखे गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर पुनर्विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को श्री रंगा दूसरा रूप कैसे दे सकते हैं ? उन्होंने कुछ सुझाव ही दिये हैं।

श्री रंगा : मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि वह इस पर पुनः विचार करेंगे अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को सुझाव देने की बजाय सीधा प्रश्न करना चाहिए था।

श्री रंगा : उन्होंने दूसरे ढंग से प्रश्न किया है। मैं तो उनकी सहायता कर रहा हूं। इसे मानना अथवा न मानना सरकार का काम है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : यह भली प्रकार विदित है कि हमारी वर्तमान सरकार का साम्यवादियों की ओर झुकाव उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और वियतकांग के राष्ट्रपति की अनत्येष्टि में भाग लेने के लिये वैदेशिक कार्य मंत्री वहां गये थे.....

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : यह प्रष्ठाधार सामग्री है। वैदेशिक कार्य मंत्री यह नहीं मानते कि भारत के लिये अपमानजनक यह पुस्तिका निराधार है। क्या उन्होंने वियतकांग में अपने महावाणिज्य दूत के जरिये इसकी सत्यता के बारे में जांच की है...

श्री राममूर्ति : वियतकांग नाम का कोई देश नहीं है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : क्या उन्होंने इस पुस्तिका के स्रोत को जानने की चेष्टा की है। इस समय उनका इन्कार करना सरल है। जैसा कि पहले भी बताया गया है क्या यह सच नहीं है कि चीन छिपे नागाओं को उत्तर वियतनाम भेज रहा है...

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है। यह संगत प्रश्न नहीं है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : उन्हें भरती करके छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है और वापस आने पर वे उपद्रव करते हैं। क्या मंत्री महोदय इन खतरों से इन्कार कर सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं उसका उत्तर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं कि हमने अपने वाणिज्य महादूत को हनोई के प्रकाशक से

इस बारे में तथ्य इकट्ठे करने को कहा था कि क्या कोई ऐसी पुस्तिका वहां से छपी थी और वहां पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसे प्रकाशित नहीं किया है अतः यह उनके पास उपलब्ध नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Hon. Minister for foreign affairs has just said that North Vietnam has denied having published the pamphlet which is the subject of discussion here. The question is if it has not been published by North Vietnam, which are the elements that have published it and how they are distributing it here, with the object of spoiling our relations with foreign countries. The question does not merely relate to North Vietnam and our country but is broader than that. Does that Government keep an eye on such publishers who publish and distribute publication in the country with false names and indicate name of other countries, which affect our relations with other countries. Has the Minister asked the Home Ministry to investigate the whole matter ?

Shri Dinesh Singh: The information received in this connection does not reveal any large scale distribution of the pamphlet. We have not been able to get hold of copies of the pamphlet. It seems that a very few persons got these pamphlets. One copy was handed over for a short while through Swatantra party and we tried to examine the facts about it. The results of our efforts have been intimated to the House.....(**Interruptions**).

Shri Atal Behari Vajpayee: Hon. Speaker, are you satsfied with this reply ? My question was that who printed the pamphlet, wherefrom it came and who is its writer and publisher ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यद्यपि सरकार ने उत्तर वियतनाम के महावाणिज्य दूत के कथन को स्वीकार कर लिया हो परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्होंने पुस्तिका में इस कथन का सत्यापन किया है कि नागाओं को प्रशिक्षण से फायदा हुआ है.....

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध प्रकाशन से है। नागालैंड सम्बन्धी मामलों का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या सरकार ने विद्रोही नागाओं को उत्तर वियतनाम में प्रशिक्षण दिये जाने के विषय में जांच की है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेई : यह संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को पृथक सूचना देकर पूछा जा सकता है। इस समय हम सभी प्रश्नों को कैसे ले सकते हैं ? इससे कई प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं परन्तु उन सबको हम अभी कैसे ले सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिये अनुमति नहीं देता।

श्री राममूर्ति : यदि कुछ प्रतियां ही निजी तौर पर बांटी गई हैं तो भी क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री गृह मंत्रालय के माध्यम से यह जानने का यत्न करेंगे कि किसने इन्हें प्रकाशित कर प्रचालित किया ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है।

श्री अटल बिहारी बाजपेई : परन्तु इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री राममूर्ति : मंत्री महोदय ने कहा था कि इसका व्यापक से रूप परिचालन नहीं किया गया है। क्या वह यह जानने की चेष्टा करेंगे कि किसने इसे छापा और वितरित किया ?

श्री नम्बियार : यदि हम इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे तो हमें भारत में सी० आई० ए० के कार्यकलापों की जांच करनी होगी और यह जांच हमें अवश्य करनी चाहिये (**अन्तर्बाधाएं**)।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं और प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि इस पर 25 मिनट पहले ही दिये जा चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है कि मैं प्रारम्भ से ही आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा होता रहा हूं। मैं कम से कम 10 बार खड़ा हुआ हूं। यदि आप चाहते हैं कि हम पूरक प्रश्न न पूछें तो हमें बता दीजिए। यह बात उचित नहीं है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कई अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इसका कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं आरम्भ से ही आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री राममूर्ति : क्या आपने मेरे प्रश्न की अनुमति नहीं दी है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया था कि उस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री दिनेश सिंह : मुझे उत्तर में अन्य कोई बात नहीं कहनी है।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उन्हें पुस्तिका की प्रति स्वतन्त्र पार्टी से मिली थी। पुस्तिका में मुद्रक और प्रकाशक का नाम तो अवश्य दिया होगा। क्या उन्होंने पुस्तिका से उसकी जांच करने की चेष्टा की थी ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने प्रश्न तो ऐसे पूछा है कि प्रकाशक ने अपना नाम उस पर ठीक ही दिया हुआ है और उस दिये गये नाम वाला प्रकाशक विद्यमान है। मैंने इस बारे में बताया था कि पुस्तिका से यह संकेत मिलता है कि यह हनोई के प्रकाशक द्वारा छापी गई है। हमने उनके यहां जांच की है और उनका कहना है कि उन्होंने इसे नहीं छापा।

Shri Rabi Ray : Hon. Speaker, Sir, Shri Ram Murti's direct question was, "whether Home Ministry has investigated the matter through C. B. I.", but the Hon. Minister has not replied to it. He may please give reply to that question.

श्री राममूर्ति : श्री बाजपेई के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार पुस्तिका का व्यापक रूप से परिचालन नहीं किया गया। इस पर मैंने पूछा था, कि भले ही इसका व्यापक रूप से परिचालन न हुआ हो, तो भी क्या मंत्री महोदय इस पुस्तिका के स्रोतों के बारे में जांच कराएंगे। यह एक संगत प्रश्न है।

Shri Rabi Ray : The Hon. Minister may give the information in the matter later on.

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बारे में हमें विश्वास हो गया है कि यह अमरीका जैसे किसी देश का अफ्रीकी एशियाई देशों में फूट डालने के लिये प्रयास है। क्या उस पुस्तिका पर कोई क्रमांक दिया हुआ है जो उत्तर वियतनाम के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित हर प्रति पर दिया जाता है।

श्री पीलु मोदी : उन्हें इसका पता होना चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : इस पुस्तिका पर हमें कोई क्रमांक नहीं मिला ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब तो यह धोखा है ।

'अपोलो' अभियानों में भारतीय उपकरणों को ले जाने के बारे में अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष अभिकरण से प्रार्थना

+

*63. **श्री मोहन स्वरूप** :

श्री विश्वम्भरन :

श्री लखन लाल कपूर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण करने के लिये भारतीय उपकरण ले जाने तथा किसी एक अपोलों अभियान में उन्हें चांद पर छोड़ देने के सम्बन्ध में अमरीकी राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष अभिकरण से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका के अणु शक्ति आयुक्त के साथ जब वह हाल में भारत आये थे, इस बारे में बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ग). सरकार ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की है किन्तु अमरीकी राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष अभिकरण द्वारा आमंत्रित किये जाने पर अभिकरण को चन्द्रतल पर कॉसमिक किरणों के अध्ययन सम्बन्धी एक प्रस्ताव भेजा गया है । इस अध्ययन में काम आने वाले उपकरण को चांद पर छोड़ कर नहीं आयेंगे । उसे वापस लाया जायेगा । इस सम्बन्ध में अमरीकी अन्तरिक्ष अभिकरण की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

Shri Mohan Swarup : I would like to know as to what are those equipments and what for they will be used ?

श्री र० के० खाडिलकर : एक छोटे से उपकरण का निर्माण किया गया है, जिसे कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिये मोडयूल की छाया में रखा जायेगा ।

श्री क० लक्कप्पा : क्या मंत्री महोदय चांद सम्बन्धी मामलों के विशेषज्ञ है ।

श्री र० के० खाडिलकर : टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च के एक प्राध्यापक श्री विश्वास से अनुरोध किया गया था और उन्होंने यह सुझाव भेजा है, जो विचाराधीन है ।

श्री पी० विश्वम्भरन : भारतीय परमाणु शक्ति आयोग के चेयरमैन डा० विक्रम साराभाई ने 29 दिसम्बर को त्रिवेन्द्रम में कहा है कि भारतीय वैज्ञानिक दलों ने अमरीकी राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष अभिकरण से प्रस्ताव किया था कि अपोलों अभियान में वह भारत में बने

एक उपकरण को महत्वपूर्ण प्रयोग करने के लिये चांद पर छोड़ आयें। इससे स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के कई दलों ने इस अभिकरण से प्रस्ताव किये थे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रस्ताव भारत सरकार के परामर्श से भेजे गये थे? दूसरे, मंत्री महोदय ने कहा है कि एक उपकरण को चांद पर ले जाकर उसे फिर वापस लाना था, किन्तु डा० विक्रम साराभाई ने कहा है कि इस उपकरण को चांद पर छोड़ा जाना है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सा वक्तव्य ठीक है।

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जैसा मेरे सहयोगी ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष अभिकरण ने हमसे पूछा था कि क्या हम चांद पर जाने के अभियान में भाग लेंगे। इसी के फलस्वरूप हमने सुझाव आमंत्रित किये थे। और 'प्राध्यापक विश्वास' का सुझाव हमने इस अभिकरण को भेजा था। इस प्रयोग को करने का प्रयोजन कम शक्ति की कॉस्मिक किरणों में कार्बन से लेकर निकल तक के न्यूकली तत्वों का 5 से 50 मेव न्यूकली ऑन के अन्तर से अध्ययन करना है। अन्तरिक्ष में चन्द्र तल को एक विशेष मंच मानकर न्यूक्ली की तीव्रता, शक्ति स्पैट्रम उसको चार्ज करने, उसके गठन तथा स्पेशियल वितरण को नापा जायेगा। इस प्रयोग में कम शक्ति की कॉस्मिक किरण न्यूकली का पता लगाने के लिये नाभिकीय पायस (इमलसन) के पतले स्टेक तथा प्लास्टिक की चादरों के प्रयोग किये जाने का विचार है।

अभी उपकरण के भागों को एकत्रित नहीं किया गया है। प्रस्वाव स्वीकृत हो जाने पर ही ऐसा किया जायेगा। नवीनतम सूचना यह है कि इस उपकरण को चांद से वापस लाया जा सकता है।

श्री पीलु मोडी : मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री को हिन्दी में बोलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि सभा के सदस्स चांद सम्बन्धी मामलों में रुचि ले रहे हैं।

Shri Lakhan Lal Kapoor: I would like to know whether the equipment which is to be taken to the lunar surface will be brought back on the return flight or it will be left there for another Appolo to bring it back?

श्री र० के० खाडिलकर : छाया में छः घण्टे तक रखने पर प्रयोग पूरा हो जायेगा और वापसी उड़ान पर उपकरण को यहां लाया जायेगा जिससे उसका और विश्लेषण किया जा सके।

गणतंत्र दिवस 1970 की सलामी उड़ान के पूर्वाभ्यास में विमान दुर्घटना

+

*64. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री सीताराम केसरी :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 जनवरी, 1970 को दोपहर बाद गणतंत्र दिवस सलामी उड़ान के पूर्वाभ्यास में

भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के एक "मिग-21" विमान के इंजिन में कथित खराबी के क्या कारण थे;

(ख) इस विमान की अनुमानित लागत लगभग कितनी थी;

(ग) चालक की हालत कैसी है;

(घ) क्या इस विमान दुर्घटना के कारण ही 26 जनवरी, 1970 को भारतीय वायुसेना के विमानों की सलामी उड़ान स्थगित कर दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी दुर्घटना न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) एक कोर्ट आफ इन्क्वारी दुर्घटना की जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

(ख) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ग) विमान चालक को कई मामूली चोटें आई थीं ।

(घ) जी नहीं । हेलिकाप्टरों और राष्ट्रीय रंग छोड़ने वाले हंटरों के लिए फ्लाई पोस्ट रद्द नहीं किया गया था, बल्कि उनके मार्गों के साथ-साथ खराब मौसम के कारण अन्य विमानों के लिए रद्द किया गया था ।

(ङ) आवश्यक प्रतिकारी उपाय किये जाएंगे, जो कोर्ट आफ इन्वायरी की रिपोर्ट पर आवश्यक हों ।

श्रीमती इला पालचौधरी : अपने विमान को बुद्ध जयंति पार्क की ओर मोड़ने और इस प्रकार दिल्ली के घने बसे हुये विभिन्न क्षेत्रों को बचाने का वीरतापूर्वक कार्य करने के लिये क्या फ्लाइट लेफ्टीनैंट सिंह को कोई मान्तया प्रदान की गयी है ? दूसरे, यह पता चला है कि बुद्ध जयंति पार्क में पशु, शव तथा पिकनिकों की बची हुई जूठन पड़ी रहती है जो पक्षियों को आकर्षित करती है और यह दुर्घटना इसीलिये घटी क्योंकि विमान के जेट होल्ड में एक पक्षी घुस गया था । क्या भविष्य में पूर्वाभ्यास कर ने के पहले इस क्षेत्र की सफाई की जाया करेगी ।

श्री मं० रं० कृष्ण : इस सम्बन्ध में जांच अभी-अभी पूरी हुई है और कमान द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है । इसलिये विमान चालक को मान्यता देने के सम्बन्ध में इतना शीघ्र निर्णय लेना सम्भव नहीं है । पार्क में जो भी भाग बिखरे हुये थे, उन्हें पहले ही इकट्ठा कर लिया गया है और केवल उन्हीं के आधार पर जांच की जा रही है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : उन्हें मान्यता प्रदान करने का निर्णय इतना शीघ्र भी नहीं किया जा रहा है । यह तो वीरतापूर्ण कार्य है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : रिपोर्ट की जांच-पड़ताल पूरी होने पर ही इस मम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा ।

Shri Prakash Vir Shastri: Has some conspiracy been brought to light or have you tried to find out whether any conspiracy was there behind this accident? Secondly, I would like to know whether our experts have found some defects in the working of the MIG planes because a similar accident took place some time back also ?

श्री मं० रं० कृष्ण : इस विमान के बारे में तोड़-फोड़ का कोई सन्देह नहीं है। सारे 40 के 40 विमान पूरी जांच के बाद निकाले गये थे और इस दुर्घटना में किसी का हाथ होने की कोई आशंका नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri: My second question was that there seems to be something technically wrong with these Mig planes, because before this one or two Mig planes had also met with such an accident.

श्री मं० रं० कृष्ण : हम इसे कुछ समय से प्रयोग में लाते रहे हैं और हमारे सभी चालकों ने इन्हें चला कर देखा है। जिस चालक ने इस विमान को चलाया था, उसने इन विमानों में 91 घण्टे एकेले उड़ान की हुई थी। इसलिये यह सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि इन विमानों के निर्माण में तकनीकी दृष्टि से कोई त्रुटि है।

Shri Yashwant Singh Kushwah: The Hon. Minister has stated that it is not in the public interest to disclose the cost of these planes. This Hon. House is entitled to know as to what loss we have incurred as a result of this accident. Secondly, is this plane costlier or cheaper than the Hunter plane? Thirdly, will the Mig planes be improved technically so that they may fly in bad weather also like the Hunter planes?

श्री मं० रं० कृष्ण : जब प्रतिरक्षा उपकरण खरीदा जाता है, उन्हें पूरी जांच के बाद तथा प्रयोक्ताओं की विशेष राय लेकर खरीदा जाता है। जब वायु सेना किसी उपकरण या विमान के बारे में संतुष्ट हो जाती है, तभी उसे खरीदा जाता है।

श्री रंगा : प्रश्न यह था कि क्या वह इसकी जांच करायेंगे अथवा नहीं। वह सामान्य-सा उत्तर दे रहे हैं, क्या कोई अन्य मंत्री नहीं हैं जो इसका उत्तर दे सके।

श्री मं० रं० कृष्ण : मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हूं। इस दुर्घटनाग्रस्त विमान के बारे में जांच चल रही है और वायु सेना के तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी यह जांच कर रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि फ्लाई-पास्ट को खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था। क्या यह सच नहीं है कि मिग-21 विमान सब मौसमों में प्रयोग में लाया जाने वाला लड़ाकू विमान है और ये विमान किसी भी मौसम में तथा रात को भी उड़ान भर सकते हैं? क्या यह सच नहीं है कि जिस दिन फ्लाई-पास्ट होना था, मिग विमानों को उड़ाकर देखा गया था और यह सन्देह था कि सारे मिग विमान ठीक हालत में नहीं है और इसलिये फ्लाई-पास्ट रद्द कर दिया गया था? क्या यह सच नहीं है?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह सच है कि मिग विमान खराब मौसम में भी उड़ान भर सकते हैं। परन्तु फ्लाई-पास्ट के लिये मौसम साफ होना चाहिए और यदि बादल इतनी नीचाई पर होते हैं कि विमान उनके नीचे-नीचे नहीं उड़ सकते तो फ्लाई-पास्ट नहीं किया जा सकता है। उस दिन बादल काफी नीचे थे, विशेषकर रिज पर। इसलिये फ्लाई-पास्ट कराना खतरे से खाली नहीं था।

यह भी सच है कि कुछ हेलीकोप्टरों तथा कुछ हंटर विमानों ने फ्लाई-पास्ट में आंशिक रूप से भाग लिया था। कारण यह था कि हेलीकोप्टर सफदरजंग हवाई अड्डे से उड़े थे, जहां मौसम कुछ साफ था। हंटर विमान भी जिस हवाई अड्डे से उड़े थे, वहां मौसम कुछ साफ था। इसलिये वे फ्लाई-पास्ट, रंग प्रदर्शन में भाग ले सके। मिग विमान जिस हवाई अड्डे पर थे, वहां मौसम इतना खराब था कि फ्लाई-पास्ट में भाग लेना बड़ा खतरनाक था। मैं जो कुछ कह रहा हूं, माननीय सदस्य उसे मान लें। अन्य कोई त्रुटि नहीं थी। हमारे विमानों में कोई तकनीकी खराबी नहीं है, वे बहुत अच्छे विमान हैं।

कीनिया में भारतीय व्यापार की समाप्ति

+

*65. **श्री क० लकप्पा :**

श्री स० कुण्डू :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया में भारतीय व्यापारियों को पुनः नोटिस दिये गये हैं, जिनमें उनके व्यापारिक लाइसेंसों का नवीकरण न किये जाने का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें अपने व्यापार को समाप्त करने के लिये छः महीने का समय दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कीनिया सरकार से उनके मामले पर कोई पत्र-व्यवहार किया है ; और

(घ) इस बारे में कीनिया सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जिन लोगों को कूच करने की नोटिस दी गई है, उन्हें अपना कारोबार समेटने के लिये 2 से 4 महीने तक का समय दिया गया है।

(ग) और (घ). इन उपायों से जिन लोगों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उसके सम्बन्ध में पूर्ण ब्योरा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सामान्यतया, ऐसे लोग ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं, अतः इसकी जिम्मेवारी ब्रिटिस सरकार पर है। किनिया स्थित हमारा उच्चायोग हमारे राष्ट्रिकों के सम्पर्क में है और जहां तक सम्भव हो सकेगा, उनके हितों की रक्षा करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

श्री क० लकप्पा : यह बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय राष्ट्रिकों के साथ, चाहे वे केनिया में रहते हों या किसी अन्य देश में रहते हों, बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और हमने बराबर इस सरकार से कहा है कि उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये और अपने दूतावासों को कहना चाहिये कि वे वहां पर भारतीम राष्ट्रिकों की सहायता के लिये काम करें। कीनिया में भारतीय राष्ट्रिक दो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जिन्होंने कीनिया की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। जिन

लोगों के पास अस्थायी कार्ड हैं और व्यापार तथा अन्य चीजों के लिये अस्थायी लाइसेंस हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है ।

हाल ही में कीनिया के राष्ट्रपति जोमो केनिनाटा ने एक वक्तव्य में कहा है कि भारतीय राष्ट्रिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा । कुछ समय बाद कीनिया के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री टोमम्बोया ने एक वक्तव्य में खुलेआम कहा था कि भारतीय अपने को कीनियाई लोगों के अनुरूप नहीं ढाल रहे हैं और भारतीय लोग बड़े परेशान कर रहे हैं । उस वक्तव्य में उन्होंने बताया है कि कीनिया में विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है । क्या भारत सरकार ने स्थिति का अन्दाजा लगाया है और वहां पर स्थित हमारे उच्चायोग का ध्यान इस ओर दिलाया है और वहां पर भारतीय राष्ट्रिकों के, चाहे वे व्यापारी हों या कोई अन्य काम करते हों, सुचारुरूप से काम करते रहने के लिये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता कराने के लिए इस सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पूर्वी अफ्रीका में भारत मूलक व्यक्तियों की कठिनाइयों के बारे में यहां पर कई बार चर्चा हो चुकी है और सरकार ने स्थिति बता दी है । यह सच है कि पूर्वी-अफ्रीका और कीनिया में भारत मूलक व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । उन सरकारों द्वारा कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जिससे उनके सामने अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं और कभी-कभी वे उन देशों को छोड़ने के लिये मजबूर हो जाते हैं । तथ्य यह है कि कीनिया द्वारा अपनाई जा रही नीति इस दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये उपाय केवल एशियाई देशों के लोगों के विरुद्ध ही नहीं किये गये हैं अपितु ये सभी विदेशियों तथा गैर-नागरिकों के लिये किये गये हैं । भारत मूलक व्यक्तियों की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और वहां पर हमारा उच्चायोग उन्हें पूरा संरक्षण दे रहा है । परन्तु उनमें से अधिकतर लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं जो तकनीकी तथा कानूनी तौर पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आते हैं । ब्रिटिश सरकार अपना दायित्व उचितरूप से पूरा नहीं कर रही है । फिर भी मानवीय आधार पर हम उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिये हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं । हम उनकी ओर से हस्तक्षेप कर रहे हैं और यथासंभव स्थानीय सरकार के साथ उनका मामला उठा रहे हैं । इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

श्री क० लकप्पा : मेरे प्रश्न के बाद के भाग का उत्तर ठीक तरह से नहीं दिया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि हाल में सरकार ने अपने दायित्व को महसूस किया है और उन देशों को एक शिष्टमण्डल भेजा है । क्या उस शिष्टमंडल ने सरकार को प्रतिवेदन दे दिया है और सरकार ने उन देशों में भारतीय नागरिकों की सहायता के लिये क्या कदम उठाए हैं, जो वहां पर बहुत कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारतीय शिष्टमण्डल के सदस्यों ने हमें कोई सूचना नहीं भेजी है । जब भी वह हमें प्राप्त हो जायेगी, हम उनका अध्ययन करेंगे और जो भी संभव होगा, करेंगे ।

श्री स० कुन्दू : मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कीनिया की उनकी गत यात्रा के दौरान वहां के भारतीय नागरिकों ने उन्हें अभ्यावेदन दिया था कि इस तथ्य के बावजूद

कि 40,000 भारतीय नागरिकों ने कीनिया की नागरिकता प्राप्त करली है, कीनिया सरकार व्यापार, वाणिज्य तथा सरकारी नौकरी के मामले में उनके साथ भेदभाव कर रही है ? क्या प्रधान मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि श्री केनियाटा के साथ उनकी वार्ता के बाद इस तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा और क्या यह सच है कि बाद में यह पाया गया कि अब भी भेदभाव किया जा रहा है ? दूसरे, हालांकि भारत सरकार ने कीनिया में वाणिज्य कार्यालय खोला है, परन्तु कीनिया सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इसका क्या कारण है ? भारत सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है कि कीनिया सरकार भी यहां पर अपना वाणिज्य कार्यालय खोले ? तीसरे, क्या यह भी सच है कि हालांकि भारतीय शिष्टमण्डल (जिसमें कुछ संसद् सदस्य भी थे) जो अफ्रीका गया था, कीनिया जाना चाहता था परन्तु कीनिया सरकार ने उन्हें मिलने से इन्कार कर दिया और इसलिये वे कीनिया नहीं गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री की कीनिया की यात्रा का उल्लेख किया है। पिछली बार प्रधान मंत्री ने कीनिया की यात्रा, कीनिया की स्वतंत्रता के समय की थी। उस समय भेदभाव का प्रश्न ही नहीं था क्योंकि उस समय कीनिया की नागरिकता वजूद में ही आयी थी। इसलिये माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह सही नहीं है। उस समय इस तरह की धारणा थी कि यदि उन्होंने कीनिया की नागरिकता ग्रहण की तो कोई भेदभाव हो सकता है। इस मामले में किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों को उस देश के सार्वभौम अधिकारों के अन्दर फैसला करना है जो अपने नागरिकों से निपटता है। इसलिये, इस मामले में हमें इस तरह की धारणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिये कि कीनिया के नागरिक किसी प्रकार के संरक्षण के लिये वास्तव में हमारी ओर देख रहे हैं। इससे उनके देश में उनके लिये कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। क्या हम चाहेंगे कि भारतीय नागरिक अपने संरक्षण के लिये किसी अन्य देश की ओर देखें ? उन्ह अपने देश की ओर ही देखना पड़ेगा। प्रश्न में दिया गया सुझाव गलत है। इससे उन लोगों के लिये बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी, यदि इस तरह की धारणा है कि वे संरक्षण के लिये किसी अन्य देश की ओर देख रहे हैं।

जहां तक उन लोगों के प्रश्न का सम्बन्ध है जो गैर-नागरिक हैं, यह उस देश के लिये जिसके कि वे नागरिक हैं, उनकी ओर से देखने का प्रश्न है। इसपर केवल मानवीय आधार पर विचार किया जा सकता है। हालांकि प्रोफेसर रंगा ने कई बार उनके मामले को उठाया है, परन्तु उन्होंने एक भी ऐसा सुझाव नहीं दिया है कि हम उनके लिये क्या कर सकते हैं।

जहां तक इस प्रश्न के अन्तिम भाग का सम्बन्ध है, यह पूर्णतया सही नहीं है कि उन्होंने भारतीय शिष्ट मण्डल को मिलने से इन्कार कर दिया था। वास्तव में, उन्होंने संकेत दिया था कि वे शिष्टमण्डल से मिलना चाहेंगे। परन्तु हमारे द्वारा सुझाई गई तिथियां उनके अनुकूल नहीं थीं क्योंकि कुछ अन्य विदेशी नेता उस समय कीनिया की यात्रा कर रहे थे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या यह सच नहीं है कि कीनिया में भारत-मूलक व्यक्तियों ने कीनिया के उत्थान में सहायता की है ? क्या यह भी सही नहीं है कि भारत मूलक व्यक्तियों

ने राजनीतिक क्षेत्र में कीनिया की सहायता की है और सत्ता प्राप्त करने में उनकी सहायता की है ? यदि ये दोनों बातें सही हैं, तो क्या कीनिया के राष्ट्रपति के लिये यह कहना उचित है कि भारतीय मक्खियों की तरह हैं और उन्हें बाहर फेंक देना चाहिये ? मंत्री महोदय का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं···

श्री ज्योतिर्मय बसु: इस सभा में किसी देश के राष्ट्रपति के प्रति अभद्र टिप्पणियों की अनुमति नहीं दी जाती है। माननीय सदस्य ने कीनिया के राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशिष्ट टिप्पणियां की हैं। उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।···

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा: श्री जोमो केनियाटा ने ऐसा कहा है। मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह सिद्ध करने का प्रश्न नहीं है। यदि माननीय सदस्य राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख न करें तो अच्छा होगा क्योंकि नियमों के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति नहीं है। माननीय सदस्य कीनिया के नेताओं या कीनिया सरकार का उल्लेख कर सकते हैं परन्तु उन्हें कीनिया के राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री रंगा: माननीय सदस्य ने कीनिया के राष्ट्रपति के प्रति कोई अनुचित बात नहीं कही है। उन्होंने तो केवल यही पूछा है कि क्या एक देश के राष्ट्रपति के लिये भारतीयों को मक्खी कहना उचित है। कीनिया के राष्ट्रपति या अन्य कोई कीनियाई इसका खण्डन करें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। माननीय सदस्य ने उनपर कोई आरोप नहीं लगाया है।

अध्यक्ष महोदय: आपको उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें कहा है कि वह कीनियाई नेताओं या कीनिया सरकार का हवाला दे सकते हैं, परन्तु राज्याध्यक्ष का नाम नहीं ले सकते।

श्री रंगा: प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने जो कुछ कहा है, वह सच है।

अध्यक्ष महोदय: आप उनके लिए क्यों बोल रहे हैं। मुझे यह बात पसन्द यहीं है।

श्री रंगा: प्रत्येक सदस्य को अन्य सदस्य की रक्षा करने का अधिकार है, विशेषकर जबकि वह कोई अनुचित बात नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह हमेशा ही गलत बातों का समर्थन करने के लिये खड़े हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा: मेरा अभिप्राय श्री जोमो केनियाटा का अनादर करना नहीं है। वास्तव में, उन्होंने अपने देश की बड़ी सेवा की है। मेरा कहना यह है कि तथ्यों को गलत दिखाया जाता है। जब भारतीयों ने कीनिया की एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में मदद की है और उसे स्वतंत्रता दिलाने में योगदान दिया है, तब हमें पूरा अधिकार है···

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं और उन्हें प्रश्न काल की सीमा का पता है। वह कृपया सीधा प्रश्न पूछ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा: जब श्री भगत कीनिया गये तो वह राष्ट्रपति को नहीं मिल सके। इसे दृष्टि में रखते हुए क्या इन मामलों का सद्भाव से हल निकालने के लिये कोई अन्य मंत्री वहां भेजा जायेगा ताकि कीनिया सरकार द्वारा कीनिया में भारत-मूलक व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये ?

श्री दिनेश सिंह: इस विषय पर बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है और इस सभा में उन पर विस्तार से बहस हो चुकी है। माननीय सदस्य ने इस मामले में कोई नई बात नहीं कही है। कीनिया तथा पूर्वी अफ्रीका के अन्य देशों के विकास में भारतीयों का योगदान सुविदित है। इस सभा में उसका उल्लेख किया जा चुका है और अन्य जगह भी उसे रिकार्ड किया गया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उन्हें गाली देना ठीक नहीं है। उन्होंने कोई नई बात नहीं पूछी है। इन मामलों पर बातचीत करने के लिये हमारा विचार कोई मंत्री वहां भेजने का नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल : अफ्रीकीकरण की नीति के लिये हम अफ्रीकी देशों की आलोचना नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। हमारा दूतावास वहां भारतीय नागरिकों को संरक्षण दिलाने के लिये है। यह कानूनी प्रश्न नहीं है। यह केवल एक मानवीय प्रश्न है। मेरी राय में कीनियाई नागरिक, भारतीय नागरिक या ब्रिटिश पासपोर्टधारी में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। जिन लोगों को व्यापार लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे और जिन्हें भारतीय नागरिक होने के नाते भारत आना पड़ेगा, क्या उन्हें सरकार कोई सुविधाएं देगी क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उदाहरण के लिये उन्हें जहाज तथा स्टीमर नहीं मिल रहे हैं। वहां से महीने में एक जहाज चलता है। यह कठिनाई कीनिया तक ही सीमित नहीं है। फरवरी के अन्त तक उगांडा से 40,000 भारतीय भारत आएंगे। क्या उनके लिये अधिक जहाजों की व्यवस्था की जायेगी ? दूसरे, सीमा शुल्क अधिकारियों की ओर से भी उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है हालांकि वे अपना सामान ही ला पा रहे हैं, सम्पत्ति तो पीछे छोड़ ही आए हैं। क्या उनके साथ मानवीय दृष्टि से व्यवहार किया जायेगा और उनके प्रति उदार नीति अपनाई जायेगी ? तीसरे, क्या उनकी सम्पत्ति की समस्या का सरकार उसी प्रकार से हल निकालेगी जैसा कि ब्रिटेन ने किया है ? ब्रिटेन ने ब्रिटिश नागरिकों की जिम्मेदारी ले ली है और जो वहां ठीक ठाक पहुंच गये हैं उन्हें भुगतान किया गया है। परन्तु ब्रिटिश अधिकारी वाउचर नहीं देते हैं और इसी कारण उन्हें रोक लिया जाता है। क्या सरकार ब्रिटिश सरकार से इस बारे में लिखा पढ़ी करेगी ताकि उन्हें वाउचर जारी किये जा सकें और वे वहां जा सकें ?

श्री दिनेश सिंह : इस समय हमें यह देखना है कि हमारा क्या अधिकार और क्या स्थिति है और अन्य देशों के क्या अधिकार हैं। जब हम प्रभुत्व सम्पन्नता तथा गैर दखलअन्दाजी की बात करते हैं, तो अन्य देशों पर भी वही चीज लागू होती है। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें इन लोगों को भारतीय नागरिकों की दृष्टि से देखना चाहिये। वह यह भी कहते हैं कि चाहे वे कीनिया के नागरिक हैं या ब्रिटिश नागरिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यह कैसे कर सकते हैं ? हमें कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के भीतर काम करना है। हमें यह देखना है कि

क्या किया जा सकता है। वह हमें दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिये कह रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री दिनेश सिंह : जब हम उन भारतीयों की बात करते हैं, जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वे उस देश के नागरिक हैं।

श्री मनुभाई पटेल : मैं उन भारतीय नागरिकों के बारे में कह रहा हूं जो भारत आना चाहते हैं।

श्री दिनेश सिंह : उसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कठिनाइयां हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

"मिग" विमानों के खरीदने के लिये रूस के साथ करार

*62. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "मिग" विमान खरीदने के लिये रूस सरकार से कोई करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है तथा प्रत्येक "मिग" विमान का मूल्य क्या होगा ; और

(ग) ये विमान कब तक सप्लाई किये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). बीते समय में हमने यू० एस० एस० आर० से मिग विमान उड़ान हालतों में प्राप्त किए हैं। जैसे कि सदन को ज्ञात है। इन विमानों को अपने देश में निर्माण का हमारा नियमित कार्यक्रम है। अधिक विस्तार प्रकट करना लोकहित में न होगा।

रूपड़, हरिके और फीरोजपुर बांधों का भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरण

*66. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री 22 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4799 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपड़, हरिके और फीरोजपुर बांधों को पंजाब सरकार से लेकर भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित करने के औपचारिक निर्णय किये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अंतर्गत रोपड़, हरिके, और फिरोजपुर शीर्ष कार्यों पर भाखड़ा प्रबंधक

बोर्ड का ही नियंत्रण होना है किन्तु पंजाब सरकार यह कह रही है कि इन शीर्ष कार्यों पर उनका ही नियंत्रण रहने दिया जाए, इस मामले पर केंद्रीय सरकार विचार कर रही है ।

भारत-नेपाल वार्ता

*67. **श्री मयाबन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नारायणन : **श्री रणजीत सिंह :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल के बीच जनवरी, 1970 में नई दिल्ली में हुई वार्ता असफल हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के असफल होने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या दोनों सरकारें आगे वार्ता करने के लिये राजी हो गई हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार ने वार्ता को जारी रखने के लिए कोई पहल की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). व्यापार तथा परिवहन संधि, 1960 में व्यापार तथा परिवहन के मामलों में भारत तथा नेपाल के बीच सम्बन्धों की व्याख्या की गई है । समझौता ज्ञापन में, जो संधि में दी गई कतिपय प्रक्रियाओं का सम्पूरक है, यह व्यवस्था है कि भारत तथा नेपाल के अधिकारियों की एक अन्त: सरकारी संयुक्त समिति की बैठक यह सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर होगी कि दोनों देशों के परस्पर लाभ हेतु, व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को शीघ्रता से तथा सन्तोषजनक ढंग से हल कर दिया जाए ।

अन्त: सरकारी संयुक्त समिति की बैठक 8 से 16 जनवरी, 1970 तक नई दिल्ली में हुई । वार्ताएं, जो सद्भावपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में आरम्भ हुईं, पूरी नहीं हुईं और समिति की आगामी बैठक होने पर पुन: शुरू हो जायेगी ।

वार्ताओं का सम्बन्ध मुख्यत: निम्नलिखित विषयों से है, व्यापार का दिशा परिवर्तन, भारत में ऐसे नेपाली उत्पादों का आयात जो मुख्यत: नेपाली कच्चे माल पर आधारित नहीं हैं और नेपाली कच्चे माल पर आधारित कतिपय नेपाली उत्पादों का नि:शुल्क प्रवेश । अन्त: सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक के लिये अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाना

*68. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा : **श्री अदिचन :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष पेश किये गये योजना के प्रारूप की तुलना में इसमें क्या अन्तर है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). संशोधित चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा शीघ्र ही विचार किया जायेगा और इसके बाद यह योजना संसद के सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

राज्य व्यापार निगम की समीक्षा समिति की सिफारिशें

*69. **श्री जनार्दनन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम की समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं ।

(1) निदेशक बोर्ड को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । वित्तीय सलाहकार के पद को उन्नत करके वित्तीय निदेशक बना दिया गया है ।

(2) दिन प्रति दिन के मामलों को देखने और बोर्ड के कार्य को समन्वित करने के लिए उपाध्यक्ष का नया पद बनाने के प्रश्न पर निगम के कार्यकलापों के विकास को देखते हुए, बाद में विचार किया जायेगा ।

(3) यह बात सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई है कि नियन्त्रक कम्पनी अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से कार्य करे । इस विषय में विशिष्ट कार्यवाही तभी की जायेगी, यदि और जब कभी यह दिखाई देगा कि एक

सुनिश्चित क्षेत्र अथवा विशेष प्रभाग बन गया है जिसमें इस प्रकार का कार्य है और कार्य का परिमाण तथा क्षेत्र ऐसा है कि उसे सहायक कम्पनी बनाना उचित होगा ।

(4) यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम अब अथवा कुछ समय बाद नई प्रस्तावित नियन्त्रक कम्पनी की सहायक कम्पनी बन जाये, क्योंकि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य की प्रकृति तथा परिमाण ऐसे हैं कि इसका प्रबन्ध अन्य नियन्त्रक कम्पनी की सहायक कम्पनी के रूप में दक्षतापूर्वक नहीं किया जा सकता ।

(5) निगम के विदेशी कार्यालयों के लिये क्षेत्रीय व्यवस्था तथा विदेशों में नए कार्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित सिफारिशें नोट कर ली गई हैं। प्रत्येक कार्यालय के सम्बन्ध में निगम से विशेष सुझाव प्राप्त होने पर निर्णय किये जायेंगे ।

(6) विदेशों में कुछ प्रदर्शन-कक्षों को बिक्री संवर्धन के प्रभावी केन्द्रों में परिवर्तित करने की सिफारिश को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है ।

अन्य देशों के उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन

*70. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान में आयोजित की जाने वाली 'एक्सपो 70' प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक्सपो 70 एक व्यापारिक मेला नहीं है । इसका प्रधान विषय 'मानवता के लिये प्रगति तथा सामंजस्य' है । भाग लेने वाले देशों के मण्डपों में उनकी प्राचीन संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति को परिलक्षित किया जायेगा । राष्ट्रीय मण्डपों में उत्पादन तथा विपणन की तकनीक का प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शन नहीं किया जायेगा । परन्तु सरकार इस अवसर से लाभ उठाकर विभिन्न मण्डपों में निरुपित प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक प्रगति का अध्ययन करेगी ।

रामगंगा पर कालागढ़ बांध परियोजना

*71. **श्री झारखण्डे राय :**
श्री जागेश्वर यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रामगंगा पर कालागढ़ बांध परियोजना का काम तेजी से करने के लिये उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन कार्य में तेजी लाने के लिये निम्नलिखित पग उठाए गये हैं :

(1) 1969-70 में परियोजना के लिये पहले 10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव था । अब इसे बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं ।

(2) चालू वर्ष के कार्य के लिये मिट्टी के बांध के सेक्शन के डिजाइन में उपयुक्त सुधार ला दिया गया है ताकि नदी तल सामग्री का उपयोग सुविधाजनक हो जाए । इससे मिट्टी के बांध की ऊंचाई सुरक्षित स्तर तक पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी । मूल अभिकल्पित सेक्शन के अनुसार मिट्टी के बांध के निर्माण के लिये, परियोजना पर काम चलाऊ स्थिति में पड़े उपस्कर की आवश्यकता होती । इस संशोधित सेक्शन से चालू वर्ष के उत्पादन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकेगा ।

(3) व्यास परियोजना से रामगंगा परियोजना को बाटम डम्परों के लिये टायर स्थानान्तरित करने के लिये प्रबंध कर लिये गये हैं ताकि मशीनों का इष्टतम प्रयोग किया जा सके और इष्टतम उत्पादन किया जा सके ।

(4) इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन ने परियोजना पर काम में लाए जा रहे उपस्कर के लिये अत्यावश्यक पुर्जों को जहाजों द्वारा प्रेषित करने के लिये विशेष प्रबंध कर लिये हैं ताकि इस वर्ष के दौरान कार्य के लिये अधिकतम मशीनें उपलब्ध हो सकें ।

(5) 1971 और 1972 के वर्षों के दौरान निर्माण कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परियोजना के लिये अतिरिक्त सामान आयात करने के लिये प्रबंध कर लिये गये हैं ताकि इस परियोजना के जून, 1973 तक पूरा किया जा सके, जैसे कि पहले योजना बनाई गई थी ।

Wagon Deal with U. S. S. R.

*72. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Himat Singka : **Shri Rabi Ray :**
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. S. S. R. has rejected the Railway Wagon Deal concluded between India and U. S. S. R. ; and

(b) if so, the reasons stated by U. S. S. R. for rejecting the said deal ?

The Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri B. R. Bhagat): (a) and (b). The Railway Wagon Deal between India and the U.S.S.R. has not materialised so far because no agreement could be reached on the question of prices.

परमाणु बम का बनाया जाना

*73. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री देवेन सेन :**
श्री नाथू राम अहिरवार : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **प्रधान मंत्री**, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनी परमाणु शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाये जाने के कारण भारत अपनी परमाणु नीति में संशोधन करेगा और परमाणु बम बनायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). सरकार माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रश्न में व्यक्त चिंता को अच्छी तरह समझती है । फिर भी, सरकार का यह विश्वास है कि अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों के लिये कार्यक्रम का विस्तार करने में वैज्ञानिक और तकनीकी-ज्ञान की क्षमता को विकसित करने की हमारी वर्तमान नीति ही कुल मिलाकर राष्ट्र के लिये सब से ज्यादा हितकर है । अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी, सरकार अपनी नीति पर निरन्तर विचार करती रहती है और ऐसा करते समय राष्ट्र की रक्षा और उसकी बचाव की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है ।

Supply of Arms by U. S. S. R. to Pakistan

*74. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Janeshwar Misra :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that U. S. S. R. have supplied/promised to supply arms to Pakistan ;

(b) if so, the types of arms supplied/promised to be supplied ;

(c) whether Government have expressed her concern over the matter to the Government of U. S. S. R. ; and

(d) if so, their reaction in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) According to our information, the Soviet Union has supplied tanks, 130 mm guns and ammunition, radar sets, helicopters, spare parts for tanks and other miscellaneous military stores. There is no confidence of the types of military equipment which the Soviet Union may have further agreed to supply.

(c) and (d). We have conveyed to the Soviet authorities our concern over these supplies. It has been pointed out to them that any accretion to the armed strength of Pakistan, having regard to Pakistan's military collusion with China, posses a grave threat to India's security and that supplies of arms to Pakistan would accentuate tension in the sub-continent. We hope that Soviet Government and other Governments will take due note of this.

आणविक शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने संबंधी सन्धि

*75. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक शस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रश्न के बारे में भारत तथा बड़ी शक्तियों के दृष्टिकोणों में अन्तर है ;

(ख) हैलसिंकी तथा अन्य स्थानों में एस० ए० एल० टी० वार्ता के दौरान मालूम हुए आणविक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सरकार का मूल्यांकन क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार भारत तथा आणविक शक्ति वाले देशों के बीच पारस्परिक उत्तरदायित्वों तथा दायित्वों को पूरा करने की वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। इस बात पर सरकार के विचार सर्व-विदित हैं।

(ख) नवम्बर-दिसम्बर, 1969 में हैलसिंकी में संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के अधिकारियों के बीच सामरिक अस्त्रों को सीमित करने के विषय पर जो बातचीत हुई थी वह द्विपक्षीय और गुप्त थी। इस बातचीत का उद्देश्य इन महान शक्तिमान राष्ट्रों की नाभिकीय अस्त्रों की पहली मार करने की क्षमता को सीमित करने की संभावनाओं का पता लगाना था, इस प्रयोजन से कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच नाभिकीय शक्ति के वर्तमान संतुलन को स्थिर किया जा सके क्योंकि, ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह नाभिकीय युद्ध को रोकने का एक उपाय सिद्ध होगा। सरकार को हैलीसिंकी में हुये बातचीत का ब्योरा ज्ञात नहीं है।

(ग) जी नहीं। सरकार ने हमेशा इसी बात का समर्थन किया है कि नाभिकीय अस्त्रों के विस्तारण-प्रसारण और भण्डारण को एक साथ ही रोकना चाहिए और अन्तिम लक्ष्य सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण होना चाहिए। नाभिकीय अस्त्रों वाले राष्ट्र इस समय नाभिकीय अस्त्रों का जो भण्डाकरण कर रहे हैं उससे हथियारों की होड़ की प्रवृत्ति बढ़ती है जो कि विश्व शान्ति के लिये खतरनाक है।

रूस द्वारा भारी मशीनों की खरीद

*76. **श्री श्रीचन्द्र गोयल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस हमारे देश से भारी मशीनें खरीदने का इच्छुक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सम्भावनाएं हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री बलिराम भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) सोवियत सहायता से भारत में स्थापित औद्योगिक उद्यमों में निर्मित मशीनों तथा उपकरणों जैसे कि क्रेनों, खनित्रों आदि का वर्ष 1970-71 के बाद सोवियत संघ को निर्यात करने की सम्भावना है ।

देश के अन्दर खपत पर नियंत्रण करके निर्यात के लिये अधिक भण्डार तैयार करने का विरोध

*77. **श्री धीरेश्वर कलिता** :

श्री कं० हाल्दर :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष ने देश के अन्दर की खपत को कम करके निर्यात करने हेतु अधिक भण्डार तैयार करने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री बलि राम भगत) : (क) 15 दिसम्बर, 1969 को हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि दीर्घकालिक निर्यात की योजना का आधार केवल घरेलू खपत को कम करने की बजाय उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिये ।

(ख) निस्सन्देह सरकार इस बात को मानती है कि निर्यात बढ़ाने के लिये उत्पादन बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु अल्पकाल के लिये, अभावों के कारण निर्यातों को बनाए रखने और विदेशी मुद्रा के उपार्जन के लिये कभी-कभी घरेलू खपत में, यथासंभव संयम आवश्यक हो जाता है ।

विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

*78. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी प्रत्येक राज्य में कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों की उपेक्षा के लिये केन्द्र और राज्य एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार एक उच्चस्तरीय आयोग नियुक्त करने का है जो इस पिछड़ेपन के लिए किसी पर जिम्मेदारी डाले तथा इन क्षेत्रों को अन्य विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए प्राथमिकताओं के बारें में निर्णय ले ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा आयोग कब तक नियुक्त किया जायेगा और यदि कोई आयोग नियुक्त नहीं किया जायेगा तो भारत सरकार का विचार राज्य सरकार के सहयोग से अथवा स्वयं किस प्रकार इन पिछड़े हुए क्षेत्रों की स्थिति को सुधारने का है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) कुछ हद तक विभिन्न क्षेत्रों के विकास स्तरों में अन्तर उनकी भौगोलिक परिस्थितियों और साधन सम्पन्नता के कारण है । परन्तु पर्याप्त इन्फ्रा-स्ट्रक्चर सुविधाओं की कमी भी कुछ क्षेत्रों में पिछड़ेपन के मुख्य कारणों में से है और इन्फ्रा-स्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास में असंतुलनों को समाप्त करना योजना के महवत्पूर्ण उद्देश्यों में से एक है ।

(ख) आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध संयुक्त भागीदारी के हैं जो निरन्तर अध्ययन, मूल्यांकन और विचारों के स्पष्ट आदान-प्रदान पर आधारित हैं । इन्हें दोषारोपण मानने की भूल नहीं होनी चाहिए ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चौथी योजना के मसौदे में खासतौर से अनुकूल स्थानीय आवश्यकताओं, सम्भावनाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विकास की स्कीमें अपनाकर पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिये राज्यों से प्रार्थना की गई है । इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 के प्रारूप के पृष्ठ संख्या 17 से 19 तक ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसकी एक प्रति अप्रैल, 1969 में सभा-पटल पर रखी गई थी । उन्हें अत्यन्त पिछड़े हुए जिलों को बताने के लिये भी कहा गया है जोकि पाण्डे एवं वांचू कार्यकारी दल की रिपोर्ट की शर्तों तथा योजना आयोग के द्वारा आयोजित मुख्य मंत्रियों की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार वित्तीय रियायत तथा प्रोत्साहनों के योग्य होंगे ।

अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के लिए पृथक-पृथक नौसैनिक बेड़े

*79. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**

श्री बेधर बेहरा :

श्री ज० अहमद :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के लिये पृथक-पृथक नौसैनिक-बेड़ों को रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार तटीय-समुद्रों में गश्त लगाने के लिये वाणिज्यिक कम्पनियों

द्वारा गैर-सरकारी बिक्री के लिये निर्मित छोटी-छोटी पनडुब्बियों की खरीद करके नौसेना को मजबूत बनाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो छोटी-छोटी पनडुब्बियाँ प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

प्रतिक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). नौसेना संक्रियात्मक नियन्त्रण प्राधिकरणों के अधीन तीन कमानों में विभाजित है, कि जो अपने-अपने सागर सत्ताधिकार में, सभी नौसैनिक संक्रियाओं के लिये उत्तरदायी हैं। नौसेना की मुख्य यूनिटें एक भारतीय बेड़े के रूप में संगठित हैं।

(ग) तथा (घ). बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अपने कृत्य को निभाने के लिये नौसेना के आधुनिकीकरण और तैयारी के लिए विभिन्न पग उठाए जा रहे हैं।

एक ठेकेदार द्वारा जवानों को अपमिश्रित दूध की सप्लाई

*80. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने पर जनवरी, 1970 के अन्तिम सप्ताह में इस बात का पता चला था कि एक ठेकेदार ने हमारे जवानों के पीने के लिये अपमिश्रित दूध सप्लाई किया था ;

(ख) उस क्षेत्र में ऐसा कब से हो रहा था ;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदार को उनके इस अपराध के लिये क्या सजा दी गई है ; और

(घ) क्या ऐसी ही जांच अन्य सैनिक शिविरों तथा संस्थाओं में भी की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। तदपि यह सच है कि 14 जनवरी, 1970 को सी० बी० आई० ने कलकत्ता के मिलिट्री फार्म डिपो से दूध के नमूने लिए थे। उनकी परीक्षण रिपोर्ट अभी सी० बी० आई० से प्रतीक्षित है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) एस० पी० ई० अम्बाला से 13 जनवरी, 1967 को सम्बा में निम्न स्तर के दूध की सप्लाई तथा कथित सप्लाई के एक मामले की रिपोर्ट मिली थी। मामले की जांच की गई थी, परन्तु सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन की सलाह पर अन्त में मामला त्याग दिया गया था।

जामनगर में निम्नस्तर की दूध की तथाकथित स्वीकृति के एक और मामले की 1969 में जांच की गई थी, और आरोप झूंठा पाया गया था।

अंतर्राज्य सप्लाई तथा बिक्री के लिये बिजली की टैरिफ

*81. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिजली की अंतर्राज्य सप्लाई तथा बिक्री के लिये टैरिफ निर्धारित करने हेतु 1966 में बनाई गई समिति की स्वीकृत सिफारिशों का पालन करने के लिये राज्य सरकारों तथा राज्य बिजली बोर्डों को निदेश दिया है ; और

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में सहयोग करने से इन्कार कर दिया है और इससे देहातों में बिजली आदि लगाने में बाधा पड़ रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). बिजली की अन्तर्राष्ट्रीय सप्लाई की दरें निर्धारित करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने हेतु सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों की विभिन्न बैठकों में और अन्ततः मई, 1969 में नैनीताल में हुए राज्यों के सिंचाई व बिजली मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार हुआ था । स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धान्त रूप से नीचे दिये जाते हैं :

(1) अन्तर्राज्यीय सप्लाई की लागत उत्पादन की सामूहिक लागत पर (खरीदी गई बिजली की लागत समेत, यदि कोई है) और उस ग्रिड के पारेषण की उपयुक्त लागत पर, जहां से विक्रयकर्ता बोर्ड बिजली की सप्लाई कर रहा है, आधारित होनी चाहिए ।

(2) निम्नलिखित श्रेणियों के लिए दरें सप्लाई की लागत पर आधारित होनी चाहिए और उसमें निम्नलिखित रूप से लाभ तक शामिल होना चाहिए :

(क) तीन वर्षों और इससे अधिक की अवधि के लिए दीर्घकालीन सप्लाई— 3 % ।

(ख) तीन वर्षों से कम अवधि की अस्थायी बिजली सप्लाई ।

(1) एक वर्ष तक	1%
(2) दो वर्षों तक	2%
(3) तीन वर्षों तक	3%
(ग) मौसमी सप्लाई	½%
(घ) क्षेत्रीय प्रणालियों के समेकित चालन के लिये अन्तः सम्बद्ध प्रणालियों के बीच बिजली का विनिमय	½%
(ङ) आपात कालिक सप्लाई	कोई लाभ तत्व शामिल नहीं होना चाहिये

व्यस्ततम और अव्यस्ततम घंटों के दौरान बिजली की नियन्त्रित सप्लाई के सम्बन्ध में क्रय और विक्रयकर्ता बोर्डों के बीच दरें बातचीत द्वारा तय होनी चाहिये।

(3) (क) और (ख) श्रेणियों के सम्बन्ध में द्विभागीय दरें अपनाई जाएं और अन्य श्रेणियों से केवल उर्जा खर्च लिया जाए।

(4) बिजली की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कोई शुल्क अथवा कर नहीं लगाया जाए।

(5) विभिन्न विवेचनों और परिकलनों से उठने वाले विवाद केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को निर्दिष्ट किये जाएं जिनका निर्णय दोनो पक्षों को स्वीकार्य होगा।

स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धांत सभी राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के पास भारत के राजपत्र में अधिसूचित संकल्प, दिनांक 27 नवम्बर, 1969 द्वारा भेज दिये गए हैं और किसी राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं की है।

दिल्ली में बिजली की कमी

*82. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री न० रा० देवघरे :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 दिसम्बर, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि राजधानी में दिसम्बर, 1969 में बिजली की सप्लाई बहुत कम थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) दिल्ली में बिजली की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). प्रेस रिपोर्ट वायलर की मरम्मतों के लिये 21 दिसम्बर, 1969 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र के यूनिट संख्या 2 (62.5 मैगावाट) के बन्द होने के परिणामस्वरूप दिल्ली में बिजली की कमी होने की सम्भावना के बारे में और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा निकट भविष्य में स्थानीय बिजली सप्लाई को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों जैसे यूनिट संख्या 3 की मरम्मतों तथा इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में 55 मैगावाट की एक अतिरिक्त यूनिट के प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में थी।

यूनिट संख्या 2 मरम्मत के पश्चात 25 दिसम्बर 1969 को पुनः चालू कर दिया गया था। यह यूनिट हाइड्रालिक आयल प्रैसर के विफल हो जाने के कारण जनवरी, 1970 में फिर बन्द कर दिया गया था और मरम्मत तथा आजमायशी परीक्षणों के पश्चात 21 फरवरी, 1970 से पुनः चालू कर दिया गया था। जिन दिनों को यह यूनिट बन्द रहा, उन दिनों को दिल्ली की बिजली सप्लाई की पूरी मांग को भाखड़ा-नांगल प्रणाली से और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अन्य यूनिटों से पूरा किया गया था। यूनिट संख्या 2 बन्द रहने के समय के दौरान दिल्ली में कोई भार-विकीर्ण नहीं किया गया था।

आशा है कि 62·5 मैगावाट के यूनिट संख्या 3 की मरम्मत का काम जो 24 जुलाई, 1969 को बड़ी मरम्मतों के लिये बन्द कर दिया गया था, मई-जून, 1970 तक पूरा हो जायेगा। इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में 55 मैगावाट के अतिरिक्त यूनिट के प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में काफी प्रगति हो चुकी है और इस यूनिट के सितम्बर, 1970 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के विदेश मंत्री को निमन्त्रण

*83. **श्री धी० ना० देव :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि वैदेशिक-कार्य मंत्री ने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के विदेश मंत्री को राज्य अतिथि के रूप में भारत आने का निमन्त्रण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह गुटबन्दी से दूर रहने की नीति के अनुरूप है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (डा० दिनेश सिंह) : (क) विदेश मंत्री लोक सभा में पहले यह कह चुके हैं कि श्रीमती बिन्ह से हनोई में मिलने पर उन्होंने उनसे कहा था कि भारत उनके आने का स्वागत करेगा, जिससे वियतनाम की स्थिति पर उनसे और आगे बातचीत करने का हमें अवसर प्राप्त हो।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत का स्थान होने के कारण यह भारत के लिये वांछनीय है कि वह वियतनाम में सभी दलों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करे। यह भारत सरकार की गुट निरपेक्ष नीति के अनुरूप है।

रुई का आयात करने के लिये एक एजेंसी की स्थापना

*84. **डा० रानेन सेन :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970-71 से रुई का आयात करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक एजेन्सी स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में राज्य मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र एजेन्सी के सम्बन्ध में ब्योरे तैयार करने के लिये स्थापित की गई सरकारी समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और सरकारी क्षेत्र एजेन्सी की स्थापना के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

एक्सपो 70 के लिये विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

*85. **श्री राम चरण** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 10 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओसाका, जापान के एक्सपो 70 के लिये कुल कितने विभागीय अधिकारी चुने गये हैं जो सम्भवतः वहां भेजे जायेंगे ; और

(ख) चुने गये और जापान को भेजे जाने वाले अधिकारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अधिकारी हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) चौंतीस ।

(ख) तीन ।

चीन से लौट रहे नागाओं का पकड़ा जाना

*86. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री य० अ० प्रसाद :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **दैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 300 से अधिक नागाओं को पकड़ा गया है जिनमे से कुछ नागाओं के पास, जो चीन से लौट रहे थे, चीन के शस्त्रास्त्र तथा अनुदेश पुस्तकें थीं और जिनको निरोधक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया था तथा उनमें से 200 नागाओं को निरोधक नजरबन्दी अधिनियम के 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त होने से पहले ही छोड़ दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या नागा विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने के लिए नागालैंड और आसाम की एक ही न्यायपालिका रखने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). चीन द्वारा प्रशिक्षित 274 छिपे नागाओं को पकड़कर निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया था । 76 नागाओं के अन्य एक गिरोह को इसी कानून के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया और इसे चीन जाते समय रास्ते में पकड़ लिया गया था । इस कानून के खतम होने पर इन सभी को रिहा कर दिया गया । लेकिन इनमें से 134 व्यक्तियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था । इन व्यक्तियों के खिलाफ कोहिमा में एक मुकदमा दर्ज था और इसमें उनकी तलाश थी । चूंकि राज्य सरकार को इन लोगों के खिलाफ नागालैंड में कानूनी कार्रवाई करने में कुछ दिक्कत थी, इसलिए राज्य सरकार के आवेदन पर असम उच्च न्यायालय और नागालैंड ने अन्तरिम आदेश जारी करके इन अभियोगियों को नौगांव के जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार-क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया ।

हिन्द महासागर में विदेशी नौसेना की उपस्थिति

*87. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर में अभी भी कुछ विदेशी नौसेनाएं विद्यमान हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). हम अपने जलीय क्षेत्रों में विदेशी युद्धपोतों के प्रवेश का नियन्त्रण करते हैं। भारतीय बन्दरगाहों में हम उन्हें सरकार की अनुमति से ही आने देते हैं। तदपि अपने जलीय क्षेत्रों के बाहर हिन्द महासागर में विदेशी नौसैनिक पोत का अस्तित्व पाया गया है। जैसा कि सदन में पहले बताया गया है, सरकार हिन्दमहासागर जैसे क्षेत्र को तनावों विमुक्त रखना चाहती है, और नाभिकीय आयुधों से एक विमुक्त क्षेत्र।

Import of Spare Parts for Vijayanta Tank

*88. **Shri Atam Das:**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the parts used in the manufacture of tanks in Indian factories are still being imported from foreign countries ;

(b) whether it is also a fact that more than half of the parts used in the Vijayanta tank have been imported from abroad ; and

(c) if so, the difficulty being experienced in manufacturing all the parts in the country and if efforts are being made in this direction, the time by which the scheme would be completed ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). No, Sir. Over 55 per cent of the components of the Vijayanta tank, in terms of value, are being produced within the country. The import content is being progressively reduced by developing new indigenous sources both in the public and private sectors and by augmenting existing capacity. Except for certain items, required in small quantities, for which it is not economical to set up indigenous capacity, all the components of the Vijayanta tank are expected to be produced within India.

परमाणु हथियारों की निर्माण लागत के बारे में जांच

*89. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री बलराज मधोक :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु हथियारों के निर्माण लागत के बारे में जांच की है ;

(ख) क्या यह अध्ययन अणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष के अनुरोध पर आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह अध्ययन आरम्भ करने के लिये अध्यक्ष ने क्या कारण बताये हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

लोकतक परियोजना

*90. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकतक परियोजना के कार्य में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना का कार्य गम्भीरता के साथ कब आरम्भ किया जायेगा ;

(ग) इस परियोजना के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिये कुल कितनी अवधि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विस्तृत अनुसंधान कार्य पूर्ण हो गया है । पहुंच सड़कों, कालोनी के भवनों के निर्माण के लिए और निर्माण विद्युत आदि के लिए प्रबंधों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। परियोजना का विस्तृत अभिकल्प कार्य चल रहा है ।

(ख) परियोजना का वास्तविक निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा ।

(ग) चतुर्थ योजना के अन्तर्गत इस परियोजना के लिए 1090.49 लाख रुपये की राशि का प्रबन्ध किया गया है ।

(घ) इस परियोजना के चतुर्थ योजना के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है ।

कुल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय

401. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक वर्षवार, स्थिर मूल्यों के आधार पर, कुल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय क्या है ;

(ख) विकसित देशों, अन्य विकासशील देशों और ऐसे देशों में जिनकी अर्थ व्यवस्था केन्द्र से नियन्त्रित है, के बीच भारत की क्या स्थिति है ;

(ग) वर्ष 1966-67 और 1968-69 के बीच उक्त वर्गों के अधीन देशों में कुल राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की संयुक्त दर क्या थी ;

(घ) वर्ष 1966-67 और 1968-69 में भारत समेत उक्त वर्गों के अधीन देशों में (i) अन्न (ii) कृषि उत्पादनों (iii) औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की संयुक्त दर क्या थी; और

(ङ) वर्ष 1966-67 से वर्ष 1968-69 तक वर्षवार भारत समेत उक्त के अधीन देशों में कुल राष्ट्रीय आय में (i) कृषि (ii) व्यवस्थित उद्योग एवं खानों (iii) छोटे उद्योगों और (iv) सेवा का कितना भाग था ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत में 1966-67 तथा 1967-68 के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रतिव्यक्ति आय के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	कुल राष्ट्रीय उत्पाद (करोड़ रुपये)	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद (रुपये)
1966-67	16233	323.5
1967-68	17622	342.6

1968-69 के लिए इस प्रकार के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1960-61 की कीमतों के आधार पर 1966-67 से 1968-69 के लिए तदनुरूप कुल तथा प्रतिव्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	कुल शुद्ध राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (रुपयों में)
1966-67	15173	302.4
1967-68	16525	321.3
1968-69	16830	319.3

(ख) 1963-64 के दौरान (जिसके लिए तुलनात्मक दृष्टि से प्रायः पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं) विकसित एवं अन्य विकासशील देशों के बीच प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भारत की स्थिति निम्नलिखित है :—

	प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय (संयुक्त राज्य अमरीकी डालर में)
विकसित देश	1366
विकासशील देश	128
उनमें भारत	78

केन्द्र द्वारा आयोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों के बारे में तुलनात्मक अनुमान (के आंकड़े) उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ). उपर्युक्त श्रेणी के देशों के अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। भारत के बारे में

तदनुरूप आंकड़े जिस सीमा तक उपलब्ध हैं, निम्नलिखित हैं :

	1966-67 तथा 1968-69 के बीच विकास-दर का मिश्रयोग (मिश्र संकलन)
शुद्ध राष्ट्रीय आय	5.3%
प्रतिव्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय	2.8%
खाद्यान्न उत्पादन	13.1%
कृषि उत्पादन	9.8%
1966 और 1968 के पंचाग वर्ष के बीच औद्योगिक उत्पादन।	2.8%

क्षेत्रक (सेक्टर)	कुल शुद्ध राष्ट्रीय आय में प्रतिशत अंश	
	1966-67	**1967-68**
कृषि	47.8	51.9
संगठित उद्योग तथा खनन	9.6	8.4
छोटे पैमाने का उद्योग	5.6	5.2
सेवा	30.9	29.0
अन्य क्षेत्रक	6.1	5.5
जोड़ :	100	100

Irrigation Projects for Madhya Pradesh

402. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of project sanctioned for Madhya Pradesh during the last three years and the cost of each project ;

(b) the acreage of land to be irrigated in Madhya Pradesh after the completion of these projects ; and

(c) the actual acreage of land being irrigated at present by big and medium projects in that State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). A statement giving the requisite information is attached.

Statement

Statement showing Projects Sanctioned in Madhya Pradesh during the period from 1-1-67 till date

Sl. No.	Name of Scheme	Estimated cost in Rs. lakhs	Ultimate benefits in lakh acres	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Hasdeo Right Bank Canal	497.21	1.17	
2.	Dudhwa (Revised estimate)	311.34	*	*No direct benefits. Benefits are under "Remodelling Mahanadi Canal system."
3.	Remodelling Mahanadi Canal System	282.69	1.40	
4.	Bagh Right Bank Canal	371.98	0.528	
5.	Kunwarpur Tank	85.64	0.105	
6.	Bargoor Nala Tank	70.14	0.06	

(c) By the end of 1968-69, the area irrigated from major and medium schemes in Madhya Pradesh was 16.88 lakh acres.

निर्यात और आयात का मूल्य

403. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में यूरोप में रूस, पोलैंड, जर्मन लोकतंत्री गणराज्य, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, बल्गारिया, हंगरी, अलबानिया और यूगोस्लाविया, लातीनी अमरीका में क्यूबा और एशिया में चीन साम्यवादी गणराज्य, उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम और मंगोलिया को कुल कितने कितने मूल्य की परम्परागत तथा अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ख) इन वर्षों में वर्षवार कितने मूल्य की मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया गया ; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में उल्लिखित देशों से हमने कितने मूल्य के माल का आयात किया ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण सलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2588/70]**

मैसर्स डायमन्ड ड्रम एण्ड बकट फैक्ट्री, बम्बई के विरुद्ध शिकायत

405. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैसर्स डायमन्ड ड्रम एण्ड बकट फैक्टरी, 168, बेपरी रोड, टू टैक्स, बम्बई द्वारा अग्रिम निर्यात कोटे का दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) शिकायतों में ये आरोप लगाए गये थे :

(1) निर्यात लाइसेंसों का दुरुपयोग ;

(2) जी० पी० चादरों के अग्रिम कोटे का दुरुपयोग ; और

(3) निर्यात दायित्व को, जिसके आधार पर फर्म ने अग्रिम कोटा प्राप्त किया था, पूरा न करना ।

(ग) जांच चल रही है और उसके पूरा हो जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी ।

श्रीलंका में भारतीय लोग

407. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 में राष्ट्रपति के साथ श्रीलंका गये मंत्री ने श्रीलंका के नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों के साथ श्रीलंका में बसे भारतीयों के साथ किन मुख्य प्रश्नों पर बातचीत की ; और

(ख) क्या कच्चाटीवू पर भी चर्चा हुई थी ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत और श्रीलंका के संबंध और सुदृढ़ हों, यही बातचीत का प्रधान विषय था ।

(ख) जी नहीं ।

प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा प्रकाशित विज्ञान की पत्रिकायें

408. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा प्रकाशित विज्ञान की पत्रिकाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या ये प्रकाशन विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ये पत्रिकाएं विश्वविद्यालयों और कालेजों में लोकप्रिय हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन प्रकाशनों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) डिफेंस साइंटिफिक इन्फार्मेशन तथा डाकुमेंटेशन सेंटर दिल्ली, डिफेंस आर० एण्ड डी० संगठन की ओर से निम्न वैज्ञानिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है :

1. डिफेंस साइंस जर्नल
2. आर० एण्ड डी० डाईजेस्ट

3. पापुलर साइंस एण्ड टैक्नालोजी (तदर्थ प्रकाशन)

1. **डिफेंस साइन्स जर्नल :** मूल तथा व्यवहार में आने वाले विज्ञानों पर मौलिक अनुसंधान लेख प्रकाशित करता है, और रक्षा समस्याओं संबंधी विज्ञान और टेकनालोजी की लगभग सभी शाखाओं को आवृत करता है ।

2. **आर० एण्ड डी० डाईजेस्ट :** आर० एण्ड डी० प्रयोगशालाओं/सिब्बंदियों के प्रतिबंधित कार्य और उपलब्धियों तथा उनकी रक्षा समस्याओं के लिए प्रयोग का वर्णन करता है ।

3. **पापुलर साइन्स एण्ड टैक्नालोजी (पी० एस० टी०) :** साइंस और टैक्नालोजी में रुचि, विशेषकर रक्षा रुचि के विषयों में रुचि को सर्वप्रिय बनाने और बढ़ाने के लिये शुरू किया गया था । यह सहज भाषा में सूचना प्रसारित करने का प्रयास करता है, और वैज्ञानिक विचारों को स्पष्ट करने के लिये चित्रित भी है । यह प्रकाशन अमूल्य है ।

(ख) अभिस्थापित अनुसंधान प्रायोजनाओं को आगे बढ़ाने में आर० तथा डी० कार्मुकों की सहायता, तथा आधुनिक विज्ञान और टैक्नालोजी की अधिप्राप्ति की सादा भाषा में सेवा अफसरों के ध्यान में होने के विशिष्ट उद्देश्य से यह प्रकाशन प्रकाशित किये जाते हैं। स्कूलों और कालिजों के छात्र भी इन पत्रिकाओं के अध्ययन का लाभ उठा सकते हैं ।

(ग) जैसे ऊपर कहा गया है, यह प्रकाशन विश्वविद्यालयों और कालिजों के लिए अभिप्रेत नहीं, परन्तु विशिष्ट प्रार्थना पर उन्हें कुछ प्रतियां प्राप्य की जाती हैं ।

(घ) (1) संसद की एस्टीमेट्रिस कमेटी की सिफारिशों पर, रेल पुस्तकालयों और अन्य मान्यतादत्त पुस्तक विक्रेताओं को देते हुए पी० एस० टी० पत्रिका को सर्वप्रिय बनाने के लिए पग उठाए गए हैं ।

(2) चाहे आर० एण्ड डी० डाईजेस्ट मुख्यतः सेवाओं के तथा आर० एण्ड डी० सेविवर्ग के लिए अभिप्रेत है, कुछ प्रतियां विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और राष्ट्रीय छात्रबल को भी वितरित की जाती हैं कि जिन्हें डिफेंस आर० एण्ड डी० सिब्बन्दियों/प्रयोगशालाओं में हो रहे कार्य में रुचि है ।

सैनिक विनियम तथा प्रपत्र निदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन

409. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक विनियम तथा प्रपत्र निदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों के नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक प्रकाशन की कितनी प्रतियां छपाई गईं ;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष प्रत्येक प्रकाशन की कितनी प्रतियां बिकीं ;

(घ) प्रत्येक प्रकाशन की कितने प्रतिशत प्रतियां नहीं बिकीं ; और

(ङ) प्रकाशनों की इतनी अधिक प्रतियां बिना बिके रहने के क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2589/70]**

बिहार सरकार द्वारा छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था

410. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार सरकार सिंचाई सुविधाओं के मामले में छोटा नागपुर और सन्थाल परगना क्षेत्रों की नितान्त उपेक्षा कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के कुल कृषि योग्य क्षेत्र में कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं और बिहार के शेष क्षेत्र में कुल कृषि योग्य क्षेत्र में कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जल संसाधन और उनके उपयोग के लिये प्रौद्योगिक रूप से अनुकूल स्थल एकसम वितरित नहीं हैं और इसलिए सिंचाई विकास की सम्भाव्यताएं क्षेत्र प्रति क्षेत्र भिन्न-भिन्न होंगी। इसके अतिरिक्त चूंकि "सिंचाई" एक राज्य विषय है सिंचाई परियोजनाओं के परिव्ययों को राज्य की योजनाओं की सम्पूर्ण निर्धारित राशियों और सेक्टर-वार परिव्ययों में से ही पूरा किया जाना है। इन परिसीमनों के अन्तर्गत, राज्यों की सिंचाई परियोजनाएं इस उद्देश्य से कार्यान्वित की जाती हैं कि उनसे राज्यों के भीतर के क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके, खाद्यान्न उपज की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और विशेषकर पिछड़े तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में तथा बिहार के शेष क्षेत्रों में बृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान सिंचाई शक्यता और कृष्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

	कृष्य क्षेत्र	वृहद और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई शक्यता
	(लाख एकड़ों में)	
छोटा नागपुर और सन्थाल परगना	55	3.21
शेष बिहार	188	20.79

राज्यों के योजना परिव्यय में कथित असमानता

411. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार का ध्यान निम्नलिखित में भारी असमानताओं की ओर दिलाया है ; (i) राज्यवार प्रति व्यक्ति आय ; (ii) राज्यवार प्रति व्यक्ति योजना व्यय ; (iii) राज्यवार प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता ; और (iv) पिछले 18-19 वर्ष का केन्द्र का अपना राज्यवार प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिव्ययों और असमानताओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस असमानता को कम करने के लिये वित्तीय और आर्थिक क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). राज्य योजना में परिव्यय प्रति व्यक्ति के आधार पर निश्चित नहीं किया जाता है। परन्तु जिन राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, उन्हें केन्द्रीय सहायता का भाग देते समय प्रति व्यक्ति आय की असमानता ध्यान में रखी गई है।

केन्द्रीय योजना में परिव्यय कुल मिलाकर पूरे देश के आधारभूत सामाजिक आर्थिक ढांचे के विकास के लिये निश्चित किया जाता है और इसीलिए इनका राज्यवार विभाजन नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा निकाली गयी राज्यवार प्रति व्यक्ति आय का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का विवरण चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रारूप के पृष्ठ 17-19 पर दिया गया है, इस प्रारूप की एक प्रति अप्रैल 1969 में सभा-पटल पर रख दी गई थी। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2590/70]**

कानपुर की आर्थिक संकटग्रस्त मिलों को अधिकार में लेना

413. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग तथा कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने के लिये कानपुर की आर्थिक संकटग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के लिये एक प्राधिकृत नियन्त्रक पहले ही नियुक्त कर दिया गया है। कानपुर के अन्य मिलों के प्रबन्ध को अपने अधीन लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी बागान का राष्ट्रीयकरण

414. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बागान मालिकों ने कुल कितना धन भारत के चाय और रबड़ बागान में लगाया हुआ है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उन्हें इन बागानों से कितना वास्तविक लाभ हुआ था ;

(ग) क्या इन विदेशी स्वामियों वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) मार्च, 1967 के अन्त में, और वही अन्तिम वर्ष है जिसके पूरे आंकड़े रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के पास उपलब्ध हैं, बागान उद्योग में लगी हुई विदेशी पूंजी 128.7 करोड़ रु० थी। इस धनराशि में स्टर्लिंग कम्पनियों की शाखाओं द्वारा लगाया हुआ 113.7 करोड़ रुपया शामिल है।

(ख) वर्ष 1964-65, 1965-66 तथा 1966-67 में बागान उद्योग से विदेशियों को होने वाले लाभ की कुल निवल आय क्रमशः 6.2 करोड़ रु०, 3.7 करोड़ रु० तथा 6.7 करोड़ रु० थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत अर्थ मूवर्ज द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण

415. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहन कृषि के विकास के लिये ट्रैक्टर निर्माण कार्य भारत अर्थ मूवर्ज, को सौंपने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). जापान के सर्वश्री कोमात्सु निर्माता कम्पनी से तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत भारत अर्थ मूवर्ज लि० द्वारा निर्माण के लिये हस्तगत क्रालर ट्रैक्टरों के तीन प्रारूपों में से एक अर्थात डी० 50-ए-15 क्रालर ट्रैक्टर अन्य बातों सहित कृषि के वाहन विकास की आवश्यकताएं जुटाने के लिए भी अभिप्रेत हैं। भिन्न संयोजनों के साथ भूमि उछार, हल चलाने, हैरो चलाने इत्यादि के लिये उपयुक्त यह एक 90 अश्वशक्ति का ट्रालर ट्रैक्टर है। भारत अर्थ मूवर्ज लिमिटेड द्वारा 1969-70 के दौरान इस प्रारूप के 125 संख्या में ट्रैक्टरों का निर्माण प्रत्याशित है, परन्तु अन्त में 800 की संख्या में डी-50 ट्रालर ट्रैक्टरों के वार्षिक उत्पादन का, उनका निर्माण कार्यक्रम है।

सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलें

416. **श्री अब्दुल गनीदार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कितनी ऐसी कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लिया है जिनके स्वामी अपने दायित्व को निभाने में असफल रहे हैं ; और

(ख) उन मिलों के नाम क्या हैं और उन्हें किस-किस तिथि को सरकार ने अपने अधिकार में लिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 21 सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के अधीन अपने अधिकार में ले लिया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2591/70]**

अधिकार में ली गई कपड़ा मिलों का पुनः चालू करना

417. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अधिकार में ली गई कपड़ा मिलों को कब तक पुनः चालू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मिलों के कर्मचारियों कोई क्षतिपूर्ति दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मिल कर्मचारी को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 21 सूती कपड़ा मिलों में से, जिनका प्रबन्ध अब तक सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-ए के अधीन अपने हाथ में लिया है, 19 मिलें पुनः चालू की जा चुकी हैं। शेष दो मिलों के शीघ्र ही पुनः चालू हो जाने की आशा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'तुरन्त तैयार होने वाली चाय' उद्योग की स्थापना

418. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 'तुरन्त तैयार होने वाली चाय उद्योग की स्थापना करने की अनुमति दे दी है और यदि हां, तो इस उद्योग की स्थापना कहां करने का विचार है ;

(ख) क्या उस फर्म को जिसे उपर्युक्त अनुमति दी गई है, चाय के व्यापार का कोई अनुभव नहीं है ;

(ग) क्या इस उत्पाद का केवल निर्यात ही होगा ;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ ऐसे अन्य उद्योगों को भी ऐसे एकक स्थापित करने की अनुमति देने का है, जो अपने उत्पादों का केवल निर्यात ही करें और यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं ; और

(ङ) इस प्रकार की अनुमति देने के लिये सामान्यतः किन-किन बातों पर ध्यान दिया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। 'तुरन्त तैयार होने वाली चाय' का एक सन्यन्त्र केरल राज्य में मुनेर में और दूसरा तमिलनाडु में चोलेडी में स्थापित किया गया है।

(ख) दोनों सम्बद्ध फर्मों को चाय अथवा 'तुरन्त तैयार होने वाली चाय' के व्यवसाय का अनुभव है। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है, यह एक नया उत्पाद है और उनके द्वारा तकनीकी जानकारी अपने विदेशी सहयोगियों से प्राप्त की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) उन दो फर्मों के अतिरिक्त जो 'तुरन्त तैयार होने वाली चाय' के निर्माण में लगी हुई हैं, एक अन्य फर्म, मैसर्स कोका कोला निर्यात निगम, नई दिल्ली की हरी चाय की पत्तियों से पेय आधार तथा सांद्रणों के निर्माण की प्रस्थापना को अनुमोदित कर दिया गया है। निर्दिष्ट शर्तों में से एक यह है कि उनके सम्पूर्ण उत्पादन का निर्यात किया जायेगा।

(ङ) फर्मों की ख्याति तथा विदेशी मुद्रा के व्यय के प्रश्न के अलावा मुख्य विचारणीय बात यह है कि उत्पाद के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त है या नहीं और विदेशी बाजारों में उत्पाद के लिये मांग है या नहीं।

मानव केशों से ऊन का उत्पादन

419. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रयोगशाला में मानव केशों से ऊन का उत्पादन करने सम्बन्धी प्रयोग सफल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि मानव केशों से ऊन का उत्पादन करने के एक सन्यन्त्र पर कार्य आरम्भ हो चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। डिफेंस रिसर्च लेबारेटरी (मैटीर्यल्ज) मानव बालों के एक प्रकार की बारीक ऊन तैयार करने के योग्य हो गई है।

(ख) तथा (ग). इस समय प्रयोगशाला पैमाने की तकनीक विकसित की गई है और वाणिज्य पैमाने पर उत्पादन की प्रावस्था अभी नहीं पहुंच पाई।

मणिपुर के हथकरघा उद्योग में सुधार

420. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में मणिपुर के हथकरघा उद्योग में सुधार करने के लिये तथा मणिपुर हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिये स्थापित बाजारों को बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार भारत के विभिन्न नगरों में हथकरघा उत्पादों के लिये स्टेट एम्पोरियम्स खोल रही है।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मणिपुर सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) हथकरघा उत्पादों के मानकी करण की दृष्टि से निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं :

(क) गुण-नियन्त्रण और (ख) परम्परागत डिजाइनों पर आधारित नये डिजाइन तैयार करना।

(2) निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है :

(क) 20 बुनकर समितियों की कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये 60,000 रुपये ;

(ख) 11 समितियों के लिये बिक्री डिपो खोलने के लिये 15,000 रुपये ;

(ग) 26 समितियों के लिये बेहतर किस्म के उपकरण खरीदने के लिये 20,000 रुपये ;

(घ) एक शीर्ष समिति को धागे पर परिवहन उपदान के रूप में 1,000 रुपये ;

(ङ) 30 समितियों को हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट के रूप में 50,000 रुपये ;

(च) 12 बुनकर समितियों को प्रबन्ध उपदान के रूप में 1,62,000 रुपये ।

(3) आदिवासी क्षेत्रों के 24 दक्ष बुनकरों को उनके हथकरघा लघु उद्योगों का सुधार करने के लिये वित्तीय सहायता दी गई है ।

(4) हथकरघा उत्पाद, राज्यीय शीर्ष हथकरघा समिति द्वारा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के सम्बद्ध निकायों के माध्यम से बिक्री के लिये प्राप्त किये जाते हैं।

(5) 11 बुनकर समितियों ने मणिपुर में हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिये बिक्री डिपो खोले हैं ।

(6) 8 बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों में 120 अकुशल बुनकर प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

नई दिल्ली में मणिपुर हैण्डलूम एम्पोरियम खोलना

421. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में मणिपुर हैण्डलूम एम्पोरियम खोलने के विषय में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस एम्पोरियम की स्थापना कहां और कब तक की जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). मणिपुर एम्पोरियम के भवन का नई दिल्ली में इर्विन रोड पर अभी निर्माण हो रहा है और मार्च-अप्रैल, 1971 में इसके खुल जाने की सम्भावना है।

तमिलनाडु के वस्त्र उद्योग में संकट

422. **श्री अ० कु० गोपालन** : **श्री राममूर्ति** :
श्री उमानाथ : **श्री के० रमानी** :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तमिलनाडु का वस्त्र उद्योग संकट में है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने संकटग्रस्त मिलों को सहायता के रूप में "स्टेपल फाइबर" के विशेष नियत का अनुरोध किया गया है ताकि तमिलनाडु का वस्त्र उद्योग पुनः पनप सके ;

(घ) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग पर गम्भीर संकट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ). स्टेपल फाइबर की बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण न होने के कारण, राज्य सरकार का अनुरोध व्यवहार्य नहीं था। तथापि कपास की अनुपूर्ति के लिये सरकार ने स्टेपल फाइबर की एक विशेष मात्रा का आयात करने का निर्णय किया है और इसका आवंटन देश की मिलों में किया जायेगा।

कच्चे माल के भण्डार की स्थापना

423. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात उद्योगों को औद्योगिक कच्चा माल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सप्लाई करने के लिये कच्चे माल के एक भण्डार की स्थापना करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Smuggling of Rice

424. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rice mill at Madan Murarka, Annapurna Rice Mill, Hanuman Rice Mill and Bubna Rice Mill situated in Jai Nagar, Bihar on the Indo-Nepal border have their branches in Lahan, Ikrahi, Sirha, Janakpur and all other places in Nepal ;

(b) whether Government are aware that the owners of said mills purchase paddy and extract rice therefrom in Jai Nagar and then send it to their above Centres in Nepal and thereafter rice is sent out from Galgalia on the permit obtained from the Nepal Government ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chaudhary Ram Sewak) : (a) As far as is known, the mills in question have no branches at Lahan, Ikrahi, Sirha and Janakpur.

(b) and (c). Do not arise.

ऊन साफ करने वाले अनधिकृत कारखानें

425. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कारखानों की मद-वार तथा कारखाना-वार. ऊन-नाइलोन तथा लम्बे रेशों से टाप्स बनाने की क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में ऊन साफ करने के अनधिकृत कारखानें हैं और यदि हां, तो कितने ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में ऊन साफ करने की देश में अनुमानत: कितनी क्षमता होगी और उक्त योजना में ऊन साफ करने की क्षमता रखने की अनुमति किस-किस को दी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री(चौधरी राम सेवक): (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ऊन साफ करने वाले एकक का नाम	स्थापित क्षमता (लाख पौण्ड में)
क-ऊन साफ करने वाले एकक	
1. वूल कामवर्स आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता ।	130
2. मौडैला वूलन्स, चण्डीगढ़ ।	45
3. आर० के० वूल कामवर्स, लुधियाना ।	37
4. पर्ल वूलन मिल्स, लुधियाना ।	30
5. ध्रुव वूलन मिल्स, बम्बई ।	15
6. फारेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एसोसियेशन, कोटा ।	15
7. डुन वैली कामवर्स, देहरादून ।	30
8. आल इण्डिया वूल कामवर्स कोप० सोसाइटी लुधियाना ।	12
9. एशियन कार्बिंग मिल्स, लुधियाना ।	8
10. पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स, खरड़ ।	8
	योग—330
ख-संश्लिष्ट टाप निर्माता	
1. वैलमेन इण्डिया, बम्बई ।	15·6
2. कामवैल्थ सेन्थेटिक्स, लुधियाना ।	10
3. आर० के० सैन्थेटिक्स, बम्बई ।	10
	35.6

(ख) उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार 17 ऊन साफ करने वाले एकक अनधिकृत बताये जाते हैं और उनमें से कुछ का दावा है कि वे ऊन साफ करने की मशीनों के लगाने पर नियन्त्रण लगने से पहले ही स्थापित हो गये थे। उनके मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

उत्तर वियतनाम द्वारा विद्रोही नागाओं को कथित प्रशिक्षण

426. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री दे० अमात :
श्री रा० वे० नायक :
श्री वि० नरसिम्हाराव :
श्री हेमराज :
श्री लखन लाल कपूर :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री न० कु० सांघी :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री ब्रजभूषण लाल :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जनवरी, 1970, को अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर वियतनाम विद्रोही नागाओं को प्रशिक्षण की सुविधाएं दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मामले को वियतनाम लोक गणराज्य के साथ उठाया गया था और इसे मानने से उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। सरकार इस स्थित को स्वीकार करती है।

दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार के प्रतिनिधि-मण्डल की भारत यात्रा

427. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री दे० अमात :
श्री नरसिम्हाराव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री ई० के० नायनार :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की 'अन्तरीय क्रान्तिकारी सरकार' के प्रतिनिधि-मण्डल ने

दिसम्बर, 1969 और जनवरी, 1970 में भारत की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या जब वे नई दिल्ली में आये थे तो प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अनेक अधिकारियों से मिले थे ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिनिधि-मण्डल के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत के दो गैर-सरकारी संगठनों के नियंत्रण पर दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार की ओर से 6 व्यक्तियों का एक दल भारत की यात्रा पर आया था और 13 दिसम्बर, 1969 से 9 जनवरी, 1970 तक यहां ठहरा था।

(ख) श्री वान तियन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री तथा विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से मिले थे।

(ग) इस तरह की बातचीत का विवरण बताने का दस्तूर नहीं है।

वियतनाम में लापता अमरीकी सैनिकों की पत्नियों की भारत यात्रा

428. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री कं० हाल्दर :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 के दूसरे सप्ताह में वियतनाम में लापता चार अमरीकी सैनिकों की पत्नियां भारत आई थीं ;

(ख) यदि हां, तो वे किन लोगों से मिली थीं तथा उनकी भेंट का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या उनकी यह यात्रा अमरीकी सरकार द्वारा प्रायोजित की गई थी ; और

(घ) क्या इन चार महिलाओं के वीजा के लिये आवेदन-पत्र अमरीकी सरकार के माध्यम से प्रेषित किये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वे प्रधान मंत्री और विदेश सचिव से मिले। उन्हें यह बताया गया कि उन्हें मानवोचित आधार पर ऐसी सहायता दी जाएगी, जो सम्भव हो सकेगी।

(ग) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि यह सरकार द्वारा प्रायोजित की गई थी।

(घ) जी नहीं।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध

429. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् सरकार ने सशस्त्र सेनाओं तथा सहायक सेनाओं के यूनिटों, टुकड़ियों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी एक आदेश जारी किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ संस्थाओं तथा व्यक्तियों के अनुरोध पर भी न तो उपर्युक्त आदेश को वापस लिया गया है और न ही उसे रद्द किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का इस आदेश को वापस लेने अथवा रद्द करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। महात्मा गांधी के अतिरिक्त किसी गैर-सरकारी व्यक्ति के चित्र का यूनिटों, विरचनाओं और प्रशिक्षण सिब्बन्दियों में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

नेपाल से भारतीय वायरलेस आपरेटरों का वापिस भेजा जाना

430. **श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री बलराज मधोक :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-नेपाल सीमा पर नियुक्त कुछ भारतीय वायरलेस आपरेटरों को भारत वापिस भेज दिया गया है और उनके स्थान पर नेपाली वायरलेस आपरेटरों की नियुक्ति कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वे भारत वापिस कब आये तथा उनकी संख्या कितनी थी ; और

(ग) चीन-नेपाल सीमा पर और कितने भारतीय वायरलेस आपरेटर हैं और उन्हें वहां से कब तक सेवामुक्त किये जाने की सम्भावना है और वे कब तक भारत आ जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत और नेपाल दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत चीन नेपाल-सीमा पर पड़ताल चौकियों की देख-रेख के लिये जिन भारतीय कर्मचारियों की सेवाएं नेपाल सरकार को उधार दी गई थीं, अब वे नेपाली कर्मचारियों द्वारा धीरे-धीरे प्रतिस्थापित की जा रही हैं।

(ख) और (ग). प्रतिस्थापन का काम दिसम्बर, 1969 से शुरू हुआ और अब तक आठ पड़ताल चौकियों से भारतीय कर्मचारी हटा लिये गये हैं। इस वर्ष के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है।

भारत और अफ्रीकी देशों के आपसी सम्बन्धों का मजबूत बनाया जाना

431. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अफ्रीकी देशों के आपसी सम्बन्धों, आर्थिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने, व्यापार तथा वाणिज्य में सहयोग, ऋण सुविधाओं और तकनीकी जानकारी आदि के विस्तार सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको कब तक अन्तिमरूप दिये जाने तथा लागू किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). वाणिज्यिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में अफ्रीकी और अन्य देशों के साथ भारत के सम्बन्ध सुदृढ़ करने के प्रश्न पर, सरकार हमेशा पुनरीक्षण करती रहती है और विदेशों में भारत के प्रतिनिधियों के परामर्श से ऐसे सभी उपाय किये जाते हैं, जो सम्भव होते हैं। विभिन्न प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा देना कठिन होगा।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की सहायता के लिये विशेषज्ञों की तालिकायें

432. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की सहायता के लिये विशेषज्ञों की तालिकाएं बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से तालिकायें बनाने की आवश्यकता पड़ी ;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिमरूप दिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) (1) बनायी जाने वाली तालिकाओं की संख्या (2) उनके पृथक गठन तथा कृत्य (3) वह स्रोत जिनसे तालिकाओं के सदस्य लिये जायेंगे, उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह मंत्रालय इस विषय पर विचार कर रहा है कि वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में, नीति योजना प्रभाग बाहरी विद्वानों और विशेषज्ञों के विचारों से लाभान्वित हो। यह पिल्लई समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप है, जो 23.11.1966 को लोक सभा में रखी गई थी।

(ग) इनके नामों की सूचियों को बहुत जल्द ही अन्तिमरूप दे दिया जायेगा।

(घ) इन सूचियों में ऐसे विशेषज्ञों के अनौपचारिक दलों को शामिल करने का इरादा है, जो इस मंत्रालय को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपने विचार देंगे । देश के शैक्षिक एवं अन्य विशिष्ट संस्थाओं से और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विशेष ज्ञान रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से ये सदस्य लिये जाएंगे । आरम्भ में, ऐसे लोगों की कुछ सूचियां बनाई जा रही हैं, जिनका सम्बन्ध भारत के लिये विशेष महत्व रखने वाले विषयों से है ।

फरक्का परियोजना से मशीनों तथा उपकरणों की चोरी

433. **श्री क० लकप्पा :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री आत्म दास :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में फरक्का परियोजना की लाखों रुपये की मशीनों तथा उपकरणों के पुर्जों की चोरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः कितनी सम्पत्ति की हानि हुई है ;

(ग) सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या मशीनों के महत्वपूर्ण पुर्जों की इस हानि से परियोजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत कुछ महीनों के दौरान कुछ उपस्करों के कुछ महत्वपूर्ण पुर्जे खो गये हैं, जिससे ये उपस्कर ठप हो गये हैं ।

(ख) वास्तविक हानि कितनी हुई है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है ।

(ग) इस मामले के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिये सूचित कर दिया गया है । वहां के मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री को भी इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है ।

(घ) फरक्का बराज का निर्माण-कार्य धीमा पड़ गया है ।

(ङ) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

आयुध उत्पादन बोर्ड

434. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **प्रति रक्षा** मंत्री 19 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 419 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध उत्पादन बोर्ड की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

लन्दन में 'सन हाउस' पर व्यय

435. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में भारत सरकार एक सन-हाउस पर बिना उचित मंजूरी के एक बड़ी राशि व्यय की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई थी और मंजूरी न लिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत के नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक ने कोई आपत्ति उठाई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं । लन्दन में वित्तीय सलाहकार सहमति से 'सन हाउस' की जरूरी मरम्मतों का काम हाथ में लिया गया था, जिसका अनुमानित खर्च 4300 पौंड था । इसके लिये जो खर्च आवश्यक था, उसे बाद में सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया ।

(ख) वास्तविक रूप से जो खर्च हुआ, उसकी राशि 6225 पौंड थी । चूंकि 1957-58 के बाद मरम्मत का कोई काम हाथ में नहीं लिया गया था, और सरकारी सर्वेक्षक ने यह सलाह दी कि शीतकाल आरम्भ होने के पहले ही अविलम्बरूप से काम शुरू कर दिया जाये, अतः इस काम को हाथ में लेना अत्यावश्यक हो गया ।

(ग) जी हां । यह लेखा रिपोर्ट (सिविल) 1969 में एक पैरा के रूप में प्रकाशित हुई थी, जिस पर लोक लेखा समिति ने अपनी 31 अक्तूबर, 1969 की बैठक में विचार किया था ।

वैदेशिक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण

436. **श्री मयाबन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नारायणन : **श्री वंश नारायण सिंह**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री दंडपाणि : **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयात और निर्यात व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). सरकार की यह नीति है कि आयात तथा निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अभिकरणों के कार्य-कलापों के

क्षेत्र को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय। इस नीति के अनुसार, अनेक वस्तुओं का आयात तथा निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही करने का निश्चय किया गया है। आयात तथा निर्यात के उपर्युक्त माध्यम को भविष्य में उन नई मदों पर लागू करने का विचार है जो राज्य व्यापार के लिये उपयुक्त समझी जायें।

ऐसी मदों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिनका आयात अथवा निर्यात राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2592/70]**

नेफा के लिये बिजली घर

437. **श्री मयाबन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दंडपाणि :
श्री सामिनाथन :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नेफा में एक बिजली घर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). उत्तर-पूर्वी सीमांत अभिकरण के कामेंग जिले में एक पनबिजली परियोजना के सम्बन्ध में इस समय विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। विस्तृत अनुसंधानों के पूर्ण होने के पश्चात् ही परियोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(ग) तथा (घ). परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही, लागत आदि के ब्योरे का पता लगेगा। परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

भारत के कुछ भागों पर अपलेखात्मक आक्षेप

438. **श्री मयाबन :**
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रणजीत सिंह :
श्री दंडपाणि :
श्री सामिनाथन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा कुछ संसद् सदस्यों द्वारा लिखे गये एक पत्र

की जांच की गई है जिसमें उन्होंने 1967 में प्रकाशित एक 'अभिप्रेत पुस्तिका' से भारत के कुछ भागों के बारे में पूर्णतया विकृत, झूठी और निराधार बातें कही गई थीं ; उद्धरण दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) वियतयाम लोक गणराज्य की सरकार ने इस बात का खण्डन किया है कि उन्होंने इस प्रकार का कोई पैम्फलेट प्रकाशित किया है। हनोई स्थित हमारे प्रधान कोंसलावास द्वारा पूछताछ किये जाने पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि हनोई में इस प्रकार का कोई पैम्फलेट प्रकाशित हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और रूस के प्रधान मंत्रियों और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच पत्र-व्यवहार

439. **श्री नारायणन :**
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दण्डपाणि :
श्री सामिनाथन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के प्रधान मंत्री ने ताशकंद घोषणा के चौथे वर्ष दिवस के अवसर पर भारत के प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था ;

(ख) यदि हां, तो पत्र का मजमून क्या था ;

(ग) क्या भारत के प्रधान मंत्री ने भी रूस के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र लिखे थे ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कोई उत्तर प्राप्त हुआ था ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां। इस पत्र का मूल पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ग) से (ङ). प्रधान मंत्री ने अध्यक्ष कोसिगिन तथा राष्ट्रपति यहिया खां को जो संदेश भेजे थे, उनके मूलपाठ और राष्ट्रपति यहिया खां से जो उत्तर मिला था उसका मूलपाठ भी सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2593/70]**

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के चयन के लिये कसौटी

440. **श्री मयाबन :**
श्री नारायणन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दंडपाणि :
श्री सामिनाथन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने वित्तीय संस्थाओं तथा राज्यों के परामर्श से औद्योगिकरूप से पिछड़े जिलों के चयन के लिए एक कसौटी बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में योजना आयोग ने राज्यों को लिखा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग ने वित्तीय संस्थाओं से विचार-विमर्श करके राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक पिछड़े जिलों के चयन के लिए मार्गदर्शक (गाइड लाइन) के रूप में अपनाई जाने वाली कसौटी तैयार कर ली है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अनेक राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों से उत्तर आने की प्रतीक्षा है ।

एशियायी साझा बाजार

441. **श्री नारायणन :**
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री दंडपाणि :
श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सामिनाथन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने भारत को सुझाव दिया है कि यूरोपीय साझा बाजार की भांति ही भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका का एक साझा बाजार हो ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सभी सम्बन्धित देशों ने यह सुझाव मान लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है कि नेपाल के राजदूत ने यूरोपीय साझा बाजार की भांति ही भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा तथा श्रीलंका के एक साझा बाजार के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है । लेकिन नेपाल सरकार से इस तरह का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर से अमरीका द्वारा प्रतिबन्ध का हटाया जाना

442. **श्री नारायणन :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री मयाबन : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री सामिनाथन :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री आत्म दास : **श्री देवेन सेन :**
श्री शिव कुमार शास्त्री : **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री दंडपाणि : **श्री हेमराज :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री शिव चन्द्र झा : **श्री जनेश्वर मिश्र :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई पर से प्रतिबन्ध हटाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही से भारत के विरुद्ध पूरी तरह सैनिक तैयारी करने के लिये पाकिस्तान को सहायता मिलेगी क्योंकि रूस, चीन तथा अब अमरीका सभी देश पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करेंगे ;

(ग) यदि हां, तो अमरीका के निर्णय से उत्पन्न चुनौती का सामना भारत किस प्रकार करेगा ; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए रूस से कहा गया है कि वह पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बन्द कर दे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जहां तक भारत सरकार को मालूम है, पाकिस्तान को हथियार देने पर लगाए गए प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका की नीति अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) से (घ) . प्रश्न नहीं उठते ।

विदेश नीति में परिवर्तन

443. **श्री नारायणन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयाबन : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-भारत सम्बन्धों के प्रति चीन के रवैये तथा अप्रैल में दारुस्लम में हुए तटस्थ राष्ट्रों के प्रारम्भिक सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए भारत 1970 में अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका और रूस के प्रति चीन के रवैये में कुछ लाभकारी परिवर्तन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार अपनी विदेश नीति के अमल में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में होने वाले सभी परिवर्तन और घटनाओं को पूर्ण रूप से अपने ध्यान में रखती है । लेकिन न तो चीन-भारत सम्बंधों के प्रति पीकिंग के दृष्टिकोण के सम्बंध में, न गुटमुक्त राष्ट्रों के प्रस्तावित प्रारंभिक सम्मेलन के सम्बंध में कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे भारत की विदेश नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो ।

(ख) और (ग). यह बात सरकार के ध्यान में है कि चीन और संयुक्त राज्य अमरीका ; चीन और सोवियत रूस के बीच बातचीत चल रही है। इन घटनाओं पर सावधानी से निगाह रखी जा रही है, और हमारे देश और विश्व पर इनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उनका सामान्य रूप से अध्ययन किया जा रहा है । भारत हमेशा इस बात के पक्ष में रहा है कि शान्तिपूर्ण बातचीत और विचार-विमर्श द्वारा देशों के बीच समस्याओं का समाधान किया जाए ।

फरक्का बांध परियोजना में श्रम समस्या

444. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री स० कुन्दू :**
श्री हुचे गौडा : **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक विवादों के कारण फरक्का बांध के निर्माण की प्रगति में काफी धक्का लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो फरक्का बांध में श्रमिक समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) श्रमिकों द्वारा गड़बड़ और कर्मचारियों द्वारा 'काम धीरे करो' की नीति की वजह से, फरक्का बराज के निर्माण की प्रगति धीमी पड़ गई है ।

(ख) श्रमिकों ने मांगों की एक सूची प्रस्तुत की है । इन पर विचार किया गया है और इन्हें यथासंभव स्वीकार कर लिया गया है । तथापि, अभी तक स्थिति कार्यों के सक्षम क्रियान्वयन के लिए अनुकूल नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र विश्व युवक सम्मेलन

445. **श्री जनार्दनन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस वर्ष अपनी पचीसवीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में विश्व युवक सम्मेलन का अयोजन कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार का इस समारोह में भारत की ओर से भाग लेने के लिये एक युवक प्रतिनिधि मंडल भेजने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिनिधियों के चयन के लिये क्या कसौटी अपनाई जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह मामला विचाराधीन है ।

जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को राजनयिक मान्यता

446. **श्री जनार्दनन :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री बदरुद्दुजा :**
डा० रानेन सेन : **श्री कं० हाल्वर :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को शीघ्र ही राजनयिक मान्यता देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने कई अवसरों पर यह बताया है कि भारत और जर्मनी जनवादी गणराज्य दोनों के बीच के संबंध संतोषप्रद ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और यही उनके विचार भी हैं कि उन संबंधों को और बढ़ाया जाए ।

चाय उद्योग के सम्बन्ध में बरुआ समिति की सिफारिशें

447. **श्री जनार्दनन :** **श्री रामावतार शास्त्री:**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री बासुदेवन नायर :**
डा० रानेन सेन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चाय उद्योग के सम्बन्ध में बरुआ समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). चाय उद्योग के सम्बन्ध में बरुआ समिति की सिफारिशें अभी भी विचाराधीन हैं।

डा० टी० मेसकरन्हस की पुर्तगाली जेल से रिहाई

448. **श्री जनार्दनन :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अदिचन :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ के देश भक्त डा० टी० मेसकरन्हस जो लिस्बन जेल में यातना भुगत रहे हैं, की रिहाई के लिये कोई और प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार डा० टी० मेसकरन्हस की मुक्ति के लिये मित्र देशों की मध्यस्थता और अन्य अभिकरणों द्वारा हर प्रकार का प्रयास कर रही है। इस संबंध में अपनाए गए माध्यमों का विवरण देना उचित नहीं होगा। लेकिन, सरकार आशान्वित है कि वह डा० मेसकरन्हस को मुक्त कराने में सफल होगी।

Atomic Power Station in Northern India

449. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri N. Shivappa :
Shri Sita Ram Kesri :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it has been finally decided to set up an Atomic Energy Station in North India ;

(b) if so, whether the Chief Minister of Uttar Pradesh had requested the Central Government to set up the said Station at Narora in District Bulandshahr in the Western region of Uttar Pradesh ; and

(c) if so, whether Government have taken any decision in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Such a request was received in November 1966.

(c) No, Sir.

50 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा निवृत्ति होने वाले अधिकारी

450. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को, जिन्हें 31 दिसम्बर, 1968 तक और 1 जनवरी, 1970 के बाद सेवा निवृत्ति होना था, 50 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में रहने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 में सेवा निवृत्ति होने वाले अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक सेवा करने की अनुमति क्यों नहीं की गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). स्पष्ट है कि प्रश्न सेना के (उन अफसरों को छोड़ कर कि जो अवधिमान द्वारा ले० कर्नल के तौर पर नियुक्त किये गये थे) आर्म्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर और सिग्नल के ले० कर्नल और उससे उच्च अफसरों के संबंध में सेवा निवृत्ति की कम से कम आयु में हाल के संशोधन से संबंधित है 1-1-1970 से लागू आदेशों के अनुसार यह अफसर कम से कम 50 वर्ष की आयु तक सेवा करने के अधिकारी हैं। इन आदेशों को साधारणत: किसी पीछे की तिथि से लागू नहीं किया जाता।

नौसेना और वायु सेना में अफसरों के लिये सेवा-निवृत्ति की कम से कम आयु के सम्बन्ध में नीति में कोई अन्तर नहीं आया।

प्रधान मंत्री की पत्रकारों के साथ बैठक

451. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**
श्री मीठालाल मीना : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री पीलु मोडी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान (मार्च आफ दी नेशन) साप्ताहिक पत्रिका के 10 जनवरी, 1970 के अंक में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री ने कुछ प्रमुख पत्रकारों को आमंत्रित किया तथा उनके लेखों पर आपत्ति प्रकट की ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार को "मार्च आफ दी नेशन" में छपी रिपोर्ट की जानकारी है। यह कहना गलत है कि प्रधान मंत्री 29 दिसम्बर 1969 को बम्बई में जिन पत्रकारों से मिली थीं, उनके कुछ लेखों पर उन्होंने एतराज किया।

Land, Air and Territorial Waters violations by Pakistan after Tashkent Agreement

452. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of times Pakistan has violated the Indian borders, territorial waters and air space after the Tashkent Agreement ;

(b) the number of protest notes sent to Pakistan by Government and the number of replies received from them ; and

(c) the steps Government have taken to check such violations in future ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh): (a) From 11th January 1966 to 31st January 1970, Pakistan committed 248 land violations and 103 air violations. No violation of our territorial waters was committed by Pakistani Naval vessels during the aforesaid period.

(b) Protests were lodged in 106 cases by the Government of India and 81 replies were received from the Government of Pakistan. Protests were lodged with the UN Observers in respect of violations across the Cease Fire Line in J & K and also with Pakistani authorities at the local level.

(c) Our security forces continue to be vigilant on the border. Appropriate action has also been taken, wherever necessary to reinforce our security measures.

Number of Violations of Tashkent Agreement

453. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the number of times Pakistan have violated Tashkent Agreement after it had been concluded in 1965 ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : Reference is invited to the answer given to Lok Sabha Starred Question No. 221 on 26th November, 1969. There has been no change in the position since then.

Amount spent by India for securing Friendship of Pakistan

454. **Shri Hukum Chand Kachwai :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the article under the heading "Talks with Pakistan" (Pakistan Se Warta) published in the Journal of Institute of Defence Studies in which it is stated that Government have spent rupees 1,500 crores during the last 22 years for securing friendship of Pakistan ;

(b) if so, the details of the amount given to Pakistan from time to time ; and

(c) the details of amount spent under various items ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. The views expressed therein are those of the author. This had been made clear in the Journal itself. It is not true that the Government of India had given about Rs. 1,500 crores to the Government of Pakistan so far.

(b) and (c). The following payments have so far been made by the Government of India to the Government of Pakistan :

Year	Amount paid	Purpose
1947	Rs. 20 crores	These payments were made under the partition arrangements as Pakistan's share of cash balance of the undivided Central Government.
1948	Rs. 50 crores	
1948	Rs. 2.47 crores	On account of Ordnance Factories and certain other institutions as part of partition arrangements.

Besides the above, payments to the International Bank for Reconstruction and Development as India's contribution to the Indus Basin Development Fund under the Indus Water Treaty 1960 made from November 1960 to 1969 amounted to £62,060,000.

Naga Rebels Trained by China and Pakistan

455. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Naga rebels who have been given military training by China and Pakistan during the last three years ;

(b) the number of Naga rebels who could enter India stealthily after receiving the military training ;

(c) the number of bases of Naga rebels which had been destroyed by the Defence Forces ; and

(d) the number of Naga rebels who have been arrested and the number of those who are getting such training at present in China and Pakistan ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). About 1,650 Nagas are estimated to have gone to China for military training during the last 3 years and about 700 of them were able to re-enter Nagaland. During the same period, about 250 Nagas managed to go to Pakistan though their return has not been confirmed.

(c) The security forces destroyed 98 camps used by underground Nagas.

(d) About 275 China-returned underground Nagas have been taken into custody. Some underground Nagas may still be receiving training in China and Pakistan but their exact number still needs to be confirmed.

परमाणु अस्त्रों का निर्माण

456. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री बृज भूषण लाल : **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री राम सिंह अयरवाल : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 'शक्ति' के जुलाई/सितम्बर 1969 के अंक में प्रोफेसर एस० स्वामी के एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत के सामने दो विकल्प हैं कि या तो वह परमाणु अस्त्रों का निर्माण करे अथवा बड़ी ताकतों में परस्पर सन्तुलन के सिद्धान्त में निहित घटिया दर्जे को स्वीकार करे ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार बड़ी शक्तियों के संतुलन के सिद्धान्त को मानती है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). इस विषय में भारत सरकार के विचारों को समय-समय पर सदन में स्पष्ट किया जा चुका है।

नेपाल के साथ व्यापार सम्बन्ध

458. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवेन सेन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के साथ भारत के विदेशी व्यापार सम्बन्धों में गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के घनिष्ठतापूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए इन कठिनाइयों को दूर करने और फिर से परस्पर विश्वास स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) हाल ही में आवा जाही सुविधाओं और व्यापारिक मामलों के बारे में नेपाल के साथ भारत की बातचीत असफल हो जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). व्यापार तथा पारवहन संधि, 1960 में व्यापार तथा पारवहन के मामलों में भारत तथा नेपाल के बीच सम्बन्धों की व्याख्या की गई है। समझौता ज्ञापन में, जो संधि में दी गई कतिपय प्रक्रियाओं का सम्पूरक है, यह व्यवस्था है, कि भारत तथा नेपाल के अधिकारियों की एक सरकारी संयुक्त समिति की बैठक यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर होगी कि दोनों देशों के परस्पर लाभ हेतु, व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को शीघ्रता से तथा सन्तोषजनक ढंग से हल कर दिया जाए।

अत: सरकारी संयुक्त समिति की बैठक 8 से 16 जनवरी, 1970 तक नई दिल्ली में हुई। वार्ताएं, जो सद्भावपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में आरम्भ हुई, पूरी नहीं हुई और समिति की आगामी बैठक होने पर पुन: शुरू हो जायेंगी। वार्ताओं का सम्बन्ध मुख्यत: निम्नलिखित विषयों से है, व्यापार का दिशा परिवर्तन, भारत में ऐसे नेपाली उत्पाद का आयात जो मुख्यत: नेपाली कच्चे माल पर आधारित नहीं है और नेपाली कच्चे माल पर आधारित कतिपय नेपाली उत्पादों का नि:शुल्क प्रवेश। अन्त: सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक के लिये अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

थुम्बा राकेट अड्डा

459. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा रॉकेट अड्डा कब स्थापित हुआ था ;

(ख) देश में 'राकेटरी' के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस बारे में यदि कोई कार्य बनाया गया है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) थुम्बा राकेट अड्डे ने 21 नवम्बर, 1963 को काम प्रारम्भ कर दिया था ।

(ख) देश में बने राकेटों को छोड़ने तथा उसके साथ-साथ संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों के लिये इस रेंज का सक्रिय प्रयोग किया जा रहा है। इस रेंज से छोड़े गये राकेट 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गये हैं ।

(ग) इस कार्यक्रम का विवरण अणु शक्ति विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया हुआ है जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। अन्तरिक्ष विज्ञान तथा औद्योगिकी केन्द्र में चार स्तरीय राकेट छोड़ने वाले एक वाहन का विकास किया जा रहा है ; और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में सीहरिकोटा के स्थान पर एक नई रेंज स्थापित की जा रही है ।

दार-एस सलाम में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन

460. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटस्थ राष्ट्रों का प्रारम्भिक सम्मेलन अप्रैल में दार-एस-सलाम में होने वाला है ;

(ख) क्या इस सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का चयन कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) उपर्युक्त सम्मेलन में भारत का क्या रवैया अपनायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह उन मामलों पर निर्भर करेगा जो सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए उठेंगे ।

भारत के विदेश व्यापार में कमी

461. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे छठे दशक में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा घटता जा रहा है और इन वर्षों में उसका व्यापार काफी घट गया है; और

(ख) क्या सरकार निर्यात में शीघ्र वृद्धि करने के लिये छोटे निर्यातकों को अधिक धन उपलब्ध करने और उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। 1961 से विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा घटता जा रहा है और निर्यातों के मूल्यों के अनुसार उसका स्थान जो 1961 में 16 वां था, गिरकर 1968 में 22 वां हो गया है।

(ख) लघु उद्योग बोर्ड द्वारा गठित समिति ने कतिपय सिफारिशें की हैं जिन पर औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा हैं।

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करार

462. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया ने नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) दोनों दलों द्वारा अलग-अलग किन-किन वस्तुओं का एक दूसरे को निर्यात किया जायेगा और क्या निर्यात सूची में कुछ नई वस्तुओं को भी शामिल किया गया है ; और

(ग) यूगोस्लाविया के साथ हमारा व्यापार सन्तुलन क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक): (क) तथा (ख). बल्गारिया में 31 दिसम्बर, 1969 को एक व्यापार-संलेख पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा भारत और यूगोस्लाविया के बीच विद्यमान व्यापार तथा भुगतान करार की वैधता की अवधि बढ़ा दी गयी है। इस संलेख की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

(ग) वर्ष 1969 में सितम्बर तक हमारे वास्तविक निर्यात 2173.2 लाख रु० के थे जबकि उसी अवधि को यूगोस्लाविया से किये गये वास्तविक आयात 538.4 लाख रु० के थे और इस प्रकार 1654.8 लाख रु० का अनुकूल व्यापार-संतुलन रहा।

7-ओ क्लाक ब्लेड का आयात

463. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7-ओ क्लाक ब्लेड के आयात की एकमात्र एजेंसी भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णामाचारी के पुत्र को दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस ब्लेड के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). सेफ्टी रेजर ब्लेड के आयात के लिये, जुलाई, 1957 से, आयातकों की किसी श्रेणी के लिये लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। सरकार को कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि 7-ओ ब्लाक ब्लेड के आयात के लिए एकमात्र एजेंसी भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी के पुत्र को दी गई है।

गंगा कावेरी सम्पर्क परियोजना का सर्वेक्षण

464. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में गंगा-कावेरी सम्पर्क परियोजना का तकनीकी सर्वेक्षण आरम्भ कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1970-71 के दौरान और निकट भविष्य में ही, केवल कार्यालयीय अध्ययन करने का प्रस्ताव है ।

हनोई में इण्डियन मिशन का दर्जा बढ़ाया जाना

465. **श्री धी० ना० देव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री महेन्द्र मांझी :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री ई० के० नायनार :
श्री रा० वे० नायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा हनोई में इण्डियन मिशन का दर्जा बढ़ाये जाने की स्थिति में सैगोन स्थित भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में 27 नवम्बर, 1969 के 'सैगोन पोस्ट' में प्रकाशित प्रमुख लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लेख में इंगित इस कथन से सरकार सहमत नहीं है कि वियतनाम लोक गणराज्य के साथ हमारे संबंधों को सुधारने और बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से सैगोन स्थित भारतीय समाज के हित या उनकी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

Cease-Fire in Nagaland

466. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have extended the period of cease-fire to maintain peace in Nagaland ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether any talks were held with the underground Nagas in regard to the cease-fire and if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The terms "Cease-fire" is incorrect. The correct term is "Agreement on Suspension of Operations" or AGSOP for short. The present one-month extension of AGSOP expires on the 28th February, 1970. As explained in the past, a decision on whether the AGSOP should be extended and the period of each extension is taken by the Governor of Nagaland on the basis of his assessment of the prevailing situation. Despite a few cases of violence by the Underground Nagas the situation in Nagaland has been steadily improving and there is need for continuing the AGSOP, as long as it helps in restoring peaceful conditions in the State.

(c) The AGSOP is intended to bring peace to the people of Nagaland whose interests are of paramount concern to the Government. The question of holding talks with the Underground Nagas in this matter does not arise If they commit any breaches, or indulge in lawless activities, the Government will deal with the situation firmly.

Export of Handloom Products

467. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of handloom products has declined during the last six months ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पाकिस्तान को स्थल मार्ग से रूसी मशीनें तथा भारी उपकरण ले जाना

468. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बरास्ता कंधार नये पाक-रूसी स्थल मार्ग द्वारा पाकिस्तान को रूसी मशीनें तथा भारी उपकरण ले जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने रूस को इस मामले में चिंता व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) प्राप्त खबरों के अनुसार, पाकिस्तान को जाने वाली सोवियत कपड़ा बुनने की कुछ मशीनें, सोवियत अफगान सीमा से पाकिस्तान में बरास्ता कंधार स्थल मार्ग से भेजी गई हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल में भारतीय फोटोग्राफरों की पिटाई

469. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो भारतीय फोटोग्राफरों को काठमाण्डू के दक्षिणी उपनगर

पाटन में उस समय बुरी तरह पीटा गया जब उन्होंने अमरीकी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध एक प्रदर्शन की फोटो लेने की कोशिश की ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य अमरीका के उपराष्ट्रपति ऐग्न्यू की यात्रा के समय, पाटन (नेपाल) में संयुक्त राज्य अमरीकी विरोधी प्रदर्शन के दौरान, दो फोटोग्राफरों पर तथाकथित रूप से प्रहार किये जाने के सम्बन्ध में 6 जनवरी के स्टेट्समैन में हमने एक खबर देखी है ।

हमारी सूचना के अनुसार, एक अमरीकी समाचार एजेंसी, यू० पी० आई० ने दो फोटोग्राफरों को उपराष्ट्रपति की यात्रा पर फिल्म बनाने का कार्य सौंपा था, जिन्हें प्रदर्शन केदौरान पीटा गया । यह भी खबर मिली है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके कैमरे छीन लिए, जिन्हें बाद में उन्हें लौटा दिया गया ।

(ग) चूंकि स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की थी, अतः और किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

भारत को पाकिस्तान के समकक्ष रखने का रूसी प्रयास

470. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री चं० चु० देसाई : **श्री अजमल खां :**
श्री पीलु मोडी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूसी प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन से हाल में एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें उपमहाद्वीप के प्रति रूसी नीतियों में भारत को पाकिस्तान के समकक्ष रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो रूसी प्रधान मंत्री से प्राप्त संदेश का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी 1970 के 'स्टेट्समैन' में इस बारे में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर के चौथे वर्षगांठ के अवसर पर सरकार को सोवियत प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन से एक संदेश प्राप्त हुआ । इस संदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । सरकार ने 21 जनवरी 1970 के स्टेट्समैन में इस सम्बन्ध में एक खबर भी देखी है । पाकिस्तान के प्रतिकूल रवैये के विपरीत, भारत सरकार ने ताशकन्द घोषणा के क्रियान्वयन के लिए जो अनेक उपक्रम किए हैं, उनसे सोवियत सरकार पूर्ण रूप से अवगत है ।

भारतीय प्रधान मंत्री के नाम अध्यक्ष ए० कोसिगिन का संदेश

ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाने के चौथे वर्षगांठ के अवसर पर, मैं सोवियत जनता, सोवियत सरकार और अपनी ओर से भारत सरकार और उसकी जनता का मित्रतापूर्ण अभिवादन करता हूं ।

पिछले चार वर्षों की घटनाओं से इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने ताशकन्द में निर्णय करते समय अपने सम्यक् ज्ञान और दूरदर्शिता का परिचय दिया था । ताशकन्द घोषणा ने यह दिखला दिया कि राज्यों के विवादास्पद मामलों को सुलझाने का यही एक मात्र रास्ता है, अर्थात् बल प्रयोग करने से इनकार करना और विचार विमर्श करके सुलह की मेज पर इन मामलों को सुलझाना ।

ताशकन्द घोषणा की व्यवस्थाओं को पूरा करने की दिशा में जो व्यावहारिक उपाय किये गए हैं, उनकी सोवियत संघ में काफी कदर है । भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के सामान्यीकरण करने की दिशा में, और जो उपाय किए जाएंगे, उनका सोवियत जनता और अन्य शान्ति प्रिय देशों के लोग स्वागत करेंगे ।

हम इस बात को समझते हैं कि इस मार्ग में आने वाली अनेक कठिनाइयों को पार करने की आवश्यकता होगी, जिनमें वे कृत्रिम कठिनाइयां भी शामिल हैं जो उन लोगों द्वारा उत्पन्न की जाएंगी, जो इस प्रदेश में शान्ति और स्थायित्व बनाए रखने में रुचि नहीं रखते हैं ।

मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान सरकार, जो सोवियत संघ के मित्र हैं, अपने देशों के लोगों के हित में और विश्वजनीन शान्ति को सुदृढ़ करने के लिए, भविष्य में भी, ताशकन्द घोषणा की मूल भावना से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे ।

कावेरी बेसिन के जल का प्रयोग

471. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री चं० चु० देसाई : **श्री अजमल खां :**
श्री पीलु मोडी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी बेसिन के जल के प्रयोग के बारे में उनके द्वारा दिये गये निदेश पर मैसूर और तमिलनाडु सरकारों के बीच वार्ता का क्या परिणाम निकला ;

(ख) इस बात को देखते हुए कि तमिलनाडु सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्या सरकार का विचार गूरर में परियोजना के निर्माण की तकनीकी मंजूरी देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो हेमावती सिंचाई परियोजना को तकनीकी मंजूरी कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). विचार-विमर्श की रोशनी में कावेरी बेसिन में नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली अतिरिक्त कार्य सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दिये गये हैं। बेसिन में नई परियोजनाओं की स्वीकृति पर सभी राज्य सरकारों की इन प्रस्तावों पर प्रतिक्रियाओं के प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा ।

पोलैण्ड के साथ व्यापार करार

472. **डा० सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्री गाडिलिंगन गौड :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड को भारतीय लौह अयस्क और रेल के माल डिब्बे भेजने के लिये पोलैंड सरकार के साथ कोई करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की आशा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). वर्ष 1969-70 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लगभग 2.40 करोड़ रु० मूल्य के 3.5 लाख मे० टन लौह अयस्क की पूर्ति के लिये एक संविदा की। 1970-71 के वर्ष में पोलैंड को लौह अयस्क की पूर्ति के लिये बातचीत चल रही है।

राज्य व्यापार निगम ने पोलैंड की 2.6 करोड़ रु० मूल्य के 500 रेल माल डिब्बे भेजने के लिये पोलैंड की कोलमेक्स के साथ एक संविदा की है। प्रोटोटाईप की पूर्ति 1970 में की जायेगी बड़ी मात्रा में रेल के माल-डिब्बे 1971 में भेजे जायेंगे ।

उगांडा से भारतीयों की निकासी

473. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री सावित्री श्याम :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 23 जनवरी, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है कि उगांडा सरकार ने एशियाई लोगों को अपने देश से निकालने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वहां रहने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है ; और

(ग) भारत में आने के इच्छुक भारतीयों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं कि भारी संख्या में उन एशियाई लोगों को व्यापार लाइसेंस और उत्प्रवास अधिनियम की शर्तों के अनुसार उगांडा छोड़ना पड़ सकता है जो वहां के नागरिक नहीं हैं। हमारी सूचना के अनुसार उगांडा में भारतीय मूल के लोगों की कुल संख्या 85,500 है। इनमें 1600 भारतीय राष्ट्रिक हैं। जिन अधिकांश लोगों पर इन उपायों के प्रभाव पड़ने की संभावना है, वे ब्रिटिश पासपोर्टधारी हैं। भारत सरकार पूर्वी अफ्रीका के उन भारतीयों को सीमा शुल्क संबंधी तथा अन्य रियायतें उदारता से दे रही है, जिन्हें अपने अधिवास के देश छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है और जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आना चाहते हैं।

जनरल नेविन के साथ वार्ता

474. **डा० सुशीला नैयर**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री आत्म दास :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा क्रान्तिकारी परिषद् के अध्यक्ष जनवरी, 1970 में भारत आए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ;

(ग) भारतीय नेताओं के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी ; और

(घ) क्या निर्णय लिये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह सद्भावना यात्रा थी।

(ग) यह बातचीत मित्रतापूर्ण और अनौपचारिक तथा सामान्य प्रकृति की थी।

(घ) भारत के राष्ट्रपति, श्री वी० वी० गिरि के निमंत्रण पर बर्मा संघ की क्रांतिकारी परिषद् के अध्यक्ष, महामान्य जनरल नेविन श्रीमती नेविन के साथ भारत की मित्रतापूर्ण और अनौपचारिक यात्रा पर आए तथा 15 से 22 जनवरी, 1970 तक यहां ठहरे। भारत प्रवास के दौरान वे लोग आगरा और गया भी गये।

2. इस मौके पर बर्मा संघ की क्रांतिकारी परिषद् के अध्यक्ष और भारत की प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के समान हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया। भारत सरकार के विदेश मंत्री और विदेश व्यापार तथा संभरण मंत्री ने अध्यक्ष नेविन से भेंट की और बातचीत की।

3. इस अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई जिससे यह पता चला कि दोनों के विचार एक-दूसरे से बहुत मिलते हैं, क्योंकि दोनों देशों की नीतियों के आधार उद्देश्य समान हैं। जिन मदों पर बातचीत की गई उनमें क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भी शामिल है। अध्यक्ष

नेविन और भारत की प्रधान मंत्री ने इस बात को एक बार फिर दोहराया कि दोनों को एक-दूसरे देश की भलाई, प्रभुसत्ता, स्वधीनता और प्रादेशिक अखण्डता में दिलचस्पी है ।

4. व्यापार, औद्योगिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में बर्मा और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर भी विचार-विमर्श किया गया । इस बातचीत में यह पाया गया कि बर्मा में भारतीय मूल के लोगों से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं के निपटारे की दिशा में और प्रगति हुई है । इस बातचीत से यह पता चला कि दोनों पक्षों में आर्थिक क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ सहयोग करने तथा दोनों देशों के बीच विद्यमान सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को बेहतर और सुदृढ़ बनाने की हार्दिक इच्छा है ।

5. इस यात्रा के दौरान बर्मा संघ की क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष और श्रीमती नेविन का जो हार्दिक और स्नेहपूर्ण स्वागत किया, गया उसके लिये अध्यक्ष ने कृतज्ञता प्रकट की ।

डा० धर्मतेजा तथा श्रीमती तेजा का प्रत्यर्पण

475. **डा० सुशीला नैयर :** **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री यमुना प्रसाद मण्डल : **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० धर्म तेजा और उनकी पत्नी के विदेशों से प्रत्यर्पण के बारे में सरकार के प्रयत्नों में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उन्हें इस देश में कब तक लाया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). डा० तेजा और उनकी पत्नी के प्रत्यर्पण के मामले में और अधिक प्रगति नहीं हुई है । 3 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा में, अतारांकित प्रश्न संख्या 2418 के उत्तर में स्थिति समझा दी गई थी ।

Functioning of Tarapur Atomic Energy Station

476. **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Atomic Energy Station at Tarapur has started functioning ;

(b) whether it is also a fact that both the States of Gujarat and Maharashtra would be benefited as a result of the said Station having been commissioned into service ; and

(c) if so, the Wattage of electricity likely to be produced by the said Station and the names of the projects likely to be started with the help of that electricity ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes, Sir. The Station has been generating power steadily on a commercial basis from October 3, 1969.

(c) The net generating capacity of the Station is 380 MWe. Power from the Station is being made available to Maharashtra and Gujarat. Its actual distribution and utilization is the responsibility of the two States.

नागा युवक नेता द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री को माओ का बिल्ला भेंट किया जाना

478. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० विश्वम्भरन :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गणतन्त्र दिवस के उत्सव में भाग लेने के लिये नागा दल के साथ आये दो नागा युवक नेताओं ने उन्हें माओ का 'बिल्ला' भेंट किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बिल्ले को स्वीकार किया ; और

(ग) क्या उस बिल्ले को स्मारिका के रूप में रखा गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नागा कंटिजेंट के किसी नागा युवक नेता द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री को कोई माओ बैज भेंट नहीं किया गया कि जो 1970 के गणतन्त्र दिवस समारोह के सम्बन्ध में दिल्ली आई थी ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भण्डरदारा बांध का निरीक्षण

479. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री स० कुन्दू :
श्री जे० अहमद :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र में भण्डरदारा बांध का दिसम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस आकस्मिक निरीक्षण के क्या कारण थे ; और

(ग) इस बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां । केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने दिसम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह से बांध का निरीक्षण किया ।

(ख) सितम्बर, 1969 में भंडारदारा बांध की अनुप्रवाहीय दिशा में तीव्र जल स्राव देखने में आया । बांध की अनुस्रोतीय परत में नाली में जो कि प्लम्ब बॉव वैल से मिलती है, बड़ी तेजी से पानी बहते देखा गया । गहरी कन्दरा वाले भाग में बांध की अनुस्रोतीय परत पर अधिकतम लगभग 40 फुट लम्बी मसाल के बने जोड़ों पर लम्बीय दरारें भी देखी गईं । चूंकि यह तीव्र स्राव और बांध की हालत चिंता के कारण बन गये थे, केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने बांध का निरीक्षण किया और केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया ।

(ग) जल स्राव मार्ग का पता लगाने के लिये और पानी को निकाल कर उसके बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिये भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इस अनुसन्धान कार्य में ये शामिल हैं : (i) छिद्र निकालना, जल क्षतियों को देखना और छिद्र के इर्द-गिर्द के रास्ते को बन्द करने के लिये पतली भराई।

अनुसंधानों के परिणामी और परीक्षणी औपचारिक उपायों के अद्यतन परिणामों का पुनरवलोकन करने के लिये विशेषज्ञ समिति नवम्बर, 1969 से महीने में एक दो बार बैठक करती है।

यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो आफ रीक्लेमेशन के दो विशेषज्ञों की सेवाओं का भी प्रबंध किया गया। विशिष्ठ छेदन तथा भराई संबंधी उपस्कर की प्राप्ति के लिये महाराष्ट्र सरकार को 14,25,200 रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है।

प्रधान मंत्री सचिवालय के प्रेस तथा सूचना कार्यालय में सुधार

480. **डा० प० मण्डल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो की सलाह से प्रधान मंत्री सचिवालय के प्रेस तथा सूचना कार्यालय के कार्य में सुधार करने का है ;

(ख) श्री वरधीस के जाने के बाद प्रधान मंत्री सचिवालय के प्रेस तथा सूचना कार्यालय के कार्य में गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या प्रेस संवाददाताओं ने प्रधान मंत्री से उनके सचिवालय के अधिकारियों द्वारा भेदभाव बरतने सम्बन्धी शिकायत की है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री सचिवालय के सूचना कक्ष की कार्य विधि में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। प्रधान मंत्री सचिवालय में निदेशक (सूचना) का कार्यालय प्रेस तथा सूचना ब्यूरो और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अन्य प्रचार एकांशों और विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार प्रभाग के साथ निरंतर निकट सम्पर्क में रहकर काम करता है।

प्रधान मंत्री सचिवालय को ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं और न यह सोचने का कोई कारण ही है कि समाचार-पत्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव बरता जाता है या उसके काम में किसी तरह की कोई गिरावट आई है।

राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप

481. **डा० प० मण्डल : क्या वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 दिसम्बर, 1969 के साप्ताहिक पत्र "सैन्चुरी" में एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें राज्य व्यापार निगम के नये प्रबन्धकों की आलोचना की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समीक्षा में लगाये गये आरोपों का अध्ययन किया है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के नये अध्यक्ष और उनकी लीवर टीम उक्त सरकारी उपक्रम को भीतर से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ; और

(घ) क्या मंत्रालय को कर्मचारियों के प्रबन्ध आदि के बारे में निगम के अध्यक्ष से पर्याप्त सहयोग प्राप्त हो रहा है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). साप्ताहिक "सैंचुरी" ने अपने 20 दिसम्बर, 1969 के अंक में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध, उत्तरदायित्वों, निर्णय करने, पदनामों में परिवर्तन, भर्ती, पदोन्नति के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाये गये थे । तथापि इस साप्ताहिक ने अपने 3 जनवरी, 1970 के अंक में एक टिप्पणी प्रकाशित की जिसमें यह कहा गया कि उपर्युक्त लेख असावधानी से प्रकाशित हो गया था और उसमें आरोपित तथ्यों की पत्रिका को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारी निगम को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके विपरीत निगम के भीतर कुछ आधुनिक प्रबन्ध-कार्य-प्रणालियां शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य इसके कार्यचालन की दक्षता सुधारना है ।

(घ) राज्य व्यापार निगम एक स्वायतशासी निगम है और कर्मचारी-वर्ग का प्रबन्ध एक ऐसा मामला है जो निगम के अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । जहां तक व्यापक नीतियों का सम्बन्ध है, उनके विषय में राज्य व्यापार निगम के प्रबन्ध की ओर से सहयोग की कोई कमी नहीं है ।

भारत और बर्मा के बीच सीमा निर्धारण

482. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर क्षेत्र में भारत और बर्मा के बीच सीमा का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि सोमा चौकियां उखरूल सब-डिवीजन के काफी अन्दर तक शिराय के निकट भी कायम की जा रही हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

मनीपुर में बिजली सप्लाई में सुधार

483. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में मनीपुर में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या 1970 में सप्लाई में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह वृद्धि कब की जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मणिपुर में प्रतिष्ठापन के लिये कुल 2630 किलोवाट की क्षमता के चार डीजल उत्पादन सेट असम राज्य बिजली बोर्ड से खरीदे जा रहे हैं । 1970-71 के दौरान इनके चालू हो जाने की संभावना है ।

जिस स्कीम से मणिपुर को असम से बिजली की थोक सप्लाई होनी है, उसके 1973-74 तक पूरा हो जाने पर मणिपुर को 15 मैगावाट की मात्रा तक बिजली की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध हो जायेगी । इसके अतिरिक्त, मणिपुर की लोकतक पनबिजली स्कीम, जिसकी कार्यान्विति केन्द्रीय सेक्टर में आरम्भ की गई है, के 1973-74 तक पूरा हो जाने की संभावना है जिससे मणिपुर को 25 मैगावाट की अतिरिक्त सप्लाई उपलब्ध हो जायेगी ।

प्रधान मंत्री का भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा मद्रास का दौरा

484. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद् सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया था कि प्रधान मंत्री 5 नवम्बर, 1969 को भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा किसी गुप्त मिशन पर मद्रास गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बन्धित सदस्यों ने अपने दावे के प्रमाण में एक सरकारी फाइल का हवाला दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह फाइल मिल नहीं रही है ; और यदि हां, तो क्या फाइल के अचानक गायब हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई पूरी जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). कुछ संसद् सदस्यों ने कहा था कि प्रधान मंत्री एक नवम्बर, 1969 को भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज से मद्रास गई थीं और उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी सरकारी फाइल के नम्बर का भी हवाला दिया था । बहरहाल, सच यह है कि प्रधान मंत्री नवम्बर, 1969 के दौरान मद्रास गई ही नहीं । इसलिये, भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज का अथवा किसी और हवाई जहाज का इस उद्देश्य के लिये उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता । और न ही इस विषय पर किसी फाइल का या कथितरूप से इसके गायब हो जाने की जांच करने का कोई सवाल उठता है ।

दार-एस-सलाम में तटस्थ राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का प्रवेश

485. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री न० कु० सांधी :

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देश अप्रैल, 1970 में दार-एस-सलाम में होने वाले तटस्थ राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रवेश के लिये कोशिश कर रहे हैं ;

(ख) क्या तटस्थ राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रवेश के बारे में शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने सरकार से परामर्श किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है, दार-एस-सलाम में होने वाले प्रारम्भिक सम्मेलन में भाग लेने के लिये पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन में पाकिस्तान और अन्य देशों का स्वागत कर के सरकार को प्रसन्नता होगी, बशर्ते कि ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने के सम्मत सिद्धान्तों की शर्तों के अनुसार वे योग्य हों ।

निर्यात में कमी

486. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों में निर्यात वृद्धि दर में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस अवधि में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1969-70 में निर्यातों की विकास दर 1968-69 की उसी अवधि की तुलना में निरन्तर कम होकर अप्रैल-नवम्बर, 1969 तक 0.9 प्रतिशत रह गई जबकि 1968-69 के लिये यह दर सम्पूर्णरूप से 13.5 प्रतिशत थी । हां, दिसम्बर, 1969 में कुछ सुधार हुआ जिसके फलस्वरूप 1969-70 के प्रथम 9 महीनों में कुल निर्यातों में 1968-69 की उसी अवधि की तुलना में 1.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई । निर्यातों में मासिक प्रवृत्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2594/70]**

पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा रूस के अपने दौरे के समय काश्मीर के विषय पर रूसी नेताओं के साथ बातचीत

487. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा रूस के अपने दौरे के समय काश्मीर के विषय पर रूसी नेताओं के साथ बातचीत करने और इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करने का समाचार मिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर करने के नाते रूस सरकार से पता लगाया है कि क्या पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं, जिसमें 3 जनवरी,1970 को राष्ट्रपति यहिया खां ने बताया है कि वे अपनी आगामी रूस-यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हित के हर प्रश्न को उठाएंगे, जिसमें काश्मीर का विवाद भी शामिल है ।

(ख) और (ग). जी नहीं । उन्होंने अभी यात्रा नहीं की है । इसके अतिरिक्त, काश्मीर के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति बहुत अधिक स्पष्ट है । काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा इस राज्य के एक भाग पर अवैध कब्जा करने के कारण उत्पन्न विवाद का ही हल बाकी है, जिसे शान्तिपूर्ण ढंग से और द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा हल करना सबसे अच्छा होगा ।

Development of Unirrigated Agricultural Areas

488. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been included in the Fourth Five Year Plan for the development of unirrigated agricultural areas ;

(b) whether any external assistance is also likely to be received for this purpose ; and

(c) whether a decision has been taken to accord priority to some backward States in the said Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Draft Fourth Plan contemplated an outlay of Rs. 857 crores for major and medium irrigation sector, of which Rs. 97.4 crores were for new schemes.

(b) The World Bank have approved of an assistance of $ 35 million for the Mahi Kadana project in Gujarat and its ancilliary ayacut development works. They have also under consideration proposals for assisting a few other projects.

(c) Irrigation and Power projects form part of the State Plans. In the distribution of the total Central assistance amongst the States, weightage of 60% is given to population ; 10% for per capita income ; 10% for per capita taxation in relation to per capita income ; 10% for spillover on continuing major irrigation and power schemes and 10% for special problems of the States.

Targets of Foreign Trade

489. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the targets of foreign trade have been fixed for this year keeping in view the progress made during the last year ;

(b) whether it is proposed to have some new trade relations and to expand the trade ; and

(c) whether it is also proposed to open the offices of State Trading Corporation in some other countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) The targets for export during 1970-71 formulated in the light of the trends in exports during 1969-70 are in the process of finalisation in consultation with the Planning Commission.

(b) and (c). Yes, Sir.

China U. S. A. Talks

490. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the results of the talks last held between the representatives of China and U. S. A. in Warsaw ;

(b) whether any further improvement has been effected between the relations of the two countries ; and

(c) its likely impact on world politics ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Government are therefore unable to say whether any improvement in the relations between the two countries is to be expected or what will be the impact on the world political scene.

Demand for Funds for Remodelling of Dam in Eastern Uttar Pradesh

492. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Irrigation Minister of Uttar Pradesh had demanded of sum of Rs. 3 crores for the remodelling of dams in Eastern Districts of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether Government have agreed to meet the demand for Rs. 1.50 crores required for the repair of Ballia-Beria dam which is eroding ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). In September, 1969, the former Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh had asked for an assistance of Rs. 3 crores for undertaking flood control works and repairs to important Bunds including the Ballia Baria Bund in Uttar Pradesh during the current financial year.

Flood control works have to be taken up and executed as part of State Pan schemes. Central assistance for Plan Schemes is made available in the form of block grants and loans. A ceiling of Rs. 2.9 crores on flood relief measures, including a provision of Rs. 40 lakhs for restoration of irrigation and flood control works, during the current year has been adopted for the purpose of Central assistance to Uttar Pradesh Government.

Prime Minister's Statement regarding Backwardness of Eastern U. P.

493. **Shri Chandrika Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had declared at Mirzapur during her tour of Eastern districts of Uttar Pradesh in the second week of January, 1970 that the backwardness of Uttar Pradesh, particularly of Eastern Uttar Pradesh would be removed ; and

(b) the steps to be taken by Government in this regard during the Fourth five Year Plan ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Prime Minister expressed her deep concern that many districts in different parts of the country, including Mirzapur and several others in Uttar Pradesh, continued to be backward. She hoped it would be possible, over a period of time, for the Eastern districts of Uttar Pradesh to catch up with the Western districts, and for the whole of Uttar Pradesh to come on par with the more developed States in the country. However, this would require a dynamic and purposeful administration and greater responsiveness and participation by the people in programmes of economic development.

(b) A weightage of 10 per cent in the distribution of Central assistance has already been given to those States, including Uttar Pradesh, which have a per capita income below the national average. Under the scheme of block loans and grants it is for the States Governments to draw up special programmes for the accelerated development of the backward areas, and provide the necessary allocations for the purpose within their Plans.

Burmese Citizenship for Indians

494. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been reached between the Governments of India and Burma to the effect that the Government of Burma will grant citizenship to persons of Indian origin ; and

(b) whether it is also a fact that the Government of Burma would pay compensation to the Indian business men for the loss suffered by them due to nationalisation done by it ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Government of Burma have indicated their intention to grant citizenship to those non-nationals of Burma who qualify.

(b) The question of compensation for the assets of Indian nationals who have returned from Burma is under the consideration of both the Governments.

पेडोंग में भू-स्खलन से सीमा सड़क संगठन के मजदूरों की मृत्यु

496. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जनवरी, 1970 को पेडोंग में भू-स्खलन के कारण सीमा सड़क संगठन के 30 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दे दिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। (एक अफसर समेत) 30 कर्मचारी पेडोंग-ऋषि मार्ग पर काम करते हुए ऋषि पुल के पास भू-स्खलन के कारण निधन को प्राप्त हो गये थे।

(ख) वर्कमेन्ज कम्पेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत सेविवर्ग के कुटुम्बों को देय मुआवजे के दावों की फोरी अन्त रूपरेखा की तैयारी के लिये निर्देशन जारी कर दिए गये हैं। इस बीच मृत अधीनस्थों के निकट कुटुम्बियों को रेजिमेंटी निधि से प्रति कुटुम्ब 600 रुपये अदा कर दिये गये हैं। मृत अफसर के निकट कुटुम्बी को 1000 रुपए अदा किये जा रहे हैं।

Setting up of Show Rooms in Foreign Countries

497. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has set up some shops in various big cities of Middle Asia ;

(b) whether it is also a fact that one office in each of the above cities has also been set up for the sale of goods manufactured in India and that officers appointed there have either retired from Government service or have never served in the Commerce and Trade Department ;

(c) whether most of those officers belong to Defence Department ;

(d) whether it is further a fact that none of the items of goods sent there 10 years ago has been sold so far and if so, the total amount which Government had to incur on the setting up of the shops ; and

(e) the reasons for which the cloth manufactured in India is not selling in Hong Kong whereas the goods manufactured by other countries are in demand ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d). Government of India had set up 3 showrooms at Kabul, Beirut and Tehran for rotational display of Indian goods with the object of creating interest abroad in our products through visual publicity and trade information. No retail sale is allowed through these showrooms. At present Kabul Showroom is being run as a Government establishment and is manned by an IFS Officer. The Showrooms at Beirut and Tehran were transferred to

the State Trading Corporation in 1967. S.T.C. has since converted them into their foreign offices with their own staff. No Defence personnel is working in any of these Showrooms.

(e) Price of Indian textile are not competitive against those of textiles imported into Hong Kong from China, Japan and Formosa which are the major suppliers.

Means of Irrigation in Uttar Pradesh

498. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the means of irrigation made available in Uttar Pradesh during the first Three Five Year Plans ;

(b) the percentage of means of irrigation made available in Uttar Pradesh in relation to those in the entire country during the aforesaid plans;

(c) the schemes for the expansion of the means of irrigation in Bundelkhand and the eastern districts of Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan ;

(d) the extent to which the lift irrigation schemes have proved to be successful and the names of the rivers and places where these schemes have been started ;

(e) whether there is any proposal to start a lift irrigation scheme on Sai river between Aghaura and Khanpur situated on the borders of the Rae Bareli and Unnao districts respectively ; and

(f) if so when the said scheme would be started ?

The Deputy Minister in the Minstry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). During the three Five Year Plans 4 major and 52 medium irrigation projects were taken up in Uttar Pradesh. These projects created an irrigation potential of 22.5 lakh acres which was about 13% of the total potential created from major and medium irrigation projects in the country in this period.

(c) In addition to completing during the Fourth Plan the works already in progress, the Government of Uttar Pradesh are contemplating the following new schemes in the major and medium irrigation sector :

Kishanpur Pumped Canal ;
Bhitaura Pumped Canal ;
Ren Pumped Canal ; and
Adwa Dam.

in eastern districts of Uttar Pradesh.

Ora Pumped Canal ;
Sahura Pumped Canal ;
Augasi Pumped Canal and
Remodelling of Ken Canal
in Bundelkhand.

(d) Work on the floating pumping stations were taken up in the major and medium irrigation sector since 1968 on the Ganga at Dalmau (Rae Bareli district) ; at Bhopauli (Varanasi district) at Tempur in Zamania tahsil (Ghazipur district) and at Narainpur (Mirzapur district) ; and on the Tons at Gaura (Allahabad district).

The Dalmau floating pumping station stood the record floods in the Ganga in 1969 satisfactorily. The State Government have reported that the performance of such stations will be assessed after their running for about 3 years.

(e) and (f). The State Government have reported that there is no proposal to start any lift irrigation scheme in this reach of the Sai river.

Lift Irrigation Scheme on Ganga River in Dalmau (U.P.)

499. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the time likely to be taken in completing the lift irrigation scheme on Ganga river in Dalmau in Rae-Bareli district in Uttar Pradesh which is stated to be the source of irrigation the estimated cost of that scheme;

(b) the amount of work completed so far on the aforesaid scheme alongwith the amount spent thereon ; and

(c) the acreage of land likely to be irrigated by the aforesaid schemes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). All the major works like the pumping station and feeder channel have been completed and the Dalmau pumping station has been running to full capacity since October 1969. The estimated cost of the project Stage I is Rs. 164 lakhs. The expenditure incurred on the works upto end on December 1969 has been reported to be Rs. 105 lakhs.

(c) 60,000 acres.

Power Supply to Uttar Pradesh

500. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the quantity of electricity supplied to Uttar Pradesh during the last three five year Plans, Plan-wise ;

(b) the names of the Eastern Districts of Uttar Pradesh and areas of Bundelkhand where electricity is likely to be extended during the Fourth Five Year Plan ; and

(c) whether Government propose to supply more electricity for agricultural purposes and effect reduction in the rate therefor during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The quantity of electricity spplied to consumers in Uttar Pradesh is as follows :

First Plan	.. 2432 million KWh
Second Plan	.. 4012 million KWh
Third Plan	.. 8384 million KWh
1966-67 to 1968-69	.. 10102 million KWh

(b) and (c). The Fourth Plan of Uttar Pradesh has not yet been finalised.

Military Training by North Vietnam to Pak Personnel

501. **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bansh Narain Singh :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Officers of North Vietnam have supported to give military training to Pakistan ; and

(b) if so, whether Government propose to have any change in its policy towards North Vietnam ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) Government have no information.

(b) Does not arise.

कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को समाप्त करना

502. **श्री वि० नरसिम्हाराव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को समाप्त करने के कम्बोडिया के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). कम्बोडिया-स्थित अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियन्त्रण आयोग ने, जिसका प्रधान भारत है, 31 दिसम्बर, 1969 को सर्वसम्मति से इसका काम अनिश्चित काल के लिये रोकने से सम्बद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया था। कम्बोडिया की शाही सरकार की इच्छाओं के मुताबिक, आयोग के सह-प्रधानों के विचारों को अच्छी तरह जान लेने के बाद और इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग यह कार्रवाई करने पर मजबूर हो गया कि इसकी वित्तीय कठिनाइयों का कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा तूफान की चेतावनी देने वाले रडारों का निर्माण

503. **श्री वि० नरसिम्हाराव :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार तूफान की चेतावनी देने वाले रडारों का निर्माण करने का है अथवा उन्होंने ऐसे रडारों का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो एक रडार की लागत कितनी है और वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) किन-किन स्थानों पर ये रडार स्थापित किये जायेंगे या किये गये हैं और कब ; और

(घ) प्रत्येक रडार पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तूफानों के लिये सावधान करने वाले रडारों का भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में निर्माण के लिये प्रस्ताव हस्तगत हैं।

(ख) प्रायोजना अभी विकास प्रावस्था में है और तूफानों के लिये सावधान करने वाले रडारों के लिये अनुमानों की लागत और उत्पादन कार्यक्रम की अन्तिम रूपरेखा अभी तैयार होनी है।

(ग) बी० ई० एल० द्वारा निर्माण किए जाने वाले निम्न स्थानों पर स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं :

1. कलकत्ता
2. भुवनेश्वर
3. मसूलीपटम
4. मद्रास
5. नागापट्टिनम
6. गोआ, और
7. बम्बई

(घ) आवश्यक विदेशी मुद्रा का पक्का अनुमान लागत अनुमानों की अन्तिम रूपरेखा की तैयारी के पश्चात ही केवल, प्राप्य हो पायेगा। तदपि कच्चे निर्धारण के अनुसार प्रति रडार के लिये 6 लाख रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी।

पलकों के कृत्रिम बालों का निर्माण

504. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पलकों के कृत्रिम बालों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो एक जोड़े आयातित पलकों के बालों की तुलना में भारत में निर्मित एक जोड़े पलकों के बालों की लागत कितनी है ;

(ग) 1969 के दौरान पलकों के बालों के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) भारत में पलकों के कृत्रिम बालों का निर्माण करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बरौनियों के कृत्रिम बालों के आयात का पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता और इसलिये अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) शून्य ।

अखिल भारतीय आपातकालीन कमीशन प्राप्त विमुक्त अधिकारी संघ

505. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आपातकालीन कमीशन प्राप्त विमुक्त अधिकारी संघ ने लगभग 3,000 युवा सैनिक अधिकारियों को रोजगार देने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). अमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को अन्यत्र काम देने के बारे में उक्त संघ ने विभिन्न सुझाव दिये हैं, जो विचाराधीन हैं ।

प्रतिरक्षा सेनाओं में सिविल कर्मचारी

506. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सिविलियन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1965 की आपात-कालीन स्थिति में जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में प्रतिरक्षा सेनाओं में आये थे और जिनको इण्डियन सिविल सेवा में रखा गया था ;

(ख) ऐसे कितने अधिकारियों को प्रतिरक्षा सेवा से मुक्त कर दिया गया है और कितने अधिकारियों को मुक्त नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवा से मुक्त न किये गये ऐसे अधिकारियों के पदोन्नति तथा पदक्रम के अवसर, उनको प्रतिरक्षा सेवा से मुक्त न किये जाने के कारण, खराब हो रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

मार्च, 1968 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों के लिये पेंशन की बढ़ी हुई दर

507. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 मार्च, 1968 को और उसके पश्चात् जो सैनिक अधिकारी सेवानिवृत्त हुये थे, उन्हें बढ़ी हुई दर पर पेंशन दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो अधिकारी 1 मार्च, 1968 से पूर्व सेवा-निवृत्त हुये थे, उन्हें इस पेंशन सम्बन्धी लाभ से वंचित रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ये लाभ 1 मार्च, 1962 से देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। तदपि उन अफसरों के लिये कि जो 1 मार्च, 1968 या उसके पश्चात् सेवा से निवृत्त हुए थे, (अफसरी पद से निम्न) सेवा अफसरों के लिये उच्च दरों पर सेवा की पेंशन स्वीकार की है।

(ख) से (ग). अफसरों के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं उठता। (अफसरों के अतिरिक्त) सेवा अफसरों के सम्बन्ध में उन उच्च दरों की पेन्शन उन्हें नहीं दी गई कि जो 1-3-68 से पहले सेवा से निवृत्त हुये थे, क्योंकि सेवानिवृत्त उन नियमों और आदेशों द्वारा शासित हैं जो उनकी सेवा-निवृत्ति के समय लागू थे। रक्षा और असैनिक दोनों ओर ऐसा ही नियम है और ऐसी ही प्रक्रिया।

ब्यास बांध के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

508. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 के अन्त तक ब्यास बांध के निर्माण के लिये भूमि अर्जन द्वारा कितने परिवार विस्थापित हुये हैं ;

(ख) जनवरी, 1970 तक उनमें से कितने परिवारों को बसाया गया है ;

(ग) जुलाई, 1971, जुलाई, 1972 और जुलाई, 1973 के अन्त तक कितने परिवार विस्थापित हो जायेंगे और इन तीन वर्षों में कितनी भूमि अर्जित की जायेगी ; और

(घ) वर्ष 1970 से 1973 तक की अवधि में इन परिवारों को राजस्थान में बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिसम्बर, 1969 के अन्त तक 1097 परिवार विस्थापित हुये हैं।

(ख) 203 परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि अलाट की जा चुकी है।

(ग)

	जून, 1971 तक	जून, 1971 से जून 1973 के दौरान
पोंग बांध से विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या (लगभग)	12000	8500
जलाशय क्षेत्र से अर्जित की जाने वाली भूमि	39000 एकड़	27000 एकड़

(घ) विस्थापित परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाया जायेगा, जहां पर उनको (मिस्त्रियों, भूमिहीन काश्तकारों और मजदूरों को छोड़कर) कृषि और आबादियों के लिये जमीन दी जायेगी। पुनर्वास अनुदानों के अतिरिक्त, विस्थापितों को उनके लिये, उनके परिवारों के लिये और उनके मवेशियों के लिये परिवहन शुल्क भी दिया जायेगा। पुनर्वास के उनके नये स्थानों में उनके लिये पीने के पानी की डिगियां और रहने के स्थान उपदान आधार पर बनाए जा रहे हैं। आशा है कि मार्च/अप्रैल, 1970 तक लगभग 2500 घर और पर्याप्त संख्या में डिगियां बन जाएंगी। जो विस्थापित लोग राजस्थान नहर क्षेत्र में बसेंगे, उनके लिये अस्थाई शिविरों के अतिरिक्त ये सुविधाएं भी देनी स्वीकार कर ली गई हैं। स्कूल, चिकित्सा, ऋण, अनुदान, उन्नत किस्म के बीज और उर्वरक।

नेपाल के रास्ते तीसरे देश के उत्पादों का भारत में आयात

509. **श्री मधु लिमये :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री बदरुद्दुजा : **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे देश के उत्पादों को नेपाल के रास्ते अथवा मुख्य रूप से तीसरे देश के "कच्चे माल" से निर्मित नेपाली "उत्पादों" के भारत में आयात को रोकने के बारे में भारत-नेपाल बातचीत में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) स्टेनलैस स्टील के उत्पादों, कृत्रिम वस्त्रों तथा रेशों के सम्बन्ध में नवम्बर, 1968 में किये गये करार के नेपाल द्वारा किये गये कथित उल्लंघनों के सम्बन्ध में समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या जिस नई सन्धि/करार द्वारा पुराने करार का स्थान लिया जायेगा, उसके ब्यौरे को अन्तिमरूप देने से पूर्व संसद् को विश्वास में रखा जायेगा अथवा निर्णय करने के पश्चात् ही इसे संसद् के समक्ष रखा जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) तथा (ख). व्यापार तथा पारवहन संधि, 1960 में व्यापार तथा पारवहन के मामलों में भारत तथा नेपाल के बीच सम्बन्धों की व्याख्या की गई है। समझौता ज्ञापन में, जो संधि में दी गई कतिपय प्रक्रियाओं का सम्पूरक है, यह व्यवस्था है कि भारत तथा नेपाल के अधिकारियों की एक अन्तः सरकारी संयुक्त समिति की बैठक यह सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर होगी कि दोनों देशों के परस्पर लाभ हेतु, व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी कठिनाइयों को शीघ्रता से तथा सन्तोषजनक ढंग से हल कर दिया जाये।

अन्तः सरकारी संयुक्त समिति की बैठक 8 से 16 जनवरी, 1970 तक नई दिल्ली में हुई। वार्ताएं, जो सद्भावपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में आरम्भ हुईं, पूरी नहीं हुईं और समिति की आगामी बैठक होने पर पुनः शुरू हो जायेगी। वार्ताओं का सम्बन्ध मुख्यतः निम्नलिखित विषयों से है, व्यापार का दिशा परिवर्तन, भारत में ऐसे नेपाली उत्पादों का आयात जो मुख्यतः नेपाली कच्चे माल पर आधारित नहीं है और नेपाली कच्चे माल पर आधारित कतिपय नेपाली उत्पादों का निःशुल्क प्रवेश।

यह उल्लेखनीय है कि महामहिम की नेपाल-सरकार ने नवम्बर, 1969 में अपनी भेंट पार्सल योजना को संशोधित कर दिया और किसी व्यक्ति द्वारा आयात किये जा सकने वाले पार्सलों की संख्या और मूल्य में कमी कर दी है। ज्ञात हुआ है कि नयी प्रक्रिया के अधीन केवल नेपाली नागरिक ही पार्सल प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक पार्सल का मूल्य 200 नेपाली रुपये तक सीमित होगा। केवल निर्मित उपभोक्ता माल ही प्राप्त किये जा सकते हैं और पार्सलों की संख्या प्रतिवर्ष दो तक सीमित होगी।

आयातित कच्चे माल से नेपाल में बने हुए संश्लिष्ट वस्त्रों तथा अविकारी इस्पात से बने माल के सम्बन्ध में नवम्बर, 1968 में यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत को उनके निर्यातों का विनियमन करके वर्ष 1967-68 के स्तर तक सीमित कर दिया जाये ।

वर्ष 1967-68 के स्तर का निर्धारण करने के लिये वास्तविक परिणाम के बारे में समझौता न होने के कारण जुलाई, 1969 से अब तक संश्लिष्ट वस्त्रों अथवा अविकारी इस्पात से बने माल का कोई आयात नहीं किया गया है ।

अन्तः सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक के लिये अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है ।

(ग) सामान्य संसदीय प्रथा के अनुसार माननीय सदस्यों को भारत और नेपाल के बीच व्यापार के मामलों पर चर्चा करने के लिये अनेक औपचारिक एवं अनौपचारिक अवसर प्राप्त हैं ।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बारे में असैनिक प्रतिरक्षा के विरुद्ध आरोप

510. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में देश के विभिन्न न्यायालयों में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कितने कर्मचारियों पर मुकदमें चल रहे हैं ;

(ख) ऐसे कितने असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनको अभी तक नौकरी पर बहाल नहीं किया गया है अथवा जिनके विरुद्ध मुअत्तली आदेशों को रद्द नहीं किया गया है ;

(ग) कितने कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यवधान किया गया है, पदोन्नति अथवा वेतन वृत्तियां रोकी गई हैं अथवा अन्य कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई है ;

(घ) उन प्रतिरक्षा संघों के क्या नाम हैं जिनकी मान्यता बहाल नहीं की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कार्यवाहियों को रद्द करने, अदालती मामलों को वापस लेने और यथापूर्व स्थिति को पूर्णरूप से बहाल करने का है ; और यदि नहीं, तो इस नीति को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 113

(घ) एक भी नहीं ।

नायलान के धागे के मूल्यों में वृद्धि

511. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें नायलान के धागे के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने गत बजट में उक्त इन धागों पर उत्पादन शुल्क में कमी कर दी थी ताकि इसका लाभ उपभोक्ता उठा सकें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि घटे उत्पादन शुल्क का लाभ उपभोक्ताओं को देने की बजाय नायलान का धागा बनाने वाले, विशेषकर चार बड़े एकाधिकार प्राप्त नायलान का धागा बनाने वाले व्यक्तियों ने मूल्य बढ़ा कर उपभोक्ताओं, विशेषकर छोटे उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई में डाल दिया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में बने धागे पर मूल्य नियंत्रण लागू करने और छोटे उपभोक्ताओं के लाभ के लिये वितरण व्यवस्था के बारे में निदेश जारी करने का है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार, आरम्भ में, एकाधिकार-प्राप्त चार धागा बनाने वालों के उत्पादन का आधा भाग अपने अधिकार में ले लेने और उसका अपनी ओर से उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को वितरण करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो ये उपाय न करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) तथा (ख). जी हां ।

(ग) विगत बजट पेश किये जाने के पश्चात् नायलान धागे के मूल्य में उतार-चढ़ाव आता रहा है । इन उतार चढ़ावों से यह प्रकट होता है कि कत्तिन विगत बजट में उत्पादन शुल्क में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान नहीं करते ।

(घ) से (च). नायलान धागे सहित मानव-निर्मित रेशे/धागे हेतु लिये जाने वाले उचित मूल्यों का प्रश्न टैरिफ आयोग के विचाराधीन है । आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नायलान धागे के उत्पादन मूल्य और वितरण पर सांविधिक नियंत्रण की आवश्यकता और संभाव्यता पर विचार किया जा सकता है ।

विदेशी व्यापार मंत्री के विदेशों के दौरे

513. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में अमरीका तथा अन्य देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनके दौरे का क्या प्रयोजन था ; और

(ग) विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से उनके विदेशी दौरे के यदि कोई विशेष परिणाम निकले हैं तो उनका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (ग). विदेशी व्यापार मंत्री ने हाल ही में यूगोस्लाविया तथा सं० रा० अमरीका की यात्रा की थी । इन

यात्राओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

जिस देश की यात्रा की	यात्रा की तिथि	यात्रा का उद्देश्य	विशेष परिणाम
यूगोस्लाविया	29-12-69 से 3-1-70	भारत-यूगोस्लाव व्यापार तथा आर्थिक आयोग की मन्त्रि-स्तरीय संयुक्त बैठक में भाग लेना ।	दोनों देशों के बीच वर्तमान भुगतान प्रबन्धों को दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और 1970 की अवधि में व्यापार विनिमय के लक्ष्य को गत वर्ष के स्तर से 25 प्र० श० बढ़ा दिया गया है ।
सं० रा० अमरीका	20-1-70 से 2-2-70	अमरीकी प्राधिकारियों तथा अमरीकी व्यापारियों के साथ विस्तृत व्यापार वार्ताएं करना ।	व्यापार विकास तथा अधिमानों की व्यापक योजना जैसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े मामलों पर मन्त्रि-स्तर पर वार्ताएं हुईं । विभिन्न केन्द्रों में प्रमुख व्यापारियों के साथ भी वार्ताएं हुईं । इन वार्ताओं के परिणाम-स्वरूप यह आशा है कि भारत तथा सं० रा० अमरीका के बीच सहयोग सुदृढ़ हो जायेगा, जिससे हम चौथी योजना में उस देश को तथा अन्य देशों को भी अपने निर्यात पर्याप्तरूप से बढ़ा सकेंगे ।

मलयेशिया में रहने वाले भारतीयों के लिये कार्य करने के परमिट

514. **श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी : **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया में काम कर रहे 25,000 भारतीयों को उस देश में कार्य करने के नये परमिट दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार इस बात से अवगत है कि 30 जनवरी, 1970 के अन्त तक 26,437 गैर-नागरिकों को कार्य करने के लिए जो परमिट जारी किये गए थे, उन्हें मलयेशिया की सरकार ने नवीकृत कर दिया है। भारत मूल के व्यक्तियों के विषय में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि मलयेशिया की सरकार इस समस्या को हल करने के लिए प्रभावी उपाय अपना रही है।

फरक्का परियोजना कर्मचारियों के बारे में श्री के० जी० बोस का वक्तव्य

515. **श्री बदरुद्दुजा :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष, श्री के० जी० बोस, के 14 जनवरी, 1970 को कलकत्ता में दिये गये प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि फरक्का परियोजना के अधिकारियों ने परियोजना के श्रमिकों और कर्मचारियों के नौकरी के संरक्षण के लिये वैध संघर्ष को विफल बनाने के लिये उन्हें बदनाम करने हेतु, एक व्यवस्थित अभियान प्रारम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) यह आरोप सरासर गलत है कि फरक्का बराज परियोजना के अधिकारियों ने परियोजना के श्रमिकों और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिये वैध संघर्ष को विफल बनाने के लिए उन्हें बदनाम करने हेतु एक व्यवस्थित अभियान आरम्भ कर दिया है। श्रमिकों ने मांगों की एक सूची प्रस्तुत की है। इन पर विचार हो चुका है और इन्हें यथासंभव स्वीकार कर लिया गया है।

सरकार इस समय उन विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है जो कुछ समय बाद, परियोजना के पूर्ण होने पर, परियोजना के उन कर्मचारियों और श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए किए जायेंगे जो फालतू हो जायेंगे। परियोजना के श्रमिकों को समय-समय पर उस कार्रवाई की जानकारी दी जाती रही है, जो इस सम्बन्ध में की जा रही है।

मंत्रियों द्वारा आयातित कारों का प्रयोग

516. **श्री अदिचन :** **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री वंश नारायण सिंह :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में सरकारी खर्च में मितव्ययता करने की जो मांगें की गई थीं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अपने मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों की सुविधाओं पर, जिसमें विदेशों में निर्मित कारों के स्थान पर भारत में निर्मित कारों का प्रयोग शामिल है, खर्च में कमी करने का कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों तथा विभागों, जिसमें स्वतंत्र कार्यालय, शामिल हैं, द्वारा प्रयोग में लायी जा रही विदेशों में निर्मित कारों की संख्या कितनी है और उनके स्थान पर भारत में निर्मित कारों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (ग). सम्बद्ध मंत्रालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Recruitment of Commissioned Officers Through Union Public Service Commission

517. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that new Commissioned Officers are being recruited, every year, in the Indian Army through Union Public Service Commission, whereas the Emergency Commissioned Officers are being released ; and

(b) if so, whether Government have under consideration a proposal to grant regular Commissions to the released Emergency Commissioned Officers after imparting them intensive training undergone by the regular Commissioned Officers ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes. Some candidates are granted permanent Commission on the basis of a written examination held by the UPSC and interviews conducted by the Services Selection Boards.

(b) Emergency Commissioned Officers, who opted for permanent absorption in the Army and were found fit for such absorption in all respects have been or are being granted permanent Commission. Only those ECOs, who did not opt for such absorption or those who had opted but were found unfit for such absorption, have been or are being released. There is no proposal to impart any intensive training with a view to consider ECOs for grant of permanent Commission.

Basis of Payment for Russian Military Equipments

518. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan of the 16th July, 1968 that the Communist countries would not give military equipments on rupee payment basis and would only give on payment of dollars or sterling ;

(b) if so, whether it is because of the diplomacy of Pakistan ;

(c) whether Government have failed to face the diplomacy of Pakistan in foreign countries ;

(d) whether Government propose to treat Pakistan in a diplomatic way taking her to be as an enemy Government ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Minstry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have seen the press report which is factually not correct.

(b) to (e). Do not arise.

Reply to Letters of M.Ps. to Ministers

519. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4985 dated the 18th December 1968 and state :

(a) whether Government would lay, on the table of the House, a copy of the directions issued to the various Ministers in regard to the replies by the Ministers and senior officers of the various Ministries to the letters received by them from the Members of Parliament ;

(b) the steps Government propose to take to ensure replies by the Ministers to the letters received by them from the Members of Parliament, without delay ; and

(c) whether she is aware that Administration Sections of the concerned Ministries delay the replies of the letters received by them from the Members of Parliament purposely, so that the persons concerned against whom the complaints are made could be cautioned ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Relevant extracts from the existing instructions on the subject are attached. These instructions envisage that communications to which replies can be given straightaway on the basis of the information available, should be answered promptly. In other cases interim replies should be sent.

(c) Necessary enquiries can be made if the Hon. Members would cite specific instance where undue delays have occurred in replying to their communications.

Statements

Manual of Office Procedure

41. **Acknowledgements or interim replies—**

(i) Acknowledgements—(a) All communications from Members of Parliament,

recognised associations, public bodies and responsible members of the public which cannot be answered promptly should ordinarily be acknowledged suitably.

(b) When a communication is wrongly addressed to a Ministry, the receiving Ministry will, while transferring it to the Ministry concerned, indicate whether or not its receipt has been acknowledged. When a communication is acknowledged by the first Ministry, the sender will also be informed of the fact of transfer.

(ii) Interim Replies—(a) If delay is anticipated in sending out a final answer, an interim reply may be sent to the party concerned.

(b) A suitable interim reply should immediately be sent to all demi-official letters which cannot be answered promptly.

(c) When a demi-official letter addressed to the Minister by name is sent into the office and if the matter under reference cannot be immediately disposed of, a draft interim reply should be put up forthwith.

42. **Correspondence with Members of Parliament—**

Communications received from Members of Parliament should be given high priority. All replies to such communications should ordinarily be issued with the approval of the Secretary or Joint Secretary concerned.

Reduction of Staff in Indian Missions Abroad

520. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the number of officers and employees working in Indian Missions stationed abroad particularly in big countries like England and U.S.A., in order to effect economy in view of foreign exchange difficulty and paucity of funds ;

(b) whether various allowance being paid to them are also proposed to be reduced ;

(c) whether it is a fact that when Indian employees working in the Indian Missions abroad return to India, they bring with them various types of foreign goods in large quantities and sell them to the people at higher prices ; and

(d) if so, whether Government propose to impose a ban on such articles being brought to India in this manner and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The personnel strength and expenditure on our Missions are continuously kept under review, consistently with the requirements of efficiency. Economics are effected wherever possible. In our High Commission in London, the sraff strength which was 1340 in 1958-59 has been progressively reduced to the present level of 749, resulting in economy in expenditure. The possibility of economising in expenditure on our Missions in the USA is under consideration.

(b) As the cost of living, house rentals, etc. have been increasing the world over, it has not been possible to reduce the allowances, but as stated above, savings in other ways are effected as far as possible. But for these measures, the overall expenditure would have been much higher.

(c) India-based personnel of our Missions returning to India are allowed the same concessions under (i) the Passenger (Non-Tourist) Baggage Rules and (ii) the Transfer of Residence Rules, as are admissible to other Indian nationals returning to India. Where our personnel are transferred to Headquarters in the public interest before completion of their normal tenure of 2 to 3 years abroad, these concessions are available to them. The quantity and value of personal effects so imported by them are also subject to prescribed limits and restrictions including their disposal.

(d) The general rules made by the Government of India from time to time in respect of the Baggage and Transfer of Residence concessions are observed by the personnel of this Ministry. The question of any separate proposal by this Ministry in this regard does not, therefore, arise.

Development Scheme for U. P.

521. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
Shri Bansh Narain Singh:

Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the details of the Development schemes for Uttar Pradesh included in First, Second and Third Five Year Plans;

(b) the names of the schemes which have been completed;

(c) whether the said schemes were completed within the target time;

(d) whether Government propose to introduce additional schemes in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan with a view to remove the backwardness of the State and bring it at par in developmental works with other progressive States in the country; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). Planning Commission approves the outlay of sectoral programmes within which the development schemes are formulated by the State Government. (A statement showing sectoral outlays and actual expenditure during three Plans is enclosed herewith). **[Placed in the Library. See No. LT-2595/70].**

(d) Schemes to be included in the Fourth Plan are to be formulated by the State Government.

(e) Does not arise.

बिजली तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता

522. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को सस्ते दामों पर बिजली की सप्लाई करने तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु को केन्द्र द्वारा कितनी-कितनी वार्षिक सहायता दी गई ;

(ख) उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में उसका प्रति व्यक्ति अनुपात कितना था ;

(ग) क्या सरकार का विचार दोनों ही राज्यों को प्रति व्यक्ति आधार पर सहायता देने का है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस शीर्ष के अन्तर्गत सहायता राजनैतिक कारणों के आधार पर दी जाती है और न कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार तथा उसके जीवन बीमा निगम जैसे स्वायत्त निकाय इस शीर्ष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को पर्याप्त ऋण नहीं दे रहे हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में इस शीर्ष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु को पृथक-पृथक केन्द्र तथा उसके विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारत सरकार की उपदान स्कीम में, जो 31 मार्च, 1969 तक लागू थी, कृषि उद्देश्यों के लिये 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक की बिजली की दरों में उपदान देना परिकल्पित था और वह उपदान केन्द्र और सम्बन्धित राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्कीम से 1968-69 में लाभ उठाया था जबकि केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में 2,22,500 रुपये की राशि स्वीकार की गई थी। तमिलनाडु के सम्बन्ध में यह स्कीम लागू नहीं थी क्योंकि उस राज्य में कृषि उद्देश्यों के लिये बिजली की दरें 12 पैसे प्रति यूनिट से कम थीं।

ग्राम विद्युतन स्कीमों के लिये पृथक रक्षित केन्द्रीय ऋण सहायता 1968-69 तक राज्य की योजना के लिये निर्धारित राशियों में से दी जाती थी। इस सम्बन्ध में तमिलनाडु को कुल 4508.26 लाख रुपये और उत्तर प्रदेश को 4313.56 लाख रुपये की कुल सहायता दी गई जो कि क्रमश: 8.25 रुपये और 6.71 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता बैठती है।

(ग) चौथी योजना के आरम्भ से ग्राम विद्युतन स्कीमों के लिये कोई पृथक रक्षित केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है और इस सम्बन्ध में परिव्यय की व्यवस्था राज्य सरकारों को दी गई समग्र सहायता समेत उनके योजना सम्बन्धी संसाधनों में से की जाती है।

(घ) जो कुछ ऊपर बताया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). जीवन बीमा निगम ने राज्य बिजली बोर्डों की सम्पत्ति को रहन रख कर सम्पूर्ण ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के समेत बिजली विकास योजनाओं के लिये राज्य बिजली बोर्डों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु ऋण दिये। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्डों को जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई ऋणों की राशियां निम्नलिखित हैं :

	1967-68	1968-69	1969-70
		(करोड़ रुपयों में)	
तमिलनाडु	2.00	5.35	6.60
उत्तर प्रदेश	1.50	3.00	3.00

Export of Mica

523. **Shri Ramavtar Shastri:** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the export of mica has come down consequent to which foreign exchange earnings have decreased;

(b) if so, the reasons therefor and the details, yearwise in respect of the decrease in the said earnings;

(c) whether it is also a fact that large scale smuggling of mica from Bihar is one of the main reasons therefor;

(d) if so, the steps taken by Government to check this smuggling; and

(e) whether Government have formulated any scheme to promote the export of mica and if so, the details therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak): (a) and (b). There was a marginal decline of about 4% in the exports of mica during 1968-69 when compared to the exports during 1967-68. The decline in exports of mica was partly due to release of mica from US stockpile and partly the emergence of new sources of supply. The reconstituted mica and mica substitutes have also depressed the demand for natural mica to a certain extent. A statement covering the exports of mica during the last 3 years is enclosed.

(c) and (d). There has not been any large scale smuggling of mica from Bihar. However measures like regulating the exports of Mica and Mica products to Nepal under the Export Control Order and strengthening the staff at the check posts on the Indo-Nepalese border have been introduced to prevent unauthorised exports of mica into Nepal:

(e) and (f). Following measures have been taken to boost the exports of mica:

(i) fixation of minimum floor price for important and identifiable grades of mica below of which exports are not allowed;

(ii) banning the export of mica on consignment account; exports are now allowed only against 100% irrevocable letter of credit;

(iii) introduction of pre-shipment inspection of mica so as to regain confidence of foreign buyers in Indian mica; and

(iv) increased emphasis on the export of processed mica.

Cost of Electricity in Ladakh

524. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the generation cost of electricity in Ladakh is very high and the cost of diesel and Hydro-electricity is also high; and

(b) if so, the reasons for which Ladakh has been excluded from the All India Electricity Grid?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). In Ladakh, the cost of diesel generation (between 75 paise to 115 paise per unit) and the cost of generation through micro-hydel stations (between 20 to 25 paise per

unit) is high mainly because of the high attitude, rigorous temperature conditions, expenditure on precautions against freezing of water and high cost of transportation of fuel and equipment. Interconnection with the neighbouring grids and eventually with the All India Grid, when it is formed, would be economically feasible when sufficient load demand has developed in the areas.

Construction of Zero Energy Fast Reactor Station, Trombay

525. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the progress so far made in respect of the construction of Zero Energy Fast Reactor Station, Trombay ; and

(b) the time by which the Station is likely to be commissioned for test and research ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The building under construction to house the facility is expected to be completed by June 1970. The fabrication of the system, reactor components and fuel elements is expected to be completed by September, 1970.

(b) After completing the tests on control system, the reactor is expected to go critical by December, 1970 and will thereafter be available for research experiments.

Construction of Reactor Research Centre, Kalpakam

526. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the progress made, so far, in the construction of Reactor Research Centre in Kalpakam, Tamil Nadu ; and

(b) the time by which the aforesaid Centre would be able to make research in fast breeder reactor technique ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Site investigations have been completed and the layout of the Centre has been finalised. Work on the construction of engineering halls and allied facilities is in progress.

The engineering halls are expected to be commissioned some time in December 1970. Construction work on the fast breeder test reactor is expected to commence in about 12 months.

आठवीं गार्ड भारतीय सेना

527. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं गार्ड भारतीय सेना के अधिकारियों तथा सैनिकों द्वारा किये गये अत्याचारों के बारे में मनीपुर के भूतपूर्व विकास मंत्री श्री के० एनवी द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रति सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां। वक्तव्य में ऐसे आरोप लगाए गए थे कि सेना से विवर्ग ने उखरूल गांव असैनिकों पर नृशंसतापूर्वक अत्याचार किये

थे। मणिपुर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय सैनिक अफसरों के एक सम्मिलित दल ने कि जिसने घटना की जांच की थी, रिपोर्ट की थी कि आरोप निराधार थे।

तारापुर परमाणु संयंत्र के स्विच-यार्ड में दोषों का पाया जाना

528. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री समर गुह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु संयंत्र के स्विच-यार्ड में दोष पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) दोषों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां। तारापुर केन्द्र के निकटवर्ती स्विच-यार्ड में 220 किलोवोल्ट के आइसोलेटर तथा इन्सोलेटर कुछ खराब हो गये थे। इस केन्द्र का स्वामित्व महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के पास है और वही इसे चलाता है तथा इसका रख-रखाव करता है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने मरम्मत का आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ किया हुआ है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के परीक्षण विमान चालक की मृत्यु

529. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री बलराज मधोक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के एक परीक्षण विमान चालक की हाल में एक नियमित उड़ान में एच० एफ० 24 जेट विमान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारण के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)। (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना की परिस्थितियों तथा कारणों और सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए एक जांच बोर्ड संविहित किया गया है।

(ग) बोर्ड के निष्कर्ष प्रतीक्षित हैं।

पाकिस्तान द्वारा पश्चिम जर्मनी के सहयोग से टैंक-भेदी 'कोबरा' प्रक्षेपणास्त्र बनाया जाना

530. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सामिनाथन :
श्री न० कु० सांघी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री सेझियान :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से टैंक भेदी "कोबरा" प्रक्षेपणास्त्र बनाना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह सहयोग पश्चिम जर्मनी की वर्ष 1961 से घोषित इस नीति के विरुद्ध है कि वे तनावपूर्ण क्षेत्रों में सैनिक सामान नहीं भेजेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). उत्पादन उस करारनामे की शर्तों के अनुसार है, जिस पर इस उद्देश्य के लिए 1963 में हस्ताक्षर हुए थे। सरकार ने समाचार पत्रों में इस विषय की रिपोर्ट देखी है कि जर्मनी की फीड्रल सरकार के वैदेशिक मंत्री ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि इन मीजाईलों के निर्माण के लिए पाकिस्तान को समर्थ बनाने के लिए लाइसेंस जर्मनी की फीड्रल सरकार के 1965 में "सिद्धान्ततः" ऐसा निर्णय करने से पहले किया गया था कि तनाव के क्षेत्रों को कोई आयुध सप्लाई न किए जाएं, या जर्मन फर्मों द्वारा आयुधों के लिये कोई लाइसेंस न दिए जाएं ।

200 मेगावाट शक्ति के विद्युत केन्द्र स्थापित करना

531. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 200 मेगावाट शक्ति के केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों को किन-किन राज्यों में स्थापित करने का विचार है ;

(ग) इस परियोजना के निष्पादन में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों में बिजली की कमी किस हद तक पूरी होने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) दो-दो सौ मैगावाट के चार तापीय उत्पादन यूनिटों को आजमाइशी तौर पर लगाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :

वदरपुर (दिल्ली)	1×200 मैगावाट
ओवरा (उत्तर प्रदेश)	2×200 ,,
कोठागुडम (आंध्र प्रदेश)	1×200 ,,

(ग) कार्यान्विति की अवधि धन की उपलब्धता और निर्माण की प्रगति पर निर्भर करती है। आशा है कि यह अवधि 4-5 वर्ष होगी।

(घ) यदि यह प्रस्ताव कार्यान्विति के लिए स्वीकार कर लिया गया तो बिजली की कमी उत्तरी क्षेत्र में लगभग 550 मेगावाट तक और दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 180 मैगावाट तक दूर हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रधान मंत्री द्वारा खण्डन

532. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री ने प्रधान मंत्री के इस आरोप का खण्डन किया है कि उन्होंने केन्द्र तथा योजना आयोग की प्राथमिकता सूची नहीं दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश को हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य के मन में क्या है। सम्भवतया, वे पाण्डे एवं वांचू समितियों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार पिछड़े जिलों का पता लगाने के संदर्भ में पूछ रहे हैं। योजना आयोग ने अपने 10 दिसम्बर के परिपत्र में सभी राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता एवं केन्द्रीय सहायता के योग्य अत्यन्त पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिये तथा 15 जनवरी, 1970 तक अपनी सिफारिशें भेजने के लिये अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशें योजना आयोग में 10 फरवरी को प्राप्त हुई थीं।

आयुध/वस्त्र कारखानों में काम की कमी

533. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध/वस्त्र कारखाना, शाहजहांपुर, पैराशूट कारखाना, आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर तथा वस्त्र कारखाना, अराड़ी में अब भी काम की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं जिनके पास अब भी फालतू समय है ;

(ग) क्या इसका कारण यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को काम दिया जाता है ; और

(घ) इन कारखानों का वर्तमान संकट दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) 1-2-1970 तक 2982।

(ग) जी नहीं।

(घ) सेवाओं के लिये तम्बुओं, दरियो इत्यादि जैसी मदों का निर्माण हस्तगत करते हुए क्लोथिंग फैक्टरियों में उत्पादन के विभिन्नीकरण के लिए कार्यवाही की गई है। वस्त्रों और सिली-सिलाई मदों के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों और राजकीय क्षेत्र के उपकरणों से कुछ सफलता सहित आर्डर प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं और इस दशा में अन्य प्रयास जारी हैं। देश में बिक्री तथा निर्यात के लिए तैयार शुदा वस्त्रों का निर्माण हस्तगत करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

कानपुर में मिश्रित धातु इस्पात कारखाना

534. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एक विशेष मिश्रित धातु इस्पात कारखाना स्थापित हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इस कारखाने पर सम्भवतः कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(घ) इस कारखाने की उपयोगिता क्या है तथा यह किस सीमा तक रोजगार देने में सक्षम होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख) कानपुर में इस संयंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता सरकार ने अभी हाल में ही केवल स्वीकार की है। प्रायोजना रिपोर्ट अभी तैयारी अधीन है।

(ग) इस सयंत्र पर व्यय की जाने वाली संभावित राशि, प्रायोजना रिपोर्ट की अन्तिम रूपरेखा तैयार हो जाने के पश्चात ही केवल, ज्ञात हो पाएगी।

(घ) यह संयंत्र आर्डनेंस फैक्टरियों के लिए आवश्यक विशिष्ट तथा मिश्र फौलाद की आवश्यकताएं जुटाएगा।

उसकी रोजगार क्षमता, प्रायोजना रिपोर्ट की अन्तिम रूपरेखा की तैयारी के पश्चात् ज्ञात हो पाएगी।

यूरोपीय देशों में भारतीय इन्जीनियरी सामान की मांग

535. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है यूरोपीय देशों में भारतीय इन्जीनियरी का सामान खरीदने की मांग बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने क्रयादेश दिये हैं ; और

(ग) इंजीनियरी के सामान की सप्लाई के लिये ठेके की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) तथा (ख). जी हां। एक विवरण संलग्न है जिसमें गत कुछ वर्षों में प्रमुख यूरोपीय देशों को किये गये इन्जीनियरी माल के निर्यात दिखाये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2596/70]** भारतीय निर्यात लगभग सभी यूरोपीय देशों को किए जा रहे हैं।

(ग) इंजीनियरी माल का संभरण करने के संविदाओं के लिये कोई मानक शर्तें नहीं हैं। ये शर्तें तो प्रत्येक संविदा के विषय में खरीदार तथा विक्रेता के बीच व्यक्तिगतरूप से तय होकर उल्लिखित होती हैं।

वर्ष 1967-68, 1968-69, 1969-70 (अप्रैल-नवम्बर) में प्रमुख यूरोपीय देशों को किये गये इन्जीनियरी माल के निर्यातों को दर्शाने वाला विवरण।

(मूल्य लाख रुपए में)

देश	1967-68	1968-69	1969-70 अप्रैल-नवम्बर
चेकोस्लोवाकिया	162.45	256.00	161.96
पूर्व जर्मनी	80.20	195.66	165.63
सोवियत संघ	70.09	97.34	35.44
यूगोस्लाविया	51.23	208.68	242.73
फ्रांस	14.43	21.38	29.44
प० जर्मनी	40.56	74.58	94.98
ब्रिटेन	137.31	196.37	361.55
अन्य	423.62	261.38	190.71
सभी यूरोपीय देशों को किये गये कुल निर्यात।	979.89	1311.39	1282.44

सिन्धु-जल सन्धि

536. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु-जल संधि का नवीकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी मांग नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत में प्रयोग के लिये कितना अतिरिक्त जल उपलब्ध होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले 10 वर्ष के संक्रमण काल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल सन्धि जो एक अविच्छिन्न सन्धि है, के अन्तर्गत अन्य चीजों के साथ-साथ सिन्धु प्रणाली की पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास तथा रावी) से पाकिस्तान को जल की सप्लाई की जानी है। संधि में संधि-काल को पाकिस्तान के अनुरोध पर एक, दो अथवा तीन वर्षों तक बढ़ाये जाने का भी प्रावधान है, यदि यह प्रार्थना अधिकतम 31 अक्तूबर, 1969 तक प्राप्त हो जाय। पाकिस्तान सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है और इसलिये 31 मार्च, 1970 के बाद संक्रमण-काल को बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। इससे संधि का अनुबंध 'एच', जो जल के वितरण से सम्बद्ध है, समाप्त हो जाएगा।

(ख) संक्रमण-काल के समाप्त होने पर सिन्धु प्रणाली की पूर्वी नदियों का सारा जल भारत में बिना रोक-टोक के प्रयोग के लिये उपलब्ध हो सकेगा और 31 मार्च, 1970 के पश्चात् इन नदियों से पाकिस्तान को पानी की सप्लाई करना हमारे लिए अपेक्षित नहीं है। फिर भी जुलाई, अगस्त और सितम्बर, के कुछ जल बाढ़ मासों के दौरान उस समय तक पानी नीचे बहता रहेगा जब तक रावी तथा व्यास नदियों पर संचम, ब्यास-सतलुज लिंक तथा राजस्थान नहर परियोजना इस जल को प्रयोग में लाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। पिछले वर्ष (1968-69) के दौरान पूर्वी नदियों का लगभग 90 लाख एकड़ फुट पानी बहकर पाकिस्तान को चला गया था जिसमें से अधिकतर जुलाई, अगस्त और सितम्बर, के बाढ़-मासों का पानी था। इस वर्ष इन्हीं महीनों में इस मात्रा के नदियों में अधिक सप्लाई होने के कारण लगभग 9.5 लाख एकड़ फुट होने की सम्भावना है।

हथियारों और गोला बारूद की अन्य देशों को बिक्री

537. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश विश्व बाजार में हथियार तथा गोला बारूद बेचने की स्थिति में हो गया है जैसा कि आयुद्ध निरीक्षण महानिदेशक ने हाल ही में विचार व्यक्त किया हैं ; और

(ख) उक्त विचार किस आधार पर व्यक्त किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). छोटे आयुधों, हल्की आर्टिलरी और मारतोड़ों तथा संबंधित किस्म के गोलीबारूद के विषय में काफी हद तक आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली गई है। इस लिये देश इस किस्म के आयुध और गोलीबारूद मित्र देशों को सप्लाई करने की स्थिति में है।

रंगून में राज्य व्यापार निगम का शाखा के कार्यालय का खोला जाना

538. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा सरकार रंगून में राज्य व्यापार निगम का शाखा कार्यालय खोलने के बारे में सहमत हो गई है ;

(ख) क्या सरकार भारत तथा बर्मा के बीच व्यापार बढ़ाने के बारे में प्रयत्न कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बर्मा को कोयले का निर्यात करने के लिए प्रयत्न करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) रंगून में कार्यालय खोलने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बर्मा को कोयले का निर्यात 1964 से किया जा रहा है ।

राज्य व्यापार निगम के पास म्यूरेटिक ऑफ पोटाश तथा यूरिया का भण्डार

539. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास म्यूरियेट आफ पोटाश तथा यूरिया का बहुत बड़ा भण्डार पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो भण्डार की वास्तविक मात्रा कितनी है और उसका मूल्य कितना है ; और

(ग) इस भण्डार तथा मांग में कमी आ जाने के ठीक-ठीक कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम के पास यूरिया का कोई स्टाक नहीं है । 31 जनवरी, 1970 को 4.54 करोड़ रुपए के मूल्य के म्यूरिएट आदि पोटाश का 1,28,482 टन का स्टाक था ।

(ग) स्टाक में हाल में कुछ वृद्धि हो गई है क्योंकि इनकी इतनी मांग नहीं आई जितनी मांग की आशा थी । राज्य व्यापार निगम को आशा है कि जुलाई, 1970 के अन्त तक सारा स्टाक समाप्त हो जाएगा ।

गंगा बांध परियोजना के कर्मचारियों में अराजकता तथा अनुशासनहीनता

540. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का के गंगा बांध परियोजना के महाप्रबन्धक श्री डी० मुकर्जी, जिन्हें इस पद पर छः वर्ष हो चुके हैं, इस परियोजना के कर्मचारियों में अराजकता तथा अनुशासनहीनता के कारण अब इस विशेष पद से यथाशीघ्र भार-विमुक्त होना चाहते है ;

(ख) यदि हां, तो अराजकता को रोकने तथा अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई "धीमे चलो" नीति अपनाने के कारण इस परियोजना को, जिसे जून, 1970 तक पूरा करने की निर्धारित अवधि थी, विलम्ब होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) फरक्का बांध परियोजना के महाप्रबन्धक ने कुछ मास पहले उनकी पदावनति के लिए निवेदन किया था ।

(ख) फरक्का में बिगड़ती जा रही विधि तथा व्यवस्था की स्थिति की ओर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री तथा सिंचाई और जल पथ मंत्री का ध्यान दिलाया गया है ।

(ग) जी हां ।

Indo-Nepal Agreement on Manning Border Posts

541. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the agreement reached in June, 1969 between India and Nepal, Nepalese were posted on 8 Nepalese border posts in place of about 25 Indians ;

(b) if so, whether Government propose to lay a copy of the said agreement on the Table ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) In accordance with the agreement reached between India and Nepal in August/ September, 1969, some Nepalese have replaced Indian wireless personnel at 8 of the border checkposts on the Sino-Nepal border.

(b) and (c). As the agreement is a confidential document Government do not propose to lay it on the Table of the House.

Indian Soldiers, Sailors and Airmen's Board

542. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1591 on the 26th November, 1969 and state :

(a) the decisions arrived at by the Indian Soldiers, Sailors and Airmen's Board at their meetings since 1951 regarding the welfare of the families of ex-servicemen, serving personnel and the deceased ; and

(b) the details of welfare schemes implemented, separately, for each of the categories of servicemen ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Hindi Implementation Committee

543. **Shri Molahu Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Implementation Committee was appointed in December, 1969 under the Chairmanship of the Secretary of Cabinet Secretariat, Department of Statistics ; and

(b) if so, the terms of reference of the said Committee ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. This Committee has been set up for the Department of Statistics.

(b) The Committee will secure effective implementation in the Department of Statistics of the orders issued by the Government of India from time to time regarding the progressive use of Hindi for official purposes.

Reports of Committee on Distribution of Income and Levels of Living

544. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5211 on the 24th December, 1969 and state :

(a) the number of reports so far presented to Government by the Committee on Distribution of Income and Standard of Living and the language in which the said reports have been published ; and

(b) the details of the recommendations made in each of the said reports and the conclusions arrived at by Government after examining them ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The report of the Committee on Distribution of Income and Levels of Living, appointed by the Planning Commission in October, 1960 has been submitted in two parts. Both these parts have already been printed and published in English. However, a Hindi version of the final Part of the Report is under preparation.

(b) Both parts of this Report have already been placed on the Table of the House. The recommendatins made in Part II of the Report are being examined and processed.

पाकिस्तान के साथ व्यापार

545. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार आरम्भ करने की सम्भावनाओं का पिछले कुछ महीनों में पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार आरम्भ करने सम्बन्धी नवीनतम सम्भावनाएं क्या हैं और क्या व्यापार पर लगाये गए प्रतिबन्ध अक्तूबर, 1970 तक हट जाने की सम्भावना है जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है ; और

(घ) वर्ष 1970-71 में उस देश के साथ व्यापार का कितना आदान-प्रदान होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क)से(ग). भारत सरकार ने अनेक अवसरों पर दोनों देशों के बीच व्यापार आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया है परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध एक पक्षीय कार्यवाही करके मई 1966 में ही हटा लिया था परन्तु पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कोई ऐसी ही कार्यवाही नहीं की है। अतः दोनों देशों के बीच व्यापार के आरम्भ करने का प्रश्न सर्वथा पाकिस्तान सरकार के रूख पर निर्भर है। यह कहना सम्भव नहीं कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ व्यापार पर से अक्तूबर, 1970 तक प्रतिबन्ध हटा लेगी या नहीं।

(घ) यह प्रश्न केवल तभी उठेगा जब पाकिस्तान के साथ व्यापार आरम्भ हो जाए।

फरक्का तथा पूर्वी नदियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ बातचीत

546. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पाकिस्तान के साथ फरक्का बांध तथा पूर्वी नदियों के उपयोग के बारे में कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). फरक्का बांध और पूर्वी नदियों की अन्य परियोजनाओं के बारे में सचिव स्तर की तीसरी बैठक जुलाई, 1969 में दिल्ली में हुई। सिंचाई एवं विद्युत मंत्री ने इस बैठक की बातचीत का ब्योरा 28 जुलाई, 1969 को सदन की मेज पर रखा था। सचिव स्तर की चौथी बैठक आजकल इस्लामाबाद में चल रही है। इस बैठक की बातचीत समाप्त होने पर ही इसके परिणाम जाने जा सकते हैं।

Funds for Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

548. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the funds asked for by Madhya Pradesh for the new irrigation schemes in addition to the incomplete medium and major irrigation schemes ;

(b) the allotment of funds asked for, scheme-wise ; and

(e) the amount of funds sanctioned in the form of loans and grants for that State and the details thereof ?

The Deputy Minister in the Minstry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). The Government of Madhya Pradesh have proposed an outlay of Rs. 83.06 crores for the Irrigation Programme in the final Fourth Plan. Scheme-wise break-up has not been furnished by them.

(c) The Central assistance to State will, during the Fourth Plan, be given in the shape of block grants/loans and will not be related to individual schemes.

Irrigation Schemes in Madhya Pradesh

549. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no provision in the draft Five Year Plan for new irrigation schemes in Madhya Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that the irrigation facilities in Madhya Pradesh are minimum in the entire country;

(c) whether it is further a fact that the want of irrigation facilities is the main reason for the backwardness of Madhya Pradesh ; and

(d) If so, whether Government would allocate additional funds for the new irrigation and power schemes in Madhya Pradesh whrich are under consideration ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The total draft Fourth Plan outlay of Madhya Pradesh was proposed as Rs. 355.96 crores, out of which the outlay for major and medium irrigation programmes was Rs. 61 crores, including Rs. 3.44 crores for new schemes.

After the award of the Fifth Finance Commission, the Planning Commission are reassessing the State Plan and it is hoped that some more funds would be available for new schemes.

(b) Yes.

(c) and (d). Irrigation and Power Projects form part of the State Plans. In the distribution of the total Central assistance among the States, weightage of 60% is given to population ; 10% for per capita income ; 10% for per capita taxation in relation to per capita income ; 10% for spillover on continuing major irrigation and power schemes and 10% for special problems of the States.

Funds for Rural Electrification Scheme

550. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total amount of funds sanctioned by Government for the rural electrification scheme during 1969-70 ;

(b) The State-wise break-up thereof ; and

(c) the amount of funds demanded by each State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c). Prior to 1969-70, earmarked Central assistance was provided to State Governments within State Plan ceilings for rural electrification schemes. Since 1969-70, no

such earmarked assistance is provided and outlays in this regard are made from the plan resources of the State Governments inclusive of the overall Central assistance provided to them. The outlays proposed by the States and as adjusted within the State Plan ceilings for 1969-70 are given below :

State	Outlay Proposed by States (Rupees in crores)	As provided within the Plan ceiling
1. Andhra Pradesh	8.00	4.00
2. Assam	2.10	0.75
3. Bihar	8.00	2.90
4. Gujarat	1.00	1.00
5. Haryana	4.05	1.25
6. J and K	0.18	0.15
7. Kerala	..	0.50
8. Madhya Pradesh	4.30	3.50
9. Maharashtra	4.50	4.50
10. Mysore	4.60	4.00
11. Nagaland	0.04	0.04
12. Orissa	1.80	1.25
13. Punjab	13.33	2.40
14. Rajasthan	1.25	1.00
15. Tamil Nadu	8.75	6.00
16. Uttar Pradesh	19.00	8.50
17. West Bengal	2.00	2.00

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य

551. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा कब निर्णय किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (ग). कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्यों के पुनरीक्षण पर टैरिफ आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशें विचाराधीन हैं। सरकारी निर्णय जब होगा, तब उसे घोषित कर दिया जायेगा।

18 पंजाब रेजीमेंट द्वारा कुलियों को देने के लिये लिया गया धन

552. **श्री सूरजभान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 पंजाब रेजिमेंट ने, जब वह अक्तूबर, 1966 से अप्रैल 1967 तक मिजो पहाड़ियों में थी, कुलियों को देने के लिये कुछ धन लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना धन लिया गया था, लेने वाले अधिकारी कौन थे तथा यह धन कब दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग 3000 रुपये आंशिक भुगतान के अलावा उस यूनिट के जवानों के अंगूठे के निशान/हस्ताक्षर लेकर उपस्थिति नामावलियां जालीतौर पर जारी की गई थीं तथा कुलियों को वास्तव में भुगतान नहीं किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या उपस्थिति नामावलियां तकनीकी जांच के लिए भेजी जायेंगी ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि दस्तावेज सही थे अथवा नहीं तथा दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड दिया जा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

18 पंजाब रेजिमेंट की बटालियन निधि को इकट्ठा करना

553. **श्री सूरज भान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जनवरी, 1963 से 17 मई, 1964, 18 मई, 1964 से 30 जून, 1965 तथा जुलाई, 1965 से दिसम्बर, 1967 तक 18 पंजाब रेजिमेंट की बटैलियन निधि के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधियों के लिये बटैलियन निधि कहां-कहां से इकट्ठी की गई थी ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि 18 मई, 1964 से 30 जून, 1965 तक उक्त बटैलियन की आस्तियों/निधियों में असामान्य वृद्धि हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो यह पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, करने का विचार है कि इन आस्तियों/निधियों को इकट्ठा करने के तरीके अनियमित तो नहीं थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

दूसरे ग्रेड के पर्यवेक्षकों के रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

554. **श्री सूरज भान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 में तकनीकी विकास तथा उत्पादन (विमान) निदेशालय में आम जातियों के उम्मीदवारों में से दूसरे ग्रेड के कुछ पर्यवेक्षक भर्ती किये गये थे तथा उम्मीदवारों के लिये कोई अनुभव अपेक्षित नहीं था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी निदेशालय ने अब दिसम्बर, 1969 में अपने एक्क के माध्यम से उसी ग्रेड के कुछ रक्षित स्थान विज्ञापित कराये हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये एक वर्ष के अनुभव की शर्त अनिवार्य रूप से लगा दी गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त दोनों विज्ञापनों की प्रतिलिपियों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये ही अनुभव की शर्तें लगाये जाने के कारणों का ब्योरा सभा पटल पर रखने का है ; और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति ऐसा भेदभाव करने के लिये कौन से व्यक्ति उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2597/70]**

हस्तशिल्प की बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि

555. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री जे० के० चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारतीय हस्तशिल्प की बनी वस्तुओं के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान हस्तशिल्प की सभी प्रकार की वस्तुओं का कुल कितनी धनराशि (रुपयों में) का निर्यात हुआ ;

(ग) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिये क्या संवर्द्धनात्मक कार्यवाही की गई है ;

(घ) विदेशों में हमारी कौन-सी वस्तुएं सर्वाधिक लोकप्रिय हुई हैं ; और

(ङ) क्या इन वस्तुओं की विदेशों में इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में भारतीय शिल्प उद्योग समर्थ है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में समस्त प्रकार के हस्तशिल्प के वास्तविक निर्यात के मूल्य निम्नलिखित हैं :

(1) 1968-69	...	7647.38 लाख रु०
(2) 1969-70 (31-10-69 तक)	...	5581.01 लाख रु०

(ग) भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित संवर्धनात्मक उपाय किये गये हैं :

(1) पंजीयित निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है ;

(2) हस्तशिल्प के नये निर्यात अभिमुख डिजाइनों का विकास करने और युवा शिल्पियों को प्रशिक्षण देने के लिये देश में अनेक स्थानों पर अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अधीन डिजाइन केन्द्रों की स्थापना की गई है ;

(3) शिल्पियों को औजारों और उपकरणों की पूर्ति हेतु योजना लागू है ;

(4) कारीगरों को इम्पोरियमों के माध्यम से कच्चे माल के लिये ऋण सुविधाएं दी जाती हैं ;

(5) हस्तशिल्पों के प्रचार तथा संवर्धन हेतु भारत तथा विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है ;

(6) विदेशों में होने वाले व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था की जाती है ;

(7) विदेशों में प्रदर्शन-कक्ष और दूकानें खोली गई हैं ;

(8) भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों द्वारा की जाने वाली व्यापार सम्बन्धी पूछताछ पर कार्यवाही की जाती है और उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है ;

(9) बैंकों द्वारा शिल्पियों को ऋण की सुविधाएं दी गईं ; और

(10) निर्यात ऋण प्राप्त करने में भारतीय निर्यातकों को सहायता दी जाती है ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, भारतीय हस्तशिल्प के लिये और अधिक बाजारों में पैठने के लिये निकट भविष्य में निम्नलिखित उपाय करने का भी विचार है :

(क) यूरोपीय साझा बाजार के देशों में हस्तशिल्पों के लिए बाजार सर्वेक्षण करना ;

(ख) विदेशी प्रचार हेतु हस्तशिल्पों पर रंगीन वृत्त-चित्रों का निर्माण तथा प्रदर्शन ;

(ग) परिधान अलंकरण में प्रशिक्षण के लिये शिल्पियों को भेजना ;

(घ) व्यापार सम्पर्कों की स्थापना में सहायता हेतु अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्डों द्वारा हस्तशिल्पों के निर्यातकों और आयातकों की निदेशिका का प्रकाशन ; तथा

(ङ) अध्ययन-सह-विक्री दलों को विदेश भेजना ।

(घ) विदेशों में निम्नलिखित भारतीय हस्तशिल्प लोकप्रिय हैं :

(1) हस्तनिर्मित ऊनी कालीन ;

(2) कलात्मक धातु वस्तुएं ;

(3) काष्ठ की वस्तुएं ;

(4) नकली आभूषण ;

(5) हस्तमुद्रित वस्त्र ;

(6) शाल तथा स्कार्फ ;

(7) हाथी दांत के उत्पाद ;

(8) जरी का सामान ; और

(9) कढ़ाई का सामान ।

(ङ) जी हां ।

पूर्वी पाकिस्तान में चीनी सैनिक विशेषज्ञों द्वारा चलाया जा रहा प्रशिक्षण केन्द्र

556. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी सैनिक विशेषज्ञ आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा से कोई 85 मील दूर पूर्वी पाकिस्तान में एक प्रशिक्षण केन्द्र चला रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस केन्द्र में लगभग कितने विद्रोही भारतीयों को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्या छिपे नागा विद्रोहियों के नेता फिजो भी इस केन्द्र में भारत विरोधी गतिविधियों से सक्रियरूप से सम्बन्धित हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). पूर्वी पाकिस्तान में मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र के अस्तित्व का सरकार को ज्ञान है कि जो चीनी प्रशिक्षकों की सहायता से चलाया जा रहा है, और जिसमें भारत के विद्रोही तत्वों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार को इस केन्द्र में प्रशिक्षण पा रहे व्यक्तियों की संख्या का भी ज्ञान है। सरकार की सूचना के अनुसार फिजो इस केन्द्र में नहीं है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन का नियतन

557. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं के लिये, जो धन के अभाव के कारण रोक ली गई थीं, केरल को सहायता के रूप में हाल में धन दिया है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में वैसी परियोजनाओं के लिये धन देने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उस राज्य को कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश में बिजली पैदा करने की कोई परियोजना आरम्भ की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत सरकार ने वित्त आयोग के पंचाट आदि के परिणाम स्वरूप राज्य सरकारों को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुये, 1969-70 के दौरान, चुनी हुई बृहद परियोजनाओं पर, जो निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है, कार्य की गति को तेज करने के प्रश्न पर विचार किया ताकि उनके लाभ शीघ्र प्राप्त किये जा सकें। यह फैसला किया गया है कि चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय ऋणों की अदायगी के लिये सहायता के रूप में 1969-70 में पम्बा तथा कुटियाडी सिंचाई परियोजनाओं के परिव्ययों में 75-75 लाख रुपये बढ़ाकर केरल सरकार की सहायता की जाए।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि नवम्बर, 1969 में मध्य प्रदेश

सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया था कि 1969-70 में बृहत सिंचाई परियोजनाओं पर प्रत्याशित व्यय बजट में किये गए प्रावधान से कम होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक योजनाओं की कार्यान्वित के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जा रही है।

असम में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के आदान-प्रदान के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी योजनायें

558. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने असम राज्य में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के परिवहन में अन्तर्देशीय जल परिवहन के महत्वपूर्ण योगदान पर किसी समय विचार किया था ;

(ख) क्या सरकार ने अनेक जल परिवहन योजनायें, विशेषकर भारी प्रतिरक्षा सामग्री के परिवहन सम्बन्धी योजनायें तैयार की थीं ,

(ग) क्या इस काम के लिये जोगीघोपा (आसाम) नाव सेवा आरम्भ करने के लिए सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक यदि कोई प्रगति हुई है, तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). असम राज्य में रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समस्त अन्तःस्थलीय परिवहन आवश्यकता का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है, और उसका विभव लाजिस्टिक आयोजन में निरन्तर समग्रीकृत किया जाता है। रक्षा उद्देश्यों के लिये बनाई गई योजनाओं के विस्तार देना लोक हित में वांछनीय न होगा।

सूती कपड़े के उत्पादन में कमी

559. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष की पहली छमाही में सूती कपड़े का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना उत्पादन हुआ है तथा गत तीन वर्षों के उत्पादन के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े अधिक हैं अथवा कम ; और

(ग) उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं, क्या निर्यात में भी कमी हुई है और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) वर्ष 1969 के पूर्वार्द्ध में वर्ष 1968 की उसी अवधि की तुलना में सूती वस्त्रों के उत्पादन में 5 प्रतिशत की गिरावट रही है ।

(ख) वर्ष 1969 तथा विगत तीन वर्षों के पूर्वार्द्ध के सूती वस्त्र के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	जनवरी-जून				वर्ष 1968 के आंकड़ों से वर्ष 1969 के आंकड़ों में प्रतिशत वृद्धि/गिरावट ।
	1966	1967	1968	1969	
मिल क्षेत्र में सूती वस्त्र का उत्पादन, करोड़ मीटर में ।	206.9	195.7	219.5	208.3	(—) 5.10

(ग) उत्पादन में गिरावट इस अवधि में कुछ मिलों के बन्द रहने और कुछ हद तक स्थापित क्षमता के कम उपयोग के कारण हुई । फिर भी, वर्ष 1969 के पूर्वार्द्ध में हुए सूती वस्त्रों के, जिनमें सूत, सिलेसिलाये परिधान आदि शामिल हैं, निर्यात वर्ष 1968 की उसी अवधि में हुये निर्यातों की अपेक्षा अधिक रहे।

अलाभप्रद कपड़ा मिलों का लाभप्रद कपड़ा मिलों में विलय करने के बारे में अधिकारी दल का प्रतिवेदन

560. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभप्रद कपड़ा मिलों का लाभप्रद कपड़ा मिलों में विलय करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह दल कब तक अपना कार्य पूरा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार हो रहा है और उन्हें बताना लोकहित में नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उपान्त (मार्जिनल) तथा अलाभप्रद कपड़ा मिलों के तकनीकों तथा वित्तीय कार्य-संचालन के बारे में सर्वेक्षण

561. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपान्त तथा अलाभप्रद कपड़ा मिलों के तकनीकी तथा वित्तीय कार्य-संचालन के बारे में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या यह सर्वेक्षण कोगेकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वित्तीय तथा अन्य सहायता तुरन्त देकर मिलों को बन्द होने से रोकने के उद्देश्य से किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण से क्या पता लगा है ;

(घ) क्या ऐसी मिलों की सहायता करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) तथा (ङ). सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है । किन्तु, जिन सूती कपड़ा मिलों के लिये प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किये गये हैं, उनके विषय में सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी होने पर इन मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सौंपे जाने के उपरान्त, निगम उनका आधुनिकीकरण करेगा जिन मिलों का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जाता है जो वस्त्र उद्योग अथवा लोकहित के लिये काफी हानिकारक है, उनका प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उचित पूंजी विनियोजन के उपरान्त विकासक्षम एककों के रूप में चलाया जा सके । कतिपय अन्य उपायों पर भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, जैसे कि अलाभप्रद सूती कपड़ा मिलों का लाभप्रद मिलों के साथ विलय करने के लिये प्रोत्साहन देना तथा वस्त्र मशीनों के आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ धन देना ।

चौथी योजना का पहला वर्ष

562. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 को चौथी योजना का प्रथम वर्ष माना जाता है अथवा योजना आगामी वित्तीय वर्ष से आरम्भ होगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) 1, अप्रैल 1969 से लागू हुई । 1969-70 की वार्षिक योजना चौथी योजना के प्रारम्भिक वर्ष के लिये थी ।

चाय के उत्पादन में कमी

563. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 में चाय के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1968 के उत्पादन की तुलना में यह कमी कितनी कम अथवा अधिक है ;

(ग) वर्ष 1968 तथा वर्ष 1969 के कुल चाय उत्पादन में कितना अन्तर है ;

(घ) यह सम्भव है कि चाय के उत्पादन में कमी से विदेशी मण्डी पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस कमी को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां ।

(ख)	**दिसम्बर, 1968 में उत्पादन**	**दिसम्बर 1969 में उत्पादन**
	1.341 करोड़ किग्रा	1.333 करोड़ किग्रा
(ग)	**1968 में उत्पादन**	**1969 में उत्पादन (अनुमानित)**
	40.087 करोड़ किग्रा	39.355 करोड़ किग्रा

(घ) जो हां ।

(ङ) 1968 की तुलना में 1969 में उत्पादन में गिरावट अधिकांशत: इस कारण आई कि गत वर्ष अगस्त में चाय के चरमोत्पादन मौसम में चाय बागान कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल के कारण पश्चिमी बंगाल में चाय का कम उत्पादन हुआ । कुल उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने तथा किस्म सुधारने के लिये निम्नोक्त योजनाएं पहले ही चालू हैं :

(1) पुनरोपण उपदान योजना ।

(2) चाय बागान वित्त योजना ।

(3) चाय मशीन किराया-खरीद योजना ।

रुई का आयात

564. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में कुल कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान आयातकर्ताओं द्वारा और अधिक रुई का आयात करने की बड़ी मांग है ;

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या देशीय उत्पादन द्वारा भविष्य में इस आयात की पूर्ति करने की कोई योजना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) 7.25 लाख गांठें ।

(ख) जी हां ।

(ग) रुई वर्ष 1969-70 में रुई की आवश्यकताएं रुई की देशी तथा आयातित उपलब्धि की अपेक्षा अधिक हैं और स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने रुई तथा स्टेपल रेशे की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने की अनुमति दी है ।

(घ) दीर्घावधि उपाय के रूप में, देश में रुई के विकास कार्यक्रम को व्यापक तथा गहन करने के उपाय किये गये हैं।

पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी

565. **श्री कंवरलाल गुप्त :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान से पुनारभामानदी के साथ तैनात सेनाओं को वापस बुलाने और बंकरों तथा खाइयों को नष्ट करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के उपायों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में सहमति हो गई है और इसके परिणामस्वरूप तनाव कम हुआ है। फिर भी सरकार ने जरूरत पड़ने पर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिये उपाय किये हैं।

पाकिस्तान द्वारा काश्मीर के आक्रमण पर ब्रिटेन की कथित सांठगांठ

566. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर के आक्रमण पर ब्रिटेन की सांठगांठ के बारे में इण्डियन एक्सप्रेस के दिनांक 5 जनवरी, 1970 के अंक में छपा समाचार सरकार ने देखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में पूर्ण स्थिति क्या है तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लेखक जनरल ए स० पी० सेन, डी० एस० ओ० (सेवामुक्त) द्वारा लिखी पुस्तक 'स्लेंडर वाज द ग्रेड' में, काश्मीर सक्रियाओं में कुछ ब्रिटिश अफसरों के कृत्य के बारे में, सरकार ने कुछ आलोचनाएं देखी हैं।

(ख) लेखक द्वारा व्यक्त किए गये व्यक्तिगत विचारों के सम्बन्ध, सरकार को कुछ नहीं कहना है।

पूर्व अफ्रीकी भारतीयों पर इंग्लैंड में प्रविष्ट होने पर प्रतिबन्ध

567. **श्री कंवरलाल गुप्त :**

श्री वंश नारायण सिंह :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के इस अनुरोध पर कि पूर्व अफ्रीका से आने वाले भारतीयों को इंगलैंड में बसने की अनुमति देने के बारे में इंगलैंड द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों में रियायत दी जाये, ब्रिटेन ने कोई उत्साह नहीं दिखाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या उन्होंने इस बारे में इंगलैंड के मंत्रियों से बातचीत व्यक्तिगत रूप से विचार-विमर्श किया था और यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतीय मूल के लोगों की समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ निकट सम्पर्क में है। भारत और ब्रिटेन के बीच जनवरी, 1970 में, लंदन में सरकारी स्तर पर जो द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, उसके दौरान इस मामले पर चर्चा हुई और ब्रिटिश सरकार के साथ इस मामले को फिर से उठाया गया है।

बिना तराशे गये हीरों का आयात

568. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना तराशे गये हीरों के आयात को कोई निश्चित दिशा देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रत्नों के निर्यात तथा समूचे उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

ब्रिटेन भारत वार्ता

569. **श्री सीताराम केसरी :**

श्री आत्म दास :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 में किसी दिन ब्रिटेन तथा भारत सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी ;

(ख) उस बैठक में हुई बातचीत का ब्योरा क्या है तथा इसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या अन्य देशों की सरकारों से भी इस प्रकार की बातचीत करने का सरकार का विचार है ; और यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस बातचीत के दौरान, द्विपक्षीय सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सामान्य हितों की बातों पर विचार विनिमय हुआ ।

(ग) भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, जापान, मलयेशिया, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रूस के साथ समय-समय पर द्विपक्षीय बातचीत करने का प्रबन्ध कर रखा है ।

Special Assistance for Development of Telengana and Rayalaseema

570. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3409 on the 10th December, 1969 and state the decision taken in regard to the Central financial assistance for the development of Telengana and Rayalaseema in the Fourth Five Year Plan ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi): Government of India has decided that a special provision of Rs. 45 crores will be made for the development of Telengana beginning from April 1, 1968 to the end of the Fourth Five Year Plan. Suitable loan assistance for meeting this additional provision will be given to the State Government.

The requirements for the development of Rayalaseema area will be met from the Fourth Five Year Plan of Andhra Pradesh.

Financial Assistance for Ramganga and Gandak Canal Projects

571. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 474 on the 8th December, 1969 and state :

(a) whether final decision has since been taken to the proposal which was under consideration for giving Central financial assistance to the Ramganga and Gandak Canal projects ; and

(b) if so, the amount proposed to be sanctioned for the completion of the aforesaid projects in the current financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Sri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). It has been decided to sanction a special loan of Rs. 1 crore to the Government of Uttar Pradesh in the current year for expenditure on Gandak Project subject to the State Government providing an additional outlay of Rs. 2 crores for Ramganga Project from their own resources. Similarly a special loan assistance of Rs. 2 crores to the Government of Bihar for the Gandak Project has been agreed to subject to their providing an additional

outlay of Rs. 3 crores from their own resources for the Gandak Project and Rs. 1 crore for other projects. Out of this assistance of Rs. 2 crores, the State Government will pay to the Government of Uttar Pradesh, an amount of Rs. 1 crore for the cost of the common works of the Gandak Project. With these allocations, the outlay on the Gandak Project in Uttar Pradesh would be Rs 7.5 crores in the current financial year.

सैनिक अधिकारियों तथा जवानों की प्रशिक्षण पद्धति में नये विचार का समावेश

572. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री उमानाथ :**
श्री प० गोपालन : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सैनिक अधिकारियों तथा जवानों की प्रशिक्षण पद्धति तथा अन्य कार्यक्रमों में नये विचारों का समावेश कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि जवानों और अफसरों दोनों के प्रशिक्षण तकनीकों और सम्बन्धित कार्यक्रमों में सुधार पुरस्थापित किए जाएं । कठिन भूप्रदेशों तथा कठिन स्थितियों के अन्तर्गत काम करने के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पुरस्थापित किये गये हैं । अनुसंधान के परिणामस्वरूप उच्च स्थानों पर काम करने वाले सभी पदों और आयु वर्गों के लिये शारीरिक दक्षता और यौद्ध कार्यकुशलता के परीक्षणों का एक सेट तैयार किया गया है । प्रशिक्षण अभ्यासों में सीखी गई शिक्षाओं का, विरचनाओं और सैनिकों के यौद्ध सामर्थ्य में सुधार करने के लिये भावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया गया है ।

गुलाब की लकड़ी तथा फिगर्ड लारेल लकड़ी के निर्यात पर रोक

573. **श्री प० गोपालन :** **श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात उप-मुख्य नियंत्रक के जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1970 में कोचीन से गुलाब की लकड़ी तथा फिगर्ड लारेल लकड़ी के निर्यात पर रोक लगाई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस रोक आदेश के कारण केरल से गुलाब की लकड़ी के निर्यात व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) क्या इस रोक को समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (घ). रोजवुड के निर्यात की अनुमति अखिल भारतीय आधार पर वार्षिक अधिकतम सीमा के भीतर दी जानी है ।

चालू वित्तीय वर्ष के लिये अधिकतम सीमा दिसम्बर, 1969 में समाप्त हो गई थी और अतिरिक्त निकासी की अनुमति एक विशेष रियायत रूप में दी है ताकि जनवरी-मार्च, 1970 की तिमाही में निर्यातों में कोई विस्थापन न हो। किन्तु, निर्यात के लिये 'फिगर्ड लारेल लकड़ी' की कोई मात्रा की अनुमति नहीं दी गई चूंकि देश में इसका सम्भरण काफी कम है और वर्तमान स्थिति के कुछ समय तक जारी रहने की सम्भावना है।

पारे के आयात में देरी

574. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में पारे के आयात में कुल कितनी कमी हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि जब देश में अत्यावश्यक जरूरत को पूरा करने के लिये पारे की आवश्यकता थी, तब समय पर धन न मिल सकने के कारण इसके आयात में विलम्ब हो गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) वर्ष 1966-67 में पारे के आयात में राज्य व्यापार निगम को 28.73 लाख रु० मूल्य की हानि हुई।

(ख) तथा (ग). विदेशी मुद्रा की तीव्र कमी को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया गया था कि पारे के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की व्यवस्था वस्तु विनिमय सौदों के अन्तर्गत होने वाले निर्यातों से की जाये और इससे पारे का आयात करने में निगम को कुछ समय लग गया।

उपकेशों (विग) का व्यापार तथा निर्यात

575. **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री सत्यनारायण सिंह :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपकेशों का व्यापार तथा निर्यात लक्ष्य से बहुत ही पीछे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका तथा कनाडा में वितरक एजेंटों का परिसमापन हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच हैं कि करार करने से पहले फर्म की वित्तीय स्थिति और कारोबार सम्भालने की क्षमता का सही निर्धारण नहीं किया गया था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (ग). उपकेशों (विग) का निर्यात व्यापार, राज्य व्यापार निगम की आशाओं के विपरीत काफी कम हुआ, क्योंकि जिस फर्म को निगम ने संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा में एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था, उसका परिसमापन हो गया।

(घ) जी नहीं।

रुई के मूल्यों में वृद्धि

576. **श्री उमानाथ :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री के० रमानी : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुई के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण तथा धागे मिलों को हो रही कठिनाई की जानकारी सरकार को है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को बन्द होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां।

(ख) रुई अथवा उसके प्रतिस्थानी (स्टेपल रेशा) के सम्भरण बढ़ाने के लिये तथा रुई के उपलब्ध सम्भरण के विपणन तथा वितरण को नियन्त्रित करने के लिये निम्नलिखित आधार पर कार्यवाही की गई है :

(1) पी० एल० 480 रुई की 1.25 लाख गांठों के आयात के लिये प्रबन्ध किये गये हैं।

(2) सं० अ० गणराज्य से रुई की अतिरिक्त मात्राओं के आयात का प्रबन्ध करने के लिये बातचीत की गई है और शीघ्र ही उनको अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना हैं।

(3) स्टेपल रेशे की 1 लाख गांठों के आयात के लिये प्रबन्ध किये गये हैं।

(4) जिस सीमा तक मिलों द्वारा रुई के स्टाक रखे जा सकते हैं वह एक महीना कम कर दी गई है।

(5) रुई के सम्बन्ध में ऋण-सीमा में उपयुक्त समायोजन किया गया है।

निर्यात व्यापार का तालमेल

577. **श्री के० रमानी :** **श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात व्यापार का तालमेल स्थापित करने के लिये मंत्रिमण्डल की एक विशेष समिति स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नारियल जटा बोर्ड में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व

578. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री अनिरुद्धन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवगठित नारियल जटा बोर्ड में सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पिछले आय-व्यय सत्र में यह आश्वासन दिया था कि बोर्ड का पुनर्गठन करते समय सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व देने का ध्यान रखा जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उस आश्वासन को भंग करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क)से (ग). यद्यपि नारियल जटा उद्योग अधिनियम में सहकारी समितियों को अलग प्रतिनिधित्व देने को कोई उपबन्ध नहीं है, फिर भी 19 मार्च, 1969 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3652 के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, पुनर्गठित नारियल जटा बोर्ड में सहकारी क्षेत्र को समुचित प्रतिनिधित्व देने का ध्यान रखा गया है, यद्यपि विशिष्ट रूप से सहकारी कारखाना समितियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है ।

नारियल जटा तथा उससे बने माल के निर्यात में कमी

579. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 के दौरान कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की नारियल जटा तथा उससे बने माल का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 की तुलना में वर्ष 1969 के दौरान नारियल जटा तथा उससे बने माल के निर्यात में कमी हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार नारियल जटा तथा उससे बने माल का निर्यात बढ़ाने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) :

(क)

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1967	59,707	13.47
1968	64,309	15.00
1969	53,952	13.21

(ख) जी हां, लगभग 12 प्रतिशत तक मूल्य में तथा 16 प्रतिशत तक मात्रा में । यह गिरावट मुख्यतः नारियल जटा धागे, नारियल जटा रेशे और रस्सों के सम्बन्ध में है ।

(ग) इस गिरावट का कारण संश्लिष्टों का उत्पादन और उपभोक्ता द्वारा उन्हें पंसद किया जाना है । इसका एक अन्य कारण भूसी के मूल्य में भारी वृद्धि है ।

(घ) नारियल जटा उत्पादों के हमारे निर्यात को बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं ।

चुम्बी घाटी में चीनियों के अड्डे का विस्तार

580. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनियों ने सामरिक सहायता प्राप्त करने के लिये चुम्बी घाटी में, जो भारत-तिब्बत सीमा पर उत्तर में सिक्किम को भूटान से अलग करती है, फारी डी जोंग पर अपने अड्डे का विस्तार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). यद्यपि जोंग पहाड़ी समेत सीमा पार विभिन्न स्थानों पर चीनी सेनाएं अपनी गतिविधि जारी रखे हैं, उनकी शक्ति या तैयारी में किसी विशेष वृद्धि का कोई इशारा नहीं मिलता । सीमा पर हमारी सुरक्षा सेनाओं की सतर्कता जारी है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात

581. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कुछ और मदों का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात कराने के लिये उसे हाल में निम्नोक्त मदें सौंपी गई हैं :

टिटेनियम डाइआक्साइड
अमोनियम नाइट्रेट-टेक्नीकल ग्रेड
क्रेसिलिक एसिड
हाप्स

अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार

582. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में दिसम्बर में नई दिल्ली में भारतीय दूतों ने अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार अधिक करने की सम्भावना पर विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) तथा (ख). अफ्रीका स्थित भारतीय मिशनों के अध्यक्षों ने दिसम्बर, 1969 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में अफ्रीका को भारत के निर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया । अन्य विषयों के अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में सहमति प्रकट की गई कि हमारे मिशन नए द्विपक्षीय व्यापार करारों की सम्भाव्यता का पता लगाये परन्तु ये करार इस प्रकार के होने चाहिए जिससे हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके ।

जापानी वैदेशिक व्यापार-संगठन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी

583. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी वैदेशिक व्यापार संगठन द्वारा आयोजित की गई विकासशील देशों के मूल उत्पादों की प्रदर्शनी में भारत शामिल हुआ था ;

(ख) उस प्रदर्शनी में कौन-कौन से देश शामिल हुए थे ;

(ग) उस प्रदर्शनी में भारत द्वारा प्रदर्शित की गई वस्तुओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या प्रदर्शित की गई वस्तुओं के लिये क्रयादेश प्राप्त किए गये थे और यदि हां, तो कितने ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) तथा (ख). जी हां। यह अनन्यतः भारतीय प्रदर्शनी थी।

(ग) प्रदर्शित वस्तुओं में औद्योगिक कच्चा माल, अर्द्ध-निर्मित उत्पाद, खनिज अयस्क, हल्का इंजीनियरी सामान, मोटर-गाड़ी संघटक अनेक विभिन्न प्रकार के कृषिगत उत्पाद, नारियल जटा तथा पटसन का माल, हस्तशिल्प की वस्तुएं, हथकरघा माल, कालीन आदि शामिल थे।

(घ) 12,000 डालर मूल्य के परीक्षण क्रयादेश प्राप्त किए गए थे। तथापि इससे, उत्पन्न हुई कुल निर्यात सम्भाव्यताओं का आभास नहीं मिलता। हमारे शामिल होने के फलस्वरूप विशिष्ट आदेशों के रूप में परिणामों का पूर्णतः अनुमान कुछ समय के बाद ही लग सकता है।

पश्चिमी कोसी नहर योजना का निर्माण

584. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर योजना के शीघ्र निर्माण के बारे में नेपाल सरकार से सहमति प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी कोसी नहर योजना को पूरा करने के लिए अथवा विकल्प के रूप में इसके क्षेत्र में एक प्रायोगिक छिद्रण योजना के लिये कुल 20 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). नेपाल सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। इस मामले के संबंध में उच्चतम स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ). बिहार के लिए अन्तिम चतुर्थ योजना के ब्योरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कमला तटबन्धों का जयनगर (बिहार) से आगे विस्तार

585. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला तटबन्धों का जयनगर (बिहार) से आगे नेपाल में शीतपानी तक विस्तार करने का प्रस्ताव केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास काफी समय से अनिर्णीत पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). परियोजना रिपोर्ट को अभी राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

वियतनाम लोकतंत्री गणतंत्र में भारतीय मिशन का दर्जा बढ़ाना

586. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वियतनाम लोकतंत्री गणतंत्र के साथ अपने सम्बन्ध पूर्ण राजदूत स्तर तक बढ़ाने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने का भी कोई निर्णय किया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार अभी भी इस बात पर विचार कर रही है कि दोनों देशों के सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने की इच्छा किस प्रकार सबसे अच्छी अभिव्यक्ति दी जाए।

(ग) और (घ). अन्य बातों के अतिरिक्त, दक्षिण वियतनाम की अस्थिर स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सम्बन्ध में भारत की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को अभी मान्यता देने की बात नहीं सोच रही है।

सीमा सड़क विकास बोर्ड

588. **श्री गाडिलिंगन गौड : क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड ने सामरिक महत्व के कुछ क्षेत्रों में अपने निर्माण कार्यक्रम में तेजी के लिये कुछ निर्णय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्षेत्रवार निर्माण कार्य में अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). निर्माण कार्य और प्राथमिकताओं के कार्यक्रम का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और निर्णय स्ट्रेटेजिक आयोजनाओं और विकास की आवश्यकताओं को सामने रखते हुए किये जाते हैं। कार्यक्रम का एक पुनरीक्षण प्रगतिशील है। इस पुनरीक्षण के परिणामों का इस प्रावस्था पर पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता।

वाणिज्य तथा उद्योग के संयुक्त मंडल के स्वर्ण जयन्ती सम्मेलन में श्री टाटा का भाषण

589. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग संयुक्त चैम्बर्स के स्वर्ण जयन्ती सम्मेलन में भाषण करते हुए श्री टाटा ने यह अनुरोध किया था कि कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिये विशेष योजना बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्य लोगों के कल्याण का प्रयास करेगा । इसी निदेश के आधार पर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं तथा उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है । भारत में आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन-स्तर को उठाना तथा विकास की प्रक्रिया से लोगों के लिए धनी तथा अधिक बहुमुखी जीवन के लिए अवसर पैदा करना है ।

वैदेशिक व्यापार मन्त्री की विदेश-यात्रायें

590. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान उन्होंने कितनी बार विदेश यात्रा की तथा उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख). विदेशी व्यापार मंत्रालय फरवरी 1969 में गठित किया गया था और तब से विदेशी व्यापार मंत्री द्वारा की गई विदेश-यात्राओं का विवरण निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	जितनी बार यात्रा की	जिन देशों को यात्रा की	किया गया व्यय
1969-70	1	सीरिया	5,284 रु०
	1	चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जर लैंड तथा बेल्जियम	21,500 रु०
	1	यूगोस्लाविया	8,921 रु०
	1	सं० रा० अमेरिका	25,600 रु०
		योग	61,305 रु०

टिप्पणी : ये अनुमानित आंकड़े हैं और इसमें आने जाने का वायुयान किराया शामिल है ।

ब्रह्मसमाज के तीर्थ यात्रियों को पूर्वी पाकिस्तान में बागुरा जिले में जाने की अनुमति देने से पाकिस्तान का इन्कार

591. **श्री राम सिंह अयरवाल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से ब्रह्मसमाज के तीर्थयात्रियों के एक दल को पूर्वी पाकिस्तान में बागुरा में ब्रह्ममंदिर तक जाने की अनुमति देने से पाकिस्तान ने इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला पाकिस्तान के साथ राजनयिक स्तर पर उठाया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात संवर्द्धन तथा व्यापार विस्तार के बारे में विशेष प्रशिक्षण-कार्यक्रम

592. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इस्टीट्यूट आफ फोरैन ट्रेड ने एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देशों के लिये निर्यात संबर्द्धन तथा व्यापार विस्तार के बारे में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण के बारे में विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इस प्रशिक्षण से हमारी वर्तमान समायोजन तथा भुगतान संतुलन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान होगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां ।

(ख) उन देशों के नाम अनुबन्ध में दिये गये हैं जिन्होंने प्रत्याशी भेजे हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2597/70]**

(ग) यह कार्यक्रम हमारी समायोजना तथा शेष भुगतानों सम्बन्धी वर्तमान समस्याओं का सरलीकरण करने के उद्देश्य से तैयार नहीं किया गया था । मूलतः यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जिसमें अनेक देशों के मनोनीत व्यक्तियों को मिलने और व्यापार नीति और निर्यात संबर्द्धन से सम्बन्धित मामलों पर अनुभवों का आदान-प्रदान करने और इस देश की अध्ययन-यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के माल, सर्वांगीण परियोजनाओं, परामर्श सेवाओं आदि के निर्यात में भारत के सामर्थ्य का अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के 45 देशों को अपने प्रत्याशी भेजने के लिए कहा गया था। कुल 18 प्रत्याशी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और उनके ब्योरे निम्नलिखित हैं :

देश का नाम	प्रायोजित प्रत्याशियों की संख्या
कांगो	एक
क्यूबा	एक
घाना	एक
इंडोनेशिया	दो
ईरान	एक
इराक	एक
कीनिया	एक
नेपाल	दो
पेरू	एक
फिलिपीन्स	एक
सूडान	एक
स्वाजीलैंड	एक
सीरियाई अरब गणराज्य	एक
टर्की	एक
संयुक्त अरब गणराज्य	दो

नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी संयुक्त समिति

593. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप के साझा बाजार (यूरोपीय आर्थिक समाज) और भारत ने नारियल जटा उद्योग के समक्ष उपस्थित समस्याओं को सुलझाने के लिये एक संयुक्त समिति की स्थापना की है ;

(ख) क्या इस समिति की बैठक हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति की बैठक में मुख्य निर्णय क्या किये गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). समिति की बैठक शीघ्र ही होने की आशा है। करार की दोनों पार्टियों (भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय) द्वारा प्रारम्भिक कार्य शुरू किया जा चुका है।

नेपाल में व्यापार सम्मेलन

594. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च के महीने में भारत, नेपाल, सिक्किम और भूटान के बीच व्यापार

सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये काठमांडू में उच्चस्तरीय बैठक होने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तिब्बत में चीनी परमाणु प्रतिष्ठान

595. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने तिब्बत में अपने परमाणु प्रतिष्ठान का एक हिस्से का निर्माण किया है ;

(ख) क्या वह आक्रामक कार्यों के लिये तिब्बत में निर्मित अड्डों से परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने के लिये व्यापक तैयारी कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इससे हिमालय क्षेत्र में भारत की रक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). हमें कोई सूचना नहीं कि चीन ने तिब्बत में किसी नाभिकीय संस्थान का विकास किया है, जोकि ऐसा ज्ञात है कि चीन अन्तर्द्वीपीय बालस्टिक मीजाइलों के विकास में प्रवृत्त है। चीन की नाभिकीय शक्ति के सरकार के निर्धारण और नाभिकीय आयुधों के संबंध में नीति कई अवसरों पर सदन को बताई जा चुकी है। संकट का सामना करने के लिये अपनी आयोजनाएं निरंतर पुनरीक्षण अधीन रहती हैं ।

शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु इंजीनियरी प्रौद्योगिकी का उपयोग

596. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु इंजीनियरी प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) क्या ऐसी परमाणु इंजीनियरी प्रौद्योगिकी के लिये विखण्डन तथा समेकन विस्फोटन प्रौद्योगिकी प्रयोगात्मक जानकारी की आवश्यकता देती है ;

(ग) यदि हां, तो विकासशील परमाणु विस्फोटन प्रौद्योगिकी की प्रयोगात्मक जानकारी प्राप्त करने से अणु-ऊर्जा आयोग को अभी तक वंचित रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या परमाणु विस्फोटन शक्ति का शांतिपूर्ण इन्जीनियरी प्रयोजनों के लिये उपयोग करने की दृष्टि से अणु ऊर्जा आयोग को परमाणु उपकरणों के विस्फोटन का व्यावहारिक प्रयोग करने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) परमाणु विस्फोटन के शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये विखण्डन तथा समेकन विस्फोटन की प्रौद्योगिकी जानकारी आवश्यक है ;

(ग) से (ङ). परमाणु शक्ति आयोग इस क्षेत्र में होने वाले विकास की पूरी जानकारी रखता है। परमाणु विस्फोटन का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने का कार्य अभी विकास के प्रारम्भिक चरण में है और इसमें अभी और सुधार किया जाना है।

हथकरघा उद्योग का विकास

597. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के धन में से कुछ धन का उपयोग देश में हथकरघा उद्योग के विकास तथा इसके लिये धन की व्यवस्था करने के लिये करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (ग). लघु उद्योगों, छोटे कारीगरों और अपने निजी काम में लगे हुये वर्गों को सहायता देने की योजनाओं के अधीन, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शुरू की गई हैं, हथकरघा उद्योग वित्तीय सहायता का पात्र है।

रूस द्वारा त्रिवेन्द्रम में भूमि की खरीद

598. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी दूतावास द्वारा त्रिवेन्द्रम में एक बड़े प्लाट की खरीद के मामले को किस तिथि को अन्तिम रूप दिया गया तथा उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) इस भूमि के लिये रूसी दूतावास द्वारा वास्तव में कितना मूल्य दिया गया ; और

(ग) क्या रूसी दूतावास द्वारा इस भूमि की खरीद के लिये मंत्रालय से अग्रिम अनुज्ञा प्राप्त की गई थी ; और यदि नहीं, तो राजनयिक आदर्शों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए दूतावास के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार विक्रय-पत्र 11 अगस्त, 1969 को तैयार किया गया था और 23 सितम्बर, 1969 को त्रिवेन्द्रम के उप-पंजीयक के सामने पंजीयन के लिये प्रस्तुत किया गया था।

(ख) 380,000 रुपये।

(ग) रूसी दूतावास द्वारा भारत सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा यह बताये जाने पर कि सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता रूसी दूतावास ने भवन का आगे निर्माण बन्द कर दिया और वह इस मामले में सरकार के निर्णय को पूरी तरह मानने के लिये सहमत हो गया।

Assessment of House Tax of Anand Bhavan

599. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Janeshwar Misra :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the house tax of Anand Bhawan, the house of the Prime Minister at Allahabad has been freshly assessed ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether she had asked the Administrator of the Allahabad Municipality not to increase the house tax of Anand Bhavan ; and

(d) whether it is a fact that the statement of the Prime Minister that she has donated the Anand Bhawan to the Nehru Memorial is incorrect and the said Bhavan is in her possession even at present ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Under the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, which provides for the assessment of house-tax every 5 years, the last assessment was made in 1965. Fresh assessment which is due this year was started by the Municipal Corporation, Allahabad, but the Allahabad High Court has stayed these operations. After the matter has been disposed of by the High Court, the Corporation authorities will take further action to complete this work.

(c) No, Sir.

(d) Anand Bhavan has been donated to the Jawaharlal Nehru Memorial Fund. The actual transfer will take place after completion of the necessary legal formalities for which action has been initiated.

अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के उत्तर में शुद्धि

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 26 नवम्बर, 1969 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1542 के उत्तर को स्पष्ट करने के लिये, मैं यह अवसर ग्रहण करता हूं। प्रश्न सी० एस० डी० (आई०) के सेवानिवृत्त अफसरों से सम्बन्धित था, जिन्होंने कैण्टीन, स्टोर्ज डिपार्टमेंट (भारत) को सामान सप्लाई करने वाली कई निर्माता फर्मों में सेवाएं स्वीकार कर ली थीं। किसी प्रकार की मिथ्या धारणा को दूर करने के लिये प्रश्न के भाग (ग) के दिये गये उत्तर का मैं इस प्रकार स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

"(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार कर्नल और उससे उच्च पद के सेवा अफसरों के लिये सरकार की पूर्वानुमति के बिना सेवानिवृत्ति की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर किसी प्रकार की वाणिज्य सेवा हस्तगत करना निषिद्ध है, और यह प्रतिबंध पर्याप्त समझे जाते हैं। चूंकि कर्नल के समतुल्य और उससे उच्च पद के कोई असैनिक, इस समय विभाग में नहीं हैं, और चूंकि वर्तमान असैनिक कर्मचारी आवश्यक तौर पर पेन्शन योग्य नहीं हैं, ऐसे प्रतिबन्धों को विभाग के असैनिक अफसरों पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

लाओस में उत्पन्न स्थिति

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "जार के मैदान में उत्तर वियतनाम के आक्रमण के परिणामस्वरूप लाओस में उत्पन्न स्थिति और भारत के समीपवर्ती दक्षिण पूर्व एशियाई प्रदेश की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए उसके सम्भावित परिणाम।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : हाल ही में लाओस में जो घटनाएं घटी हैं, उससे सरकार को बहुत चिन्ता है। लाओस विषयक 1962 के जेनेवा करार का पक्षधर होने के नाते और इसी करार के अन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के नाते भारत लाओस की प्रभुसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता, स्वाधीनता और तटस्थता की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। लाओस में इस समय जो स्थिति पैदा हो गयी है, उसकी वजह यह है कि विभिन्न पक्षों ने जेनेवा करार के भाव और भाषा का पालन नहीं किया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की एक और महत्वपूर्ण वजह यह है कि वियतनाम के संघर्ष का कुछ असर लाओस में भी आ गया है। शान्तिपूर्ण समाधान की संभावनाएं इसी बात में निहित हैं कि 1954 और 1962 के जेनेवा करारों का पूर्णरूप से पालन किया जाए और सभी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप समाप्त हो जाएं। यह दक्षिण पूर्व एशिया की शान्ति और स्थिरता के लिए भी लाभदायक होगा। भारत इस आयोग के प्रधान के नाते और अपनी व्यक्तिगत हैसियत में हमेशा इसी तरह के समाधान के लिए कार्यरत रहा है। लेकिन यह आवश्यक है कि सभी पक्ष लड़ाई की ओर मुखातिब न होकर परस्पर सहयोग करें।

हम सभी सम्बद्ध पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे लड़ाइयां खत्म कर दें और जेनेवा करारों का पालन करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

श्री बलराज मधोक : वैदेशिक कार्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है। उन्होंने सारे मामले की उपेक्षा करने का प्रयास किया है।

लाओस एक स्वतंत्र देश है और हमारा मित्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया में उसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसकी सीमाएं न केवल वियतनाम से बल्कि कम्बोडिया, बर्मा और थाईलैण्ड से भी लगती हैं। लाओस एक छोटा सा देश है और अपनी रक्षा करने की स्थिति में नहीं है। लगता है कि अमेरिका भी अब इस क्षेत्र में रुचि नहीं रखता है।

जार के मैदान पर, जोकि लाओस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कुछ वर्ष पूर्व भी उत्तरी वियतनाम की सेनाओं ने कब्जा कर लिया था और वहाँ पर कत्लेआम किया था। बाद में लाओस की सरकार ने पुनः इस मैदान पर कब्जा कर लिया था।

वियतनामी सेनाओं ने अब न केवल जार के मैदान पर ही आक्रमण किया है, बल्कि वे मैकांग के किनारे के साथ-साथ वियनशियाने की ओर बढ़ रही हैं। इससे न केवल लाओस बल्कि कम्बोदिया की सुरक्षा और प्रभुता के लिए भी खतरा बढ़ गया है। बाद में वह बर्मा तथा हमारे से भी टकरा सकते हैं। अतः इस मामले से हमारा सीधा सम्बन्ध है।

इन देशों के साथ हमारे घनिष्ट सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं और ये देश हमारे से कुछ आशा भी रखते हैं। परन्तु हम इन देशों में कोई रुचि नहीं लेते। हमारा भविष्य दक्षिण पूर्वी एशिया से बंधा हुआ है, न कि पश्चिम एशिया से। अतः हमें इन देशों में रुचि लेनी चाहिए।

मैं जानना चाहता हूं कि लाओस नरेश ने जो कल यहाँ पर थे, अपने देश की स्थिति के बारे में क्या बताया है और उन्होंने इस बारे में क्या सुझाव दिये हैं कि भारत न केवल अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चेयरमैन बल्कि एशिया की एक बड़ी शक्ति होने के नाते उनके देश की सुरक्षा के लिये क्या कर सकता है।

क्या भारत दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का, जिनका साम्यवादी चीन और उत्तर वियतनाम के विस्तारवाद तथा उनके द्वारा शुरू किये गये युद्ध के विरुद्ध इस क्षेत्र की सुरक्षा से सीधा सम्बन्ध है, सम्मेलन बुलाने तथा इस समूचे क्षेत्र की रक्षा के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का है क्योंकि इसमें भारत के हित भी अन्तर्ग्रस्त हैं ?

क्या भारत सरकार जनेवा सम्मेलन के सह-चेयरमैनों की दिल्ली में बैठक बुलायेगी और संयुक्त राष्ट्र में भी इस समस्या को उठायेगी ताकि उत्तर वियतनाम पर कुछ दबाव डाला जा सके और इसके पूर्व कि वह समूचे लाओस पर कब्जा करले, उसको इस कार्यवाही से रोका जा सके ?

क्या भारत सरकार उत्तर वियतनाम से मित्रता की वार्ता आदि समाप्त करेगी। उत्तर वियतनाम ने हमारे विरुद्ध सदा पाकिस्तान और चीन का साथ दिया है। क्या सरकार इस बात की स्पष्टरूप से घोषणा करने को तैयार है कि उत्तर वियतनाम ने लाओस पर आक्रमण किया है और कि हम इस आक्रमण की निन्दा करते हैं और उत्तर वियतनाम लाओस में जो कार्यवाही कर रहा है उससे हम असन्तुष्ट हैं ? क्या भारत सरकार अपनी ओर से लाओस को राजनैतिक अथवा औषधियों और अन्य चीजों की सहायता की पेशकेश करेगी ?

श्री दिनेश सिंह: दक्षिण पूर्वी एशिया में लाओस को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। हमारे लिए दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारा देश दक्षिण एशिया में स्थित है।

जहां तक इस क्षेत्र में रुचि लेने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हैं कि इस बारे में सलाहकार समिति ने तथा सभा ने चर्चा की है। सरकार इन देशों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जो प्रयास कर रही है, उनसे सभा भली प्रकार परिचित है। हमारे विचार में वाणिज्यिक तथा आर्थिक मामलों में सहयोग करके घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं। परन्तु इस बारे में भिन्न-भिन्न विचार हो सकते हैं।

मुझे लाओस के विदेश मंत्री से वहां की स्थिति के बारे में बातचीत करने का अवसर मिला था परन्तु मैं सभा में इसका ब्योरा नहीं दे सकता। परन्तु आओस इस बात पर जोर दे रहा है कि उनके मामले पर जनेवा प्रकार के सम्मेलन में विचार किया जाये। परन्तु यह सम्मेलन सह-चेयरमैनों अर्थात् रूस तथा ब्रिटेन द्वारा ही बुलाया जा सकता है। परन्तु इस तरह का निर्णय लाओस सरकार को ही करना है।

माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य का उल्लेख किया है। उनको यह याद रखना चाहिये कि हमारे ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चेयरमैन के नाते कुछ जिम्मेदारी है। अतः हमारे वक्तव्य हमारी उस हैसियत के अनुकूल होने चाहिये। जबकि आयोग द्वारा कोई बात स्वीकार न कर ली जाय तब तक कुछ नहीं कह सकते कि कोई देश वहां पर क्या कर रहा है। जहां तक इस क्षेत्र के देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रश्न है, यह अच्छा सुझाव है परन्तु हमें यह देखना होगा कि इसके लिये कौन सा अवसर उचित है और इसका क्या प्रभाव होगा। यदि माननीय सदस्य का कहना यह है कि इस प्रकार का सम्मेलन बुलाने से युद्ध बन्द हो जायगा तो हम ऐसा करने को तैयार हैं। हम इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक लाओस को सहायता देने का सम्बन्ध है, हमने उस देश को सहायता दी है और वहां पर हमारा एक सैनिक अस्पताल भी है। हम अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि उत्तर वियतनाम से सम्बन्ध बनाये रखना हमारे हित में है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I want to know whether the army of North Vietnam has committed a naked aggression against Laos or not and if they have committed then why the Government is not disapproving their action in clear trems, both in her individual capacity and as chairman of the commission? I also want to know what specific steps have been taken to solve this problem? I further want to know whether Government will take any initiative to hold talks in the matter with the co-chairman and if not, the reasons therefor? The influence of North Vietnam and communist China is increasing in this area. Our Prime Minister also recently expressed concern over it. May I know whether the Government will have talks with the neighbouring countries on this issue?

Shri Dinesh Singh : So far as the question of the steps that we have taken so far to solve the problems of Laos peacefully is concerned, it is a long story. We are doing what we can as the Chairman of the Commission. We express our views about Laos in every conference held at international level to discuss the issue concerning Laos. It should be understood clearly that the situation is not worsening on our account. It is a very complicated international problem. The situation in Laos will improve with the improvement in international situation and particularly in South East Asia. We are trying best to see that the situation does not further deteriorate.

Shri Kanwar Lal Gupta: There has been attacks on Laos from North Vietnamese side. I would like to know whether the Government of India consider the same as aggression. If so, why do they not disapprove of it? The Minister has not replied to the questions, I asked.

Shri Dinesh Singh : So far as the question of attack is concerned, there has not been any attack on Laos from outside.

श्री बलराज मधोक : पैथट लाओ सेना नहीं है बल्कि उत्तरी वियतनाम की सेना है। ऐसे वक्तव्य से मामला और उलझ जायगा। माननीय मंत्री को अपने वक्तव्य में संशोधन करना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Balrampur) : I rise on a point of order. We should not say anything which does not behove us as Chairman. He had made a statement which contradicts his earlier statement and which may further complicate the issue. He cannot deny the fact that the North Vietnamese forces went there.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह मामला लाओस के लोगों पर ही छोड़ दिया जाये।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : उन्होंने गलत बयानी की है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाय।

Shri Dinesh Singh : There is nothing exciting in what I said, Hon. Member should consider it calmly. I did not say that there were foreign forces in Laos. I did not say either that there were no foreign forces there. I said that the fighting was going on in the centre of Laos. There has not been any new attack on the borders of Laos from outside.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हम यहां से लाओस के लोगों को कैसे यह निर्देश दे सकते हैं कि वे अमुक-अमुक प्रकार से कार्य करें।

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : वहां जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, वे लाओस के नहीं हैं, बल्कि वे घुसपैठिये हैं।

Shri Dinesh Singh : This is not the question of giving the name of 'new attack' to the conflict going on in Laos. Fighting is going on in the plain of Jars which is situated in the centre of the country and not on its border. Though it is unfortunate that the conflict has been taking terrible shape. I never said and I am not going to say : whether foreign forces are there or not. If such question will come up before the Commission, they will give their decision thereon. What has been reported in the newspapers is known to all the Hon'ble Members. I will say nothing about it.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मुझे आश्चर्य होता है जब मैं देखती हूं कि सरकार सच नहीं कह रही है। अमरीका का बी-52 वहां क्या कर रहा है। वहां संकट उत्पन्न करने के लिए अमरीका भी उतना ही जिम्मेदार है जितना की चीन अमरीकी विमान जो वहां खाद्य पदार्थ देने के लिए हैं, वहां पर हथियार और गोला-बारूद सप्लाई कर रहे हैं। लंदन से यह प्रसारित हो चुका है कि वहां क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से हट जाना चाहिए। क्या सरकार को वहां की स्थिति के बारे में ठीक जानकारी है ? क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष पद को छोड़ देगी या वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बारे में अपनी निश्चित नीति बनायेगी ? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री दिनेश सिंह : सचमुच लाओस में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। माननीय सदस्या चाहे सच बोल रही हों, पर मेरा तो यह कहना है कि सम्बद्ध पार्टियों ने जनेवा समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया और वहां स्थिति बिगड़ती गई। माननीय सदस्य द्वारा कुछ देशों के

नाम लिये गये । क्या ऐसा करने से कोई लाभ हुआ ? क्या आयोग की अध्यक्षता को छोड़ देने मात्र से लाओस की समस्या हल हो जायेगी या वहां की स्थिति सुधर जायेगी ? अच्छा तो यही होगा कि जहां हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वहां हम अपने दायित्वों को पूरा करें ।

श्री म० ला० सोंधी : श्री नेहरू के शासन काल में प्रिंस सुवन्ना फूमा का नाम यहां आदर से लिया जाता था । वह स्वतन्त्र विदेश नीति, तटस्थ और गुट निरपेक्षता के समर्थक हैं । भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का न केवल अध्यक्ष है, बल्कि वियनटाइन में हमारा पूरे स्तर का राजदूत भी है । मंत्री महोदय उसे यथोचित आदेश दे सकते हैं ।

लाओस में इस समय लगभग 50 हजार उत्तर वियतनाम के सैनिक हैं । उत्तर वियतनाम के युद्ध बन्दियों के संवाददाताओं के सामने यह स्वीकार किया है कि वे अकेले ही लड़ रहे हैं, पेथेट लाओ के साथ नहीं । अब देखना यह है कि क्या लाओस एक स्वतंत्र देश के रूप में वर्तमान स्थिति में विद्यमान रह सकता है । क्या भारत सरकार ने जनेवा समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं से यह अनुरोध किया है कि वे लाओस की तटस्थता बनाये रखने के लिये उनके समझौते के अनुच्छेद 4 का पालन करें ।

मैं गत सप्ताह वियतनाम में था और मैं प्रिंस सुवन्ना फूमा से मिला था । उन्होंने कहा था कि हमारे देश में गृह-युद्ध नहीं हो रहा है बल्कि हमारे ऊपर एक पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है । इस स्थिति में हम चाहते हैं कि भारत हमारी सहायता करे जिससे लाओस अपनी स्वतंत्रता और तटस्थता बनाये रखे । श्री सुवन्ना फूमा 'प्लेन आफ जार्स' के क्षेत्र में किसी भी देश के सैनिक की विद्यमानता को पसन्द नहीं करते । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि स्वयं लाओस ने जनेवा समझौते का उल्लंघन नहीं किया है ।

सरकार अब लाओस की क्या सहायता करने जा रही है ? क्या सरकार वहां पर चिकित्सा दल के रूप में कुछ लोगों को भेजेगी जो वहां के 5,00,000 शरणार्थियों की सहायता कर सकेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : प्रिंस सुवन्ना फूमा की भारत में अब भी उतनी ही प्रतिष्ठा है, जितनी पहले थी । जहां तक चिकित्सक दल को वहां भेजने का सम्बन्ध है, यदि उनकी ओर से इसके लिये हमें अनुरोध किया जायेगा, तो हम अवश्य ही उस पर विचार करेंगे । लाओस समस्या के शान्ति-पूर्ण हल के लिये हम जनेवा सम्मेलन के देशों या अन्य देशों से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं । यह बात ठीक है कि जनेवा समझौता उसके हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पूर्णतः नहीं माना गया और हम चाहते हैं कि सभी सम्बन्धित पक्ष उसके अनुसार कार्य करें । जहां तक प्लेन आफ जार्स की बात है, हम न केवल उस क्षेत्र विशेष को, बल्कि सम्पूर्ण लाओस को ऐसा देखना चाहते हैं, जिसमें विदेशी सैनिक न हों ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम 1957 के अन्तर्गत विनियम

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से नौसेना अधिनियम, 1957, की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 271 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2193/69]**

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) शार्क के सूखे पंखों और मछली के सूखे उदरों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5055 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम 1969, जो दिनांक 30 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5058 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नए जूट वूल पैक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1969, जो दिनांक 1 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 51 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०- 2585/70]

(2) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963, की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कपड़ा समिति (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2172 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2586/70]**

(3) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा अभिकरण के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2587/70]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

57 वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 57वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

52वां और 54वां प्रतिवेदन

श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के संभरण के लिये मैसर्स बी० पटनायक (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ किये गये ठेकों के सम्बन्ध में समिति के छठे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 52वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली, के सम्बन्ध में समिति के 51वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 54वां प्रतिवेदन ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

5वां प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्रम तथा रोजगार विभाग) : रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का विनियोजन—के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : श्री हनुमन्तय्या ।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस शुरू होने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर दोनों सदनों में बहस होगी और चार दिन तक

चलेगी। प्रधान मंत्री के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह एक साथ दोनों सभाओं में उपस्थित हो सके। क्या यह उचित है ?

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव
MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 20 फरवरी, 1970 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

Shri Rabi Ray: (Puri): Mr. Speaker. I want to raise a point of order. May I know on what Address Shri Hanumanthaiya has moved this motion on the Address read by the Secretary or the Address read by the Hon. President himself ?

Mr. Speaker. On the Address which is before this House.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On the other day, when I raised a point of order, you had said that you would find out the real position.....

Mr. Speaker: The real position is that that was a joint session which is presided over neither by myself nor by Shri Pathak.

Shri Atal Bihari Bajpayee (Balrampur): The President's Address is going to be discussed and the Prime Minister is not here. Who will reply to the debate on it.

अध्यक्ष महोदय : अन्य मंत्री तो यहां हैं ही। अभिभाषण सभा-पटल पर रखा जा चुका है। आपकी बातें यहीं समाप्त हो जाती हैं।

मेरा विनिर्णय यह है कि जब वह बोलें तो सभी मंत्रियों के लिये यहां उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। मुझे कुछ समय पहले प्रधान मंत्री से पत्र द्वारा सूचना मिली है कि उन्हें आज सवा बारह बजे लाओस के राजा और रानी के साथ दोपहर का भोजन करने के लिये राष्ट्रपति-भवन जाना है।

श्री हनुमन्तय्या : राष्ट्रपति के अभिभाषण में आज पहली बार समस्याओं को हल करने के लिये नया दृष्टिकोण अपनाने का संकेत दिया गया है। आज पहली बार सही मानों में समाजवादी समाज लाने का संकेत हमें अभिभाषण में मिलता है। प्राय: सब समाचारपत्रों ने इसका स्वागत किया है। मैं आज पहली बार यह अनुभव कर रहा हूं कि संविधान की प्रस्तावना को गंभीरतापूर्वक समझने तथा उसे कार्यरूप दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों से हम सबको समानता का अधिकार तथा अवसर देने की बात करते रहे किन्तु उसकी क्रियान्विति में हमने शिथिलता दिखाई। पहली बार सरकार ने इन मूलभूत सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने की बात सोची है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सभा के प्राय: सभी पक्षों ने स्वागत किया है। संयुक्त समाजवादी दल और जनसंघ ने यहां तक कहा है कि सभी विदेशी बैंकों तथा विदेशी तेल कम्पनियों का भी राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए। इससे यह

बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है, यद्यपि तुरन्त सभी कार्यों की क्रियान्विति कठिन है। राष्ट्रपतिजी ने कहा कि इन दूरगामी उपायों की क्रियान्विति में कुछ समय लगेगा। सरकार उत्तरोत्तर न्याय और समानता की नींव पर नये समाज का निर्माण कर रही है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अपने कर्तव्य का पालन किया है। न्यायालय का कार्य विधि की व्याख्या करना है, न कि विधि बनाना। न्यायालय को विधि की व्याख्या करते समय विधि बनाने वाले लोगों के विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं संविधान सभा का सदस्य था। संविधान सभा की कार्यवाही में किसी सदस्य द्वारा यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिये दूसरी संविधान सभा बनाई जाये। संविधान में संशोधन का पूर्ण अधिकार संसद् को दिया गया। दूसरी संविधान सभा बनाने की बात कहना व्याख्या के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सरकार जब भी कोई प्रगतिशील कदम उठाती है, चाहे वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो अथवा भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों की समाप्ति हो— तो उन्हें अनुचित राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या सरकार संविधान के उपबन्धों को सही दिशा मे क्रियान्वित कर रही है। यदि देशभक्ति और संविधान की प्रस्तावना को ध्यान में रखा जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस सभा को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी आपस में मेल नहीं खाते। पहले दिये निर्णयों में उच्चतम न्यायालय के वही विचार थे जो मैं अब कह रहा हूं किन्तु बाद में न्यायमूर्ति श्री सुब्बाराव की कुछ भिन्न राय थी। मैं समझता हूं यह निर्णय करते समय पहले के निर्णयों को ध्यान में नहीं रखा गया है। मैं न्यायालय को इस बात का दोषी नहीं ठहराता कि उसने संविधान की भावना से भिन्न निर्णय दिया है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि संसद् को यह मामला ठीक कर देना चाहिए। जब तक इस प्रकार के कदम नहीं उठाये जाते तब तक समाज में व्याप्त विषमता दूर नहीं हो सकती है। जिस प्रकार अन्य समस्याओं के हल के लिये मार्गोपायों के बारे में सुझाव देने के लिये आयोग नियुक्त किये जाते हैं, उसी प्रकार देश की न्यायपालिका में सुधार करने के लिये भी एक आयोग की नियुक्ति आवश्यक है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा कब क्रियान्वित की जायेंगी और क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख है।

श्री हनुमन्तय्या : सरकार ने इस सभा में घोषणा की है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की 87 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

न्यायालयों द्वारा मुकदमों के निर्णय देने में विलम्ब तथा मुकदमों पर अधिक खर्च होने के कारण जनता को बहुत परेशानी होती है। इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर केवल यह कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच-पड़ताल की जानी चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना

चाहिये कि मुकदमों के सम्बन्ध में निर्णय देने में विलम्ब न हो और जनता को न्याय प्राप्त करने में अधिक व्यय न करना पड़े।

उपर्युक्त सब बातों को देखते हुये ही मैंने न्यायपालिका में सुधार करने के लिये एक आयोग नियुक्ति की बात कही है जो समूचे मामले पर आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में विचार करे। किन्तु शर्त यह होनी चाहिये कि इस आयोग में कोई भी न्यायाधीश नहीं लिया जाना चाहिये। संसद सदस्य इस बात को अच्छी तरह देख और समझ सकते हैं कि वर्तमान कानून सम्बन्धी प्रक्रिया से जनता को कितना लाभ हुआ है अथवा कितनी परेशानी हुई है। इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति विपक्षी दलों के नेताओं तथा प्रधान मंत्री की सहमति से की जानी चाहिये। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण की अन्तिम कंडिका में कहा है कि सदस्यों को जनता की भावनाएं सच्चे रूप में वक्तव्य करनी चाहिये और सभा को उनकी मांगें यथासम्भव पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिये।

हमारी संसद की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। हम यहां पर छोटी बातों को उठा कर विवाद उठाते हैं जिससे अधिक महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा के लिये समय नहीं रह जाता है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at five minutes past fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री हनुमन्तय्या : मैं संसदीय प्रक्रिया में सुधार की बात कर रहा था। मैं पिछले दशक से देख रहा हूं कि इस अवधि में एक भी महत्वपूर्ण मामले पर पूरी तरह विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि अधिक कारगर ढंग से कार्य करने के लिये संसदीय प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। मेरे विचार में उपरि सदन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

श्री अटल बिहारी बाजपेई : महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय जब कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल स्तर के एक भी मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं।

श्री हनुमन्तय्या : मंत्रियों के अनुपस्थित रहने का एक कारण दोनों सभाओं में दोहरा कार्य है। जहां दोहरा काम होता है, वहां प्रयत्न और धन का कोई उपयोग नहीं होता। अतः हमें दोनों सभाओं के कार्य को युक्तियुक्त बनाना चाहिये, जिससे यथासम्भव दोहरा कार्य न हो। सभा

में प्रचलित प्रक्रिया दो शताब्दियां पुरानी है जिसे इंगलैंड में अपनाया गया था परन्तु जो यहां की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। प्राचीन काल में इस प्रक्रिया का सम्बन्ध केवल प्रशासन से था। उनके समक्ष एक नये समाज के निर्माण का लक्ष्य नहीं था। अब प्रशासन का काम सरकारी उपक्रमों के विशाल क्षेत्र में फैल गया है। अतः दोहरे प्रयत्नों को समाप्त करने और इस सभा के कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सभा के नियमों में संशोधन अथवा परिवर्तन करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिये सभा के नेता तथा विरोधी पक्ष के नेता के साथ विचार कर के सभा की सर्वसम्मति से एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जिससे सभा की प्रक्रिया के नियमों को समय और नये उत्तरदायित्वों को ध्यान में रख कर बदला जा सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि उत्पादन के बारे में उत्साहवर्द्धक स्थिति का उल्लेख किया गया है। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि खाद्यान्न के मामले में लगभग एक वर्ष में भारत न केवल आत्मनिर्भर हो जायेगा बल्कि निर्यात भी कर सकेगा। खाद्यान्न की समस्या वैज्ञानिक ढंग से हल किये जाने के कारण खाद्य स्थिति में काफी सुधार हो गया है, इस में कोई संदेह नहीं है। गत 20 वर्षों में अनाज के आयात पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः यह बहुत प्रसन्नता की बात है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह कि नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि रासायनिक उर्वरकोंऔर कीटनाशक औषधियों के प्रयोग में गुण ही नहीं, कुछ अवगुण भी हैं। कई बार अनाज में विष मिल जाता है। इसलिये हमें रासायनिक खादों के साथ-साथ प्राकृतिक खादों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। प्रकृति का यह नियम है कि बेकार वस्तुओं से खाद बनती है और खाद से अन्ततोगत्वा पौधों से अनाज पैदा होता है। कलकत्ता, बम्बई जैसे बड़े नगरों में नालियों का गन्दा पानी वायु को भी गन्दा करता है और वह बेकार जाता है। यदि इस गन्दे पानी को खाद के काम में लाने के लिये 100 करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़े तो वह लाभप्रद होगा। हमारे देश में कई उद्योग ऐसे हैं जो गन्दे नाले के पानी को खाद के रूप में बदलने के लिये मशीनें बना सकते हैं। इस कार्य में विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी तकनीकी जानकारी की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मुझे प्रसन्नता है कि मैसूर राज्य ने घोषणा की है कि वह अनाज के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो चुका है। यदि पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाये तो हम काफी प्रगति कर सकेंगे। इससे मूल्यों में भी कमी होगी। कृषि अब भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें इस क्षेत्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्र में भी स्थिति काफी अच्छी है। मंदी कम हो गई है और निर्यात में वृद्धि हो रही है। आयात में भी कमी होती जा रही है। प्रगति की दर 7% से भी अधिक हो जाने की आशा है। यदि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति हो तो हमारी अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी।

जैसाकि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, उद्योगों में मजदूरों की गड़बड़ के कारण संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। मजदूर संघों के परस्पर झगड़े चलते रहते हैं। मजदूर संघ अपने अधिकारों पर अधिक जोर देते हैं। उन्हें उत्पादन, कार्यकुशलता या राष्ट्रीय सम्पत्ति को

बढ़ाने की बहुत कम चिन्ता होती है। यदि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें सही ढंग से काम करना होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है अतः मजदूर संघ उसके साथ सौदेबाजी कर सकते हैं, परन्तु जहां कोई कारखाना सरकार के नियंत्रण में हो, वहां मजदूर वर्ग को यह समझ लेना चाहिये कि समाजवादी सिद्धांत के अनुसार हड़तालें नहीं की जानी चाहिये। उन्हें केवल उत्पादन पर ध्यान देना चाहिये। उत्पादन के बाद धन को समानरूप से बांटने के लिये काफी समय मिल सकता है। अन्ततोगत्वा मजदूरों और प्रबन्धकों के विवादों का निर्णय न्यायाधिकरणों को करना चाहिये। न्यायाधिकरणों के साथ-साथ एक सर्वोच्च प्राधिकरण भी होना चाहिये, संसद की एक समिति मध्यस्थ निर्णय कर सकती है। परंतु मजदूर संघों के परस्पर कलह और आन्दोलनों से हमारे उद्योग नष्ट हो जाएंगे। मजदूरों को उपयुक्त मजदूरी दी जानी चाहिये, परन्तु उन्हें उत्पादन भी करना चाहिये। उत्पादन के बिना न पूंजीवादी का और न ही समाजवादी समाज का अस्तित्व रह सकता है। हम गलतफहमी के कारण मजदूरों में उत्पादन सम्बन्धी उत्तरदायित्व की भावना पैदा नहीं करते। उत्पादन के बिना हम समाजवादी समाज स्थापित नहीं कर सकते। अतः श्रम नीति को हमें नया रूप देना होगा, जिससे वह समाजवादी समाज के अनुरूप सिद्ध हो सके। यह मामला चन्द वोटों का नहीं बल्कि सारे देश की खुशहाली का है। यह सरकार दृढ़ निश्चय रखती है और समस्याओं के प्रति इसका निष्पक्ष दृष्टिकोण है।

यह सभा देश में सर्वोच्च स्थान रखती है और इसमें समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। अतः हमें देश के हितों के अनुरूप निर्णय करने चाहिए, जिससे देश में एकता की भावना सुदृढ़ और हजारों वर्षों की संस्कृति और परम्पराएं बनी रहें। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री ने चण्डीगढ़ के मामले पर निर्णय दिया है। अन्य सीमा विवादों के बारे में भी प्रधान मंत्री निष्पक्ष और दृढ़ निर्णय करने में समर्थ हैं। हमें उनका निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिये। हमारे मित्र डा० राम सुभग सिंह यदि कल प्रधान मंत्री बन जायें तो हमें उनका निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये बल्कि हमें देश के हित में काम करना चाहिये। अन्ततोगत्वा सीमा विवाद का हल संसद द्वारा किया जाना है और संसद पर किसी भी पक्ष का दबाव नहीं पड़ना चाहिये। यदि संसद अथवा सभा के नेता पर से विश्वास उठ जाये तो इन सीमा विवादों को हल करने का और कोई तरीका नहीं रह जाता। मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद का भी समाधान हो सकता है। यद्यपि मेरा सम्बन्ध मैसूर से है परन्तु मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहता। मैं सबसे पहले भारतीय हूं और इसके बाद कुछ और। हमें इन समस्याओं का स्वीकार्य समाधान ढूंढना चाहिये। मैं प्रधान मंत्री के निर्णय को स्वीकार करूंगा। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री का निर्णय निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगा, जिससे दोनों राज्यों को लाभ पहुंचेगा।

केरल और पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति से बहुत से माननीय सदस्य अवगत हैं। केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में प्रतिवेदन में मैंने राज्यों के अधिकारों तथा स्वायत्तता पर काफी जोर दिया है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं केन्द्रीय सरकार को कमजोर बनाना चाहता हूं। शक्तियों का प्रत्यायोजन, प्रशासनिक कार्यकुशलता और

मितव्ययता के लिये किया जाता है। संकेन्द्रित शक्ति से हजारों मील दूर कार्यकुशलता तथा मितव्ययता नहीं होगी। इसी आधार पर मैंने उपर्युक्त सिफारिशें की हैं। यदि पश्चिमी बंगाल और केरल की जनता ने साम्यवादी दल चुनकर गलती की है तो वे अब इस गलती को महसूस करेंगे। यदि वे समझते हैं कि वर्तमान कानून एवं व्यवस्था उनके हितों के और राष्ट्रीय विकास के अनुरूप है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अतः यदि प्रान्तीय स्वायत्तता और सच्चे लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के विचार से केन्द्रीय सरकार केरल और पश्चिमी बंगाल के प्रतिदिन की कानून और व्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कमजोर है। यदि कुछ माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है तो उन्हें वहां जाकर जनता से अपील करनी चाहिये। इस सभा में नाराजगी मात्र व्यक्त कर देने से स्थिति में सुधार नहीं होगा।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : क्या राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व इन्होंने जनता से अपील की थी ?

श्री हनुमन्तय्या : मैं माननीय सदस्य को स्मरण कराना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व जनता की इच्छा जानने का कोई प्रश्न नहीं है। वैसे हमने इस प्रकार की स्थिति पर विचार किया है। हमने देखा है कि एक राज्यपाल ने स्थिति विशेष में किसी एक तरीके से कार्यवाही की है तो दूसरे राज्यपाल ने अन्य किसी तरीके से कार्यवाही की है। ऐसा नहीं होना चाहिये। शासन के नियम के अनुसार एक ही प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये। इसीलिए हमने राज्यपाल के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने की सिफारिश की है। मुझे इतना पता है कि नाराजगी व्यक्त करने से या किसी व्यक्तिगत आरोप अथवा किसी अन्य बात के कारण प्रधान मंत्री अपने दृष्टिकोण, नीतियों तथा तरीकों में परिवर्तन नहीं करेंगी (**व्यवधान**)। राज्यपालों के सम्बन्ध में विवादास्पद मामलों को हल करने के लिये हमें राज्यपालों के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने होंगे। विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं ने मतभेदों को दूर करने के लिये अन्तर्राज्यीय परिषद बनाने का सुझाव दिया था जैसाकि संविधान में लिखा है। जोनल परिषदें संवैधानिक मामलों में कुछ नहीं कर सकती हैं।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'पी' फार्म के बारे में भी विचार किया था। हम इस निश्चय पर पहुंचे कि जिस उद्देश्य से 'पी' फार्म प्रचलित किया गया था, वह उद्देश्य इससे पूरा नहीं होता। इससे विदेशी मुद्रा की बचत नहीं होती। जब यह अनुभव हुआ कि 'पी' फार्म बेकार है और इससे उत्तेजना पैदा होती है तो इसे समाप्त करने के लिये सरकार से सिफारिश की गई। हाल ही में सरकार ने लगभग 80 प्रतिशत प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया है। परन्तु मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस प्रतिबन्ध को पूर्णतया हटा दिया जाय। अब 'पी' फार्म सम्बन्धी कार्य करने वाले कर्मचारियों के बारे में प्रश्न उठता है लेकिन हम किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं करना चाहते। परन्तु इसके साथ-साथ हमें शासन में कुशलता तथा मितव्ययता का भी ध्यान रखना है। इसलिये हम चिन्तित हैं कि इस स्थिति का समाधान कैसे किया जाए परन्तु इसके लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम कुछ अधिकारियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था में पूर्व स्थिति का सन्धारण करने के लिये अब लोगों को और क्षुब्ध तथा रुष्ट नहीं कर सकते।

लोगों की परेशानी तथा सन्तापों को दूर करना हमारा प्रथम कर्तव्य है क्योंकि प्रजातन्त्र में हमें लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। यह ठीक है कि 'पी' फार्म को समाप्त करके सरकार प्रतिष्ठा की पात्र हो जायेगी।

इस समय हमारे समक्ष सब से ज्वलन्त प्रश्न बेरोजगारी का है। इस समस्या का समाधान किसी न किसी प्रकार करना ही चाहिये। सरकार को अपनी कार्मिक नीति में परिवर्तन करना चाहिये। बेरोजगारी पूंजीवादी समाज का एक विशिष्ट लक्षण है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम जो नई नीतियां बनाते हैं, अपनाते हैं, उनसे रोजगार में तो वृद्धि होती है परन्तु इससे बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त नहीं हो पाती, जो सच्चे समाजवादी ढंग से नई नीतियों को अपना कर इस समस्या को दूर कराने में मेरी सहायता करें।

इस बेरोजगारी का मूल कारण हमारी शिक्षा पद्धति है जिससे अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि आज का शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में ही काम कर सकता है। दूसरे क्षेत्रों में वह काम नहीं कर सकता। अनेक आयोग के नियुक्त करने पर भी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं किया जा सका है। अतः इस पद्धति को परिवर्तित करना बहुत आवश्यक है।

दूसरे हम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा का रोजगार अथवा काम भी नहीं दे सकते। अतः आज से बीस वर्ष पूर्व मैसूर सरकार के द्वारा शिक्षा पद्धति के सुधार के लिये जिस आयोग की नियुक्ति की गई थी 'कोर' उसके प्रतिवेदन में मैंने राष्ट्रीय सेवा कोर का विचार रखा था। प्रत्येक शिक्षित युयक का इस में शामिल होना आवश्यक हो और संघ लोक सेवा आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति का आवेदन स्वीकार नहीं करे जिसके पास इस कोर में कम से कम एक वर्ष कार्य करने का प्रमाण पत्र न हो। इसके साथ हमको ऐसी नीति बनानी चाहिए कि लोगों का उद्देश्य केवल सेवा ही हो न कि वेतन क्योंकि आज वेतन बहुत अधिक मिलता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्य में देखा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अधिक वेतन ही चाहता है। यहां तक कि वरिष्ट से वरिष्ट अधिकारी भी यही चाहता है कि उसे और अधिक वेतन मिले।

इसलिये जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि समानता तथा न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था कायम करने के हेतु इन सभी पहलुओं पर पुनः विचार करना चाहिये। इसलिये सदन इस समय छोटी-छोटी बातों को छोड़ कर वेतन की बजाय सेवा के आधार पर मौलिक नीतियां बनाएगा।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : I welcome the motion of thanks on the President's Address moved by Shri Hanumanthaiya. The President's Address has expressed and reflected the feelings, hopes, ambitions and aspirations of the crores of people of the country. We are thankful to the President and his Government for realising for the first time the sufferings of the innumerable workers, farmers, students and backward classes and other exploited persons of the country. I find, for the first time in the Address of a President a firm sense of ideas full of true approach and optimistic values. It is because of the fact that the masses of the country have experienced a sense of awareness for the last six or seven months and they have realised

that they have some rights in a democratic country and that they have not yet even tasted the fruits of the growing economy of the country which a handful of the people have shared. But now the people of all walks of life want that they should get every possible facility. The credit for awakening the people goes to the Prime Minister. The President in his Address has rightly said that sufficient progress has been made in the fields of industries and agriculture. We have attained self sufficiency in foodgrains. Our exports have increased and imports have gone down. Public Sector undertakings have also gained momentum and there has been increase in their turnover. Inspite of losses in some of the public undertakings there has been a good omen as a whole.

15 years ago, we declared that the country would have a socialistic pattern of society. Efforts were made to attain this goal and we have achieved some positive results in this matter. But at the same time, there have been differences of opinion, regional imbalances, unemployment and sufferings to the people of the country. We cannot ignore the activities of the Communists and the Naxalities. But inspite of all the fruits and profits the progressive forces had to fight with the reactionary forces responsible for all these imbalances and hardships in the country.

Government nationalised 14 major Banks recently for the betterment of the country, with the cooperation and encouragement of the people. But recently Supreme Court has given its verdict against this step raising some legislative and statutory hurdles, saying that the nationalisation of the banks was a discriminatory step. Our judiciary is the custodian and guardian of the rights of the people of the country and people have full faith in the judiciary. But since Parliament is a sovereign body, Government should consider the objections raised by the Judiciary and should bring forward a comprehensive and specific Bill for nationalising all the banks in the country.

The objective of the laws is to safeguard the interests of the people. There is a provision regarding right to property in the fundamental right of the Constitution, but in view of the changing situation in the country such provisions in the Constitution should be suitably changed as go against the interests of the people of a democratic country like ours. Therefore, Government should impose a ceiling on urban property, when State Governments have imposed ceiling on land. This is a call of the time and demand of the people.

The President has expressed grave concern over the communal disturbances in the country. Ignorant people were killed and their property was destroyed. This is undoubtedly a serious matter. In view of the decision taken in the conference of the National Integration Council, all the political parties should come forward for help and cooperation so that communal and religious harmony may be brought about in the country. This is a secular State and every man, whether he belongs to minority community or not, has full right to be called a citizen of this country. In the matters of national interests, all the people have shown patriotism unitedly.

In the matter of land reforms, the State Chief Ministers and other leaders have talked much but actually nothing has been done. Government must look into this question as this is a matter which concerns national interest.

The prices have been steadily increasing since 1965. There are so many reasons behind increase in the prices. Saving capacity has decreased. Moreover, over-drafting of the States, decrease in production; recession etc. are also contributory factors. In order to check the spir alling prices all these things should be checked.

There has been losses in public sector enterprises and the main reason of losses is that there is inadequate production capacity. The production capacity in these enterprises should be increased.

The President has expressed some satisfaction over our foreign policy. Our foreign policy has been successful and we have undoubtedly gained friendship and cooperation of the foreign countries. Our exports have increased. We have gained world market. Our policy of peaceful co-existence and slogan of peace have found place in so many countries. We have pursued our foreign policy without any hesitation and without any pressure from outside whatever the case may be. We want to have friendly relations with our neighbouring countries, like China and Pakistan. But inspite of our policy of peaceful co-existence, our relations with China have not improved. It appears that the leaders of China do not want to improve relations with us and they are mainly responsible for this state of affairs. But now the people of China have become conscious and awakened. Even then there is possibility of our relations having been improved only when there was a change in the leadership of that country.

The President in his Address has mentioned the role of services in the matter of implementation of the policies of the Government. It is an admitted fact that our services put in great labour in formulating Government policies and implementing them properly. But inspite of this, our leaders have stressed the need that our services should associate themselves with the policies of the Government with full faith, allegiance and confidence. The gap between the formulation and implementation of the policies of the Government should be narrowed down, so that the problems being faced in this matter may be solved on war footing. The people have become so much impatient that they cannot wait for indefinite period in solving their problems. Therefore, our services should be more dynamic so that they could implement the policies of Government with greater speed and efficiency.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है और उसका अनुमोदन कर दिया गया है तथा अब यह सदन के समक्ष है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 20 फरवरी, 1970 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

इस प्रस्ताव पर संशोधनों की संख्या बहुत अधिक है । उपस्थित माननीय सदस्य जिन संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं, वे उनकी संख्या परचियों पर लिख कर भेज दें ।

श्री रामसिंह आयरवाल (सागर) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 से 30 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं अपने संशोधन संख्या 31 और 32 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वनाथ पाण्डे (सलेमपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 33 से 39 और 365 से 368 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं अपने संशोधन संख्या 51 से 55 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं अपना संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मै अपने संशोधन संख्या 66 और 461 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 92 से 99 और 292 से 295 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 100 से 128 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपने संशोधन संख्या 129 से 137 और 641 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपने संशोधन संख्या 138 से 147 और 429 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : मैं अपने संशोधन संख्या 188 से 192 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपने संशोधन संख्या 296 से 326 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 328 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रवि राय (पुरी) : मैं अपने संशोधन संख्या 330 से 344 और 392 से 404 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : मैं अपने संशोधन संख्या 345 से 358 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : मैं अपने संशोधन संख्या 370 से 391 और 462 और 463 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपने संशोधन संख्या 408 से 414 और 627 तथा 628 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं अपने संशोधन संख्या 425 से 428 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 438 से 440 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 455 से 458 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं अपने संशोधन संख्या 490 से 493 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 508 से 512 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : मैं अपने संशोधन संख्या 516 से 529 और 585 से 599 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्न गिरि) : मैं अपने संशोधन संख्या 530 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं अपने संशोधन संख्या 531 से 536 और 636 से 638 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरक पुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 551 से 559 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अंबाजागन (तिरुवेंगोड) : मैं अपने संशोधन संख्या 629, 630, और 631 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री जगेश्वर यादव (बांदा) : मैं अपने संशोधन संख्या 639 तथा 640 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं राष्ट्रपति का, उनके अभिभाषण पर आभारी हूं, परन्तु मुझे खेद है कि यह अभिभाषण उस सरकार ने तैयार किया है जो अवैध है और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इस सरकार में ऐसे व्यक्ति सत्तारूढ़ हैं जिन पर भरोसा नहीं हो सकता । मैं नहीं समझता कि इस अभिभाषण को अद्वितीय क्यों बताया गया है । मेरी राय में यह अत्यन्त असन्तोषजनक और पूर्णतः परस्पर विरोधी है । यह बहुत निराशाजनक बात है कि सरकार ने अपने निर्णयों से ही असुरक्षा पैदा कर दी है । इससे लोगों को बहुत व्याघात पहुंचा है । लोगों की जान व माल की कोई रक्षा नहीं हो रही है । देश के सीमावर्ती गांवों में निर्धन खेतिहर मजदूरों की हत्या की जाती है । उनकी सहायता करने की बजाय उन पर गोली चलाई जाती है । देश में निर्धनों का शोषण हो रहा है और फिर भी प्रधान मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कहती हैं कि वह निर्धनों के साथ हैं । रेलों के भाड़े में जो वृद्धि की गई है, उसका भार भी उन निर्धनों पर ही पड़ेगा जो बेचारे रेलवे के तीसरे दर्जे में यात्रा करते हैं ।

अपनी विजय यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री मणिपुर गई थीं । मणिपुर के निवासियों ने समझा कि उनको दबाया जायगा तो उन्होंने अपनी सेना से लड़ाई कर दी । श्री फखरुद्दीन अली अहमद जो मणिपुर के ही निवासी हैं, उन लोगों के कष्टों को जानते ही नहीं हैं क्योंकि वह निर्धन वर्ग के नहीं हैं । जन साधारण की स्वतंत्रता जिसकी संविधान में भी गारंटी दी गई है, का दमन करने के लिये ही सरकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना का प्रयोग करती है । मैं सरकार के इस व्यवहार के लिए उस पर आरोप लगाता हूं ।

मैं श्री हनुमन्तय्या के कथन का विरोध करता हूं । तीन वर्षों के प्रयत्न से तैयार किए गए प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन से कुछ लाभ होगा, ऐसा मैं नहीं समझता ।

मणिपुर के लोगों ने राज्य बनवाने के लिए चुनौती दी थी । वे लोग बड़े उत्साही हैं, अतएव मैं चाहता हूं कि उनका राज्य बनाया जाये । यदि आप ऐसा नहीं करते तो कहा नहीं जा सकता कि वहां क्या होगा । मैं प्रधान मंत्री पर तथा गृह-कार्य मंत्री पर राज्यपालों का जन

भावनाओं के विरुद्ध उपयोग करने का आरोप लगाता हूं। राज्यपाल के पद की अभी तक कोई परम्पराएं स्थापित नहीं हुई हैं।

मणिपुर में सेना का प्रयोग किया गया, कई व्यक्ति सेना द्वारा मार दिये गये, परन्तु वे लोग भयभीत नहीं हैं। अब उन्होंने इस अयोग्य और अक्षम सरकार को नोटिस दे दिया है। कई विदेशी सरकारों ने गांधीजी की मूर्ति स्थापित की है। हमारी सरकार ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने गांधीजी की परम्पराओं को त्याग दिया है।

राष्ट्रपति ने हरियाणा के बारे में एक आयोग स्थापित करने की बात कही। सरकार ने एक सच्चे कांग्रेसी श्री दर्शन सिंह फेरुमान को अमृतसर में मरवा दिया और अब वह उनकी मांग के सम्मुख झुकी है और श्री रणधीर सिंह का घर जला दिया गया था।

श्री रणधीर सिंह : आपके ही दल के व्यक्तियों ने मेरा घर जलाया।

डा० राम सुभग सिंह : मुझे पता था कि प्रधान मंत्री को प्रसन्न करने के लिए आप ऐसा ही कहेंगे।

Shri Randhir Singh : Any one of them may stand against me. I will get their securities forfeited.

डा० राम सुभग सिंह : प्रधान मंत्री और उनके पिट्ठुओं ने ऐसा किया था।

राजस्थान में किसान समिति ने 20 मांगें रखी हैं। उन्हें वन-क्षेत्रों से हटाया जा रहा है। यह कार्यवाही राज्यपाल द्वारा की गई जो अब नहीं रहे। वहां अल्पमत की सरकार बनाई गई और वह सरकार कृषि-श्रमिकों के लिये ऐसी हालत पैदा कर रही है कि उनका जीना दूभर हो गया है।

किसानों के प्रति सरकार सहानुभूति दिखाती है। एक अध्यादेश द्वारा उनके अधिकारों को सुरक्षित कीजिए। क्या आप में ऐसा करने का साहस है। वे दिल्ली आदि संघ राज्य-क्षेत्रों में बम्बई जैसी भूमि सुधार योजना क्यों नहीं शुरू करते। वे अपने ही मुख्य मंत्रियों को इस बारे में उदाहरण स्थापित करने को क्यों नहीं कहते।

आपने केवल 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए अध्यादेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए उस सूची में वृद्धि होनी चाहिए थी। यह उनके हितों के विरुद्ध था, अतः उन्होंने ऐसा नहीं किया।

सिंधु नदी जल विवाद के बारे में सरकार झुक गई थी। यदि फरक्का के मामले में भी सरकार झुकी तो इसका प्रभाव सारे पूर्वीय भारत पर बुरा रहेगा।

इस सरकार ने असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न कर दी है। साधारण जनता ही नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति भी इस स्थिति से भयभीत हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में "संसदीय पद्धति" का चलना कठिन हो गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वह निर्णय के कारण असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने भारत में संसदीय लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है और युवकों का आह्वान् किया है कि दल-बदल एवं दलीय गठ-जोड़ों से देश को बचाया जाए ।

श्री हनुमन्तय्या : क्या एक न्यायाधीश राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : यदि एक प्रधान मंत्री न्यायिक मामलों में दखल दे सकती हैं, तो हर कोई ऐसी टिप्पणी कर सकता है ।

श्री खाडिलकर ने पिछले दिन पूना में कहा था कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी ।

सेना से पुलिस का कार्य लेने के कारण जनरल मानेकशा भी तंग आ गये हैं । उन्होंने उचित चेतावनी दी है कि यदि दण्डाधीशों के आदेशों पर सेना का प्रयोग किया जाता है और यदि सेना के हाथों से लोग मरते हैं जैसा कि हरियाणा और राजस्थान में हुआ तो उससे प्रजातंत्र और संसदीय पद्धति का उन्मूलन हो जाएगा । वह चाहते हैं कि सेना का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए न किया जाए । मैं मांग करता हूं कि जिला गंगानगर, हरियाणा और अन्य स्थानों पर गोली चलाने के मामलों की न्यायिक जांच हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण में और बम्बई के प्रस्ताव में देश का ऐसा चित्र खींचा गया है कि देश में कृषि उत्पादन बढ़ गया है । परन्तु सूखाग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । ट्रेक्टरों और अन्य कृषि उपकरणों का आवश्यकतानुसार निर्माण नहीं हो रहा है ।

डालडा और इस्पात के मूल्य बढ़ाए गये हैं । आपकी भूलों के कारण इस्पात का उत्पादन घट गया है । ऐसी दशा में परमात्मा ही सहायता कर सकता है ।

इस्पात से बनी चीजों का उपयोग किसान आदि ही करते हैं । इसलिये उसके मूल्य में 78 रुपये प्रति टन की वृद्धि और डालडा के मूल्य में 25 पैसे प्रति किलो की वृद्धि को समाजवाद नहीं कहा जा सकता ।

उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है । अभिभाषण में कहा गया है उनका निर्यात घट गया है । तब भला निर्यात मेलों में इतने लोगों को क्यों भेजा जाता है । प्रधान मंत्री स्वयं भी वहां गई थीं । यदि ऐसी स्थिति जारी रही तो देश का पतन होगा ।

औद्योगिक स्थिति में उथल-पथल आती रही है । जनवरी से जुलाई, 1969 और जनवरी से जुलाई, 1968 के मध्य उत्पादनों में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई । परन्तु कपड़े और इस्पात का उत्पादन घट गया है । उत्पादन की वृद्धि दस प्रतिशत होनी चाहिए । राष्ट्रीय आय में 3 प्रतिशत के स्थान पर 1.8 प्रतिशत वृद्धि हो पाई । हमारी राष्ट्रीय आय विश्व में न्यूनतम है । इस समय देश की क्या स्थिति है । जबकि प्रधान मंत्री स्वयं योजना मंत्री और वित्त मंत्री भी हैं । अभी कल ही श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने बताया कि छोटी कार की योजना को योजना

आयोग की स्वीकृति नहीं मिली। योजना परिव्यय उनके प्रधान मंत्री बनने से पूर्व 11.36 प्रतिशत था, गत वर्ष 8.4 प्रतिशत रह गया और इस वर्ष 7.8 प्रतिशत ही रह गया है। इससे उत्पादन में विविधता नहीं लायी जा सकी। योजना के लिए उपलब्ध किए जाने वाले स्रोतों में निरन्तर कमी आ गई है ; 1965-66 में 36 प्रतिशत से घटकर 1969-70 में 25 प्रतिशत रह गई। तीन योजनाओं में विदेशी पूंजी का $\frac{1}{5}$ भाग था जबकि अब वह $\frac{2}{5}$ हो गया है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसी दशा में औद्योगिक कार्यक्रमों की क्या स्थिति होगी ?

देश में 25 लाख योग्य युवक बेरोजगार हैं और वे 1600 व्यक्तियों को पेट्रोलियम बूथ दे रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में रोजगार के नये अवसर पैदा करने की दशा में कोई मार्गदर्शन नहीं किया गया है। इसमें केवल यही कहा गया है कि 2% अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेंगे। जब तक सारे ढांचे को बदला नहीं जाता, इसका कुछ भी लाभ नहीं होगा। यदि आप रूसी पद्धति का पालन करें, तो भी ठीक है। बेरोजगार व्यक्तियों को 50 रुपए ही दीजिये। आप कहते हैं कि आपके समाजवाद से युवकों की समस्याएं हल होंगी।

कच्छ में 16 महीनों से पुल बना हुआ था, जिसका उद्घाटन उन्होंने अभी किया है। मुझे पता चला है कि प्रधान मंत्री के लिये, उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों में हैलीपैड बनाने के लिये सैकड़ों एकड़ भूमि का नाश कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय क्षति है।

हमारी योजनाओं में बेरोजगारी दूर करने के लिये गलत माध्यम अपनाया गया है। बाबूगीरी के माध्यम खोले गये। जब तक कारखाने आदि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं खोले जाते और किसानों को भूमि का स्वामित्व अधिकार नहीं मिलता, आप देश के लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते।

रबात में श्री फखरुद्दीन अली अहमद का अपमान किया गया। अब उनका कहना है कि वह इस्लामी सचिवालय में भाग नहीं लेंगे।

उस समय उन्होंने अपनी नीति की पुष्टि में बड़ी-बड़ी दलीलें दी थीं।

उन्होंने श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपनाई गई नीति को छोड़ दिया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक ऐसे देशों का उल्लेख किया गया है जिनकी राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री ने यात्राएं कीं। वे दोनों ही नेपाल गये। क्या इन देशों में से कोई भी हमारा सच्चा मित्र है ? इनमें ऐसा कोई देश नहीं है जहां से भारतीयों को निकाला न गया हो। आप उनके साथ बैठ कर चर्चा करते हैं कि आपकी विदेश नीति और आपकी आर्थिक नीति विश्व में अति उत्तम है। इससे आपको आत्म-संतोष मिल सकता है।

संसद ने 1962 में चीन से अपने क्षेत्र को वापस लेने का दृढ़ संकल्प लिया था। वह इसे पूरी तरह भूल गयी हैं। मेरी चीन अथवा पाकिस्तान से कोई शत्रुता नहीं है। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि यदि कोई हमारा क्षेत्र उनके अधिकार में है तो उसे वापस लिया जाये।

मैं चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में जांच की जाये। इण्डिया गेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाये।

एक माननीय सदस्य : बिड़ला भवन को लेने के बारे में आपका क्या मत है।

डा० राम सुभग सिंह : आपने बम्बई अधिवेशन के लिये उनसे धन लिया। अब आप बिड़ला भवन लें, सब कुछ लें। संविधान के अनुसार संसद् सर्वोच्च है और सभी निर्णय ले सकती है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं तय करने के लिये नये आयोग की स्थापना की बात कही गई है। सीमा आयोग की सिफारिशों का क्या बना ? मैसूर, मद्रास के बारे में क्या किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग के सभापति के नाते श्री हनुमन्तय्या को सरकार से इन बातों के बारे में अवश्य पूछना चाहिये।

दल-बदल पर सर्व-दलीय समिति की सिफारिशों को अवश्य क्रियान्वित करना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को राज्यपालों की आचरण संहिता बनाने के लिये एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति का गठन करना चाहिये। अभी हाल ही में राज्यपालों की बैठक हुई थी परन्तु उसमें कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सका।

संयुक्त अरब गणराज्य में एक संसदीय समिति गई थी जिसके नेता अध्यक्ष महोदय थे। परन्तु इसके लिये सदस्यों का चयन दूतावास द्वारा किया गया। संसद के अधिकार को छोड़ना उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ऐसे विषयों में निर्णय लेने के लिये एक समिति नियुक्त करें।

भूमि सुधारों को और नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करने के कार्य को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये। मणिपुर और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाये जायें। तेलंगाना के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श करके उसके बारे में निर्णय लिया जाये। इसमें कठिनाई ही क्या है ?

मैं चाहता हूं कि जात-पात का भेदभाव किये बिना सब नागरिकों को समान समझा जाये। वे केवल धार्मिक आधार पर समान व्यवहार की बात कहती हैं। सरकारी मशीनरी के उपयोग करते हुये कोई भी मंत्री नागरिकों को पथ-भ्रष्ट न कर सके।

अभिभाषण में केवल अहमदाबाद का ही उल्लेख न कर इन्दौर और भिलाई का भी उल्लेख किया जाना चाहिये था। हर एक नागरिक को, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख अथवा हरिजन कोई भी हो, समान रूप से संरक्षण मिलना चाहिये। ग्रामीण कार्यक्रमों के लिये 400 से 500 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये। शिक्षित लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर के एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया जाए ताकि ऐसे उपाय किये जाएं जिससे देश से असुरक्षा समाप्त हो जाये। पूर्वी अफ्रीका से निकाले जा रहे भारतीयों के हितों का संरक्षण करने के लिये प्रयत्न किये जाएं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत ही निराशापूर्ण और अरुचिपूर्ण था। इसमें गांधी जी और उनके सिद्धान्तों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे विदित होता है कि हम गांधीजी को पूर्णतया भूल गये हैं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण दुर्भाग्यपूर्ण और वचन-विरोधी है। यह ऐसी सरकार द्वारा तैयार किया गया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और जिसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : अब समय आ गया है जब हमें संसद् के सामने पूरे तथ्य रख देने चाहिये।

हाल ही में राजस्थान में समाजवाद और प्रजातन्त्र के नाम पर एक सप्ताह में तीन बार गोली चलाई गई। मैंने घटनास्थल का दौरा किया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि छोटे-छोटे बच्चों पर गोली चलाई गई और 14 और 15 वर्ष के छोटे-छोटे बच्चे गोली के शिकार हुए इस पर भी यह सरकार समाजवादी होने का ढोंग रचती है। हम किसी भी हालत में जनता का खून बहता नहीं देख सकते।

मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी।

मंत्रियों को पद का लोभ छोड़कर जनता के लाभ के लिये काम करना चाहिये।

1967 में जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता नहीं थी तब वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया। अब जब वहां राष्ट्रपति का शासन नितान्त आवश्यक है तब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

राजस्थान में प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है। प्रधान मंत्री को पद की लोलुपता छोड़ सिद्धान्तों के लिये प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन प्रधान मंत्री कुर्सी से चिपके रहना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हों ताकि वहां की जनता यह निर्णय कर सके कि वे श्री सुखाडिया के अधीन रहना चाहती हैं अथवा नहीं।

राजस्थान में जब पहली बार गोली चली थी तो मैंने इसकी सूचना श्री चह्वाण को दी थी। दूसरी बार गोली चलाये जाने की सूचना मैंने श्री चह्वाण को दी थी। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है।

श्री सुखाडिया ने जो स्वयं को एक बड़े समाजवादी मानते हैं, गोली चलाने वाले क्षेत्रों का दौरा करने का साहस नहीं किया। क्या प्रधान मंत्री उनसे अपने राज्य का दौरा करने का अनुरोध करेंगी ? उन्होंने 15,000 से अधिक व्यक्तियों को बन्दी बनाया हुआ है।

इस मामले में न्यायिक जांच करने की मांग की गई थी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान का कोई भी न्यायाधीश जांच आयोग का अध्यक्ष बनने के लिये तैयार नहीं होगा क्योंकि बेरी जांच आयोग की नियुक्ति के समय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि सरकार अल्प आयोग की सिफारिशें मानने के लिये बाध्य नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि सरकार जांच आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करेगी।

यदि कल भारत साम्यवादी देश हो जाता है तो इसके लिये न केवल कांग्रेस जिम्मेदार होगी बल्कि विपक्षी दल भी। अतः अब समय आ गया है कि हमें स्थिति का अध्ययन करना

चाहिये और सब दलों में एकता स्थापित करनी चाहिये जिससे देश में दो दल प्रणाली हो जाये। हमें पिछले चार चुनावों से सबक लेना चाहिये।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : 1967 के सामान्य निर्वाचनों के बाद देश को राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देश में विकास के बावजूद भी हम आकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच की खाई को पाट नहीं सके हैं।

अब स्थिति यह है कि किसी भी एक दल के लिये राज्यों और केन्द्र पर शासन करना सम्भव नहीं, अतः हमें स्थिति का समयानुसार मुकाबला करना चाहिये।

स्वतन्त्रता के 22 वर्ष बाद देश को आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिये न केवल सरकार दोषी है बल्कि वह लोग भी दोषी हैं, जो कल तक सरकार में शामिल थे लेकिन आज विपक्षी दल के रूप में बैठे हैं।

भारत के आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत आर्थिक विकास के मामलों में न केवल विकसित देशों बल्कि विकास कर रहे देशों के मुकाबले में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत में उन्नति की दर 1.6 प्रतिशत से भी कम है। भारत को इस उन्नति की दर हिसाब से अमरीका के 1963 के स्तर पर पहुंचने में 218 वर्ष लगेंगे। उन्नति की दर के मामले में भारत ब्राजील से 20 वर्ष, जापान से 44 वर्ष और ब्रिटेन से 45 वर्ष पीछे है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गत 20 वर्षों में भारत ने बहुत से क्षत्रों में काफी प्रगति की है। लेकिन अभी भी बहुत-सी वस्तुओं के उत्पादन के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं।

भारत में 1950-60 में प्रति व्यक्ति आय दर 1.6 प्रतिशत थी जो अब बहुत कम हो गई है।

पश्चिमी बंगाल ने 40 करोड़, आसाम ने 50 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। यदि केन्द्रीय सरकार का बजट भी घाटे का हुआ तो देश का क्या बनेगा ?

देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या विद्यमान है। बेरोजगारी में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार केवल सामान्य दर से रोजगार की व्यवस्था कर रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है और इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिये। बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को हल करने के लिये हमें ग्रामीण क्षेत्रों में साधन जुटाने चाहिये और वहां आर्थिक गतिविधियों को आरम्भ करना चाहिये। ऐसा करने से ही बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है।

मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। उद्योग सम्बन्धी कच्चे माल में यह वृद्धि 10-11 प्रतिशत है। मुद्रा स्फीति की इस प्रवृत्ति को बहुत पहले रोका जाना चाहिये था। असंतुलन को रोकने के लिये पहले ही कार्यवाही करनी चाहिये थी। मुद्रा सप्लाई के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप आज हमें मूल्यों में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है।

लघु उद्योगों के बारे में लाइसेंस समाप्त करने के लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। इससे पूंजी विनियोजन में सहायता मिलेगी और बेरोजगारी की समस्या के भी हल होने की सम्भावना है।

छोटे और बड़े उद्योगों को विदेशों से सहयोग प्राप्त करने की छूट देने के बारे में भी सरकार के रुख में परिवर्तन हुआ है। ऐसा विदित हुआ है कि सरकार विदेशी सहयोग के बारे में और ढील देने वाली है। सरकार की इस बारे में आलोचना की जायेगी लेकिन देश के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को इससे घबराना नहीं चाहिये।

सरकार द्वारा आसाम में 'पैकेज डील' आरम्भ करने की घोषणा का स्वागत है। सरकार इसको कब क्रियान्वित करेगी। सरकार तेल शोधन कारखाने को स्थापित करने और अशोधित तेल की क्षमता को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

आसाम में औद्योगिक विकास के लिये बड़ी लाइन का बिछाना आवश्यक है।

ब्रह्मपुत्र घाटी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ पर नियंत्रण करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष आसाम को 10 से 12 करोड़ रुपये की हानि होती है।

हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में सरकार को पूरी जानकारी है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है।

सरकार को मणिपुर की समस्या का भी शीघ्र समाधान करना चाहिए। हमें विशेष चिन्ता पूर्वी क्षेत्र के सीमावर्ती भागों में रहने वालों की है, वे लोग सन्तुष्ट रहने चाहिये जिससे सीमा पर शत्रु से लोहा लेने के लिये हमें बलवान तथा सन्तुष्ट व्यक्ति मिल सकें। दुर्भाग्य से आज भी चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नहीं हैं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार चीन और सोवियत रूस के झगड़े में हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री जी ने रूस का साथ दिया है। इस मामले में हम बेकार ही उलझते हैं। हमें तो तटस्थ रहना चाहिए।

अफ्रीकी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना भी नितांत आवश्यक है। विश्व शक्तियों ने एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चेबन्दी की हुई है, ऐसे वातावरण में उनके साथ मित्रता सम्भव नहीं है। हमारे मित्र तो नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश तथा अफ्रीकी देश ही हो सकते हैं। लम्बे समय से अफ्रीकी देशों का रवैया भारत के पक्ष में नहीं रहा है। इसका कारण क्या है। मेरे विचार से हमारे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में कुछ न कुछ कमी है इसीलिये उनमें क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। कीनिया, उगांडा तथा अन्य अफ्रीकी देशों के प्रति मेरे हृदय में बहुत प्रेम है। यदि हम उचित समय पर उचित कार्य करें तो मेरा विचार है कि क्षोभ कभी न उत्पन्न हो। अफ्रीकी देशों के प्रति हमारी नीति में सुधार की आवश्यकता है जिससे इन देशों के साथ सम्बन्धों में निकटता आ सके। इन शब्दों के साथ मैं श्री हनुमन्तय्या के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : यह बहुत विचित्र अनुभव है कि संसद में दिये गये अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक दोनों ही सरकार से सहमत नहीं हैं। उनकी आत्मा तथा हृदय इस अभिभाषण की परिसीमा से बाहर दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं हैं जो अभिभाषण में नहीं कही गई थीं। इस बात का मैं स्वागत करता हूं।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shir K. N. Tiwary in the Chair]

किन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि मेरे बहुत से राजनीतिक मित्र दिल से सरकार के साथ नहीं हैं किन्तु फिर भी वे यह समझते हैं कि सरकार में रहकर ही उनका हित हो सकता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार इसमें अशुद्धि हो सकती है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। इससे स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री के विचार कितने संकीर्ण हो गये हैं और आत्मकेन्द्रित होकर राष्ट्रीय समस्याओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति वह सोच ही नहीं सकती। पिछले वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना गांधी शताब्दी है। 100 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी के जन्म लेने पर सारी दुनियां की नजरें उन पर तथा सेवाग्राम पर केन्द्रित हो गईं। लन्दन में 8000 से अधिक ब्रिटेनवासियों ने प्रसिद्ध प्रिंस अल्बर्ट हाल में महात्मा गांधी को श्रद्धाजंली अर्पित की।

दूसरी किन्तु पहली के समान, महत्वपूर्ण घटना खान अब्दुल गफ्फार खां की भारत यात्रा थी। जहां कहीं भी वह गए लाखों व्यक्ति उनके दर्शन करने दौड़े आए और गाढ़े पसीने से कमाए हुए 30 लाख से भी अधिक रुपये उनके चरणों पर अर्पित किये। गांधी युग की इस महान विभूति को इतना सम्मान प्राप्त हुआ।

लेकिन इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री के कारण देशवासियों की अन्तरात्मा के सम्बन्ध में भारी हानि भी उठानी पड़ी है, देश की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। नरेशों की निजी थैलियों की समस्या को भी उचित ढंग से सुलझाना चाहिए। वे चाहे समाप्त कर दी जाएं लेकिन उसके लिये भी अच्छा ढंग अपनाया जाना चाहिए। आप अपने बर्ताव से, बातचीत तथा सद्-भावना से उन्हें मनाने का प्रयत्न कर।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में तथा कुछ मास पूर्व विज्ञान भवन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के सम्मेलन में संसार के सभी देशों ने महात्मा गांधी तथा उनके अहिंसा, सत्य और मानवता के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान प्रकट किया है। क्या मैं आशा करूं कि प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री विश्व के लोगों के प्रति शीघ्र ही आभार प्रकट करेंगे ? क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि 'गांधी दर्शन' को एक स्थाई संस्थान बना दिया जायेगा और सभी राज्यों में इसी प्रकार की संस्थाएं स्थापित की जाएंगी ? डा० राम सुभग सिंह के इस विचार से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि 'इण्डिया गेट' की बाहर वाली छतरी में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित की जाए। हाल ही के चीन सोवियत रूस झगड़े में भारत क्या रुख अपनाएगा, इस सम्बन्ध में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। हम चाहते हैं कि विश्व को चीन के विस्तारवादी इरादों

की पूरी जानकारी प्राप्त हो। 1949 से तिब्बत पर कब्जा, 1962 में भारत पर आक्रमण और हाल ही में सोवियत रूस की सीमाओं पर किये गये झगड़े से चीन की उस विस्तारवादी नीति का स्पष्ट पता चल जाता है जो वह एशिया में अपने सभी पड़ोसियों के विरुद्ध अपनाना चाहता है। रूस तथा अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक साज सामान देने के बारे में जो निर्णय किया गया है, अभिभाषण में उसके सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा गया है।

यह बात उचित है कि अणु प्रसार निषेध संधि को आंख मीच कर समर्थन न दिया जाए किन्तु यह अधिक उचित होगा यदि हम आस्ट्रेलिया का अनुसरण कर भारत के विशेष हित को ध्यान में रखकर कुछ शर्तों के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर कर दें।

अभिभाषण में कहा गया है कि चीन के साथ समझौता सम्भव है। यह आशा करना कितना निरर्थक है कि चीन हमारी क्षेत्रीय सीमाओं का सम्मान करेगा। श्री जवाहर लाल नेहरू ने 22 नवम्बर, 1962 को संसद में प्रतिज्ञा की थी कि वह चीन द्वारा अवैध रूप से अधिकृत क्षत्र को अवश्य खाली कराएंगे। सरकार ने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए हैं ? कुछ व्यक्ति खुल्लमखुल्ला माओ तथा नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं और यह कितने शर्म की बात है कि सरकार इन्हीं तत्वों के साथ गठबंधन कर रही है।

अभिभाषण में कहा गया है कि वियतनाम से विदेशी शक्तियों को हट जाना चाहिये। हम सभी इस बात के पक्ष में हैं। क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन होने के नाते लाओस को सहायता देने के लिए सभी देशों को सम्मेलन बुलाने के लिये पहल करेंगे ? माननीय मंत्री यह भूल जाते हैं कि वह 55 करोड़ व्यक्तियों के इस महान राष्ट्र के वैदेशिक-कार्य मंत्री हैं, केवल प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति नही हैं।

अब समय आ गया है जबकि सरकार को चाहिए कि वह स्वेच्छापूर्वक सभी लोकतंत्रात्मक दलों की राष्ट्रीय लोकतंत्रात्मक संघ बनाने के लिए आमंत्रित करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे। यह नाम इस लिए लिया है जिससे इस संघ में साम्यवादियों को सम्मिलित न किया जाए तथा सभी दल सामाजिक न्याय के प्रति लिए गए संकल्प के सम्बन्ध में कार्य करें और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कर जनता को अच्छा, ईमानदार, दक्ष तथा प्रगतिशील शासन प्रदान करें और उनके रुपए के मूल्य को मजबूत तथा सुरक्षित रख सकें। स्वतन्त्र पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारणी की बैठक में इसी आशय का संकल्प पारित किया है। (**अन्तर्बाधा**) सुबह मेरे मित्र श्री हनुमन्तय्या धीमे से यह सुझाव दे रहे थे कि सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह न्यायालयों के नाम आदेश जारी कर सके और उसे अधिक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार हो जिससे वह अपना राजनीतिक निर्णय उनसे मनवा सके आदि-आदि। यहां मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता।

श्री हनुमन्तय्या : महोदय, मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मैंने मंत्री महोदय को कभी भी ऐसा सुझाव नहीं दिया है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए जिसमें नियुक्तियां करते समय प्रतिपक्ष की सहमति भी प्राप्ति की जानी चाहिए।

श्री रंगा : यदि वह जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के व्यय को कम करने के लिए कहते हैं तो मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन प्रधान मंत्री, श्री खाडिलकर और कई अन्य होने वाले मंत्रियों ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती दीजिये और उच्चतम न्यायालय के अधिकार संसद की शक्तियों की विरोधी शक्ति के रूप में समझना चाहिए । मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं ।

मैं 1949 से ही इस बात पर जोर दे रहा हूं कि प्रशान्त महासागर में शान्ति रखने, सहयोग की भावना में वृद्धि करने और साम्यवादी चीन के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एशिया तथा आस्ट्रेलिया महाद्वीपों के सभी देशों में समझौता करने के लिए भारत को पहल करनी चाहिए । मेरा यह विचार कितना संगत था इस बात का पता कोरिया, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैंड, मलएशिया, इण्डोनेशिया और बर्मा तथा 1962 में स्वयं हमारी मातृभूमि के विरुद्ध चीन द्वारा की गई भड़काने वाली कार्यवाहियों से लगता है।

राजाजी निरन्तर कह रहे हैं कि सरकार को टोकियो-दिल्ली सन्धि करने के लिए प्रयास करना चाहिए । उसी के आधार पर प्रशान्त तथा हिन्द महासागरों के सभी लोकतांत्रिक देशों में इसी प्रकार की संधियां तथा करार किए जाने चाहिए । 1967 में उस समय के वैदेशिक-कार्य मंत्री श्री चागला ने झिझकते हुए इस दिशा में निर्देश किया था किन्तु तब से भारत सरकार ने इस बारे में कोई भी उपाय नहीं किया है । परमाणु शक्ति के क्षेत्र में चीन इतना शक्तिशाली हो गया है और अपना भौगोलिक विस्तार करने के लिए इतना अधिक उतावला हो रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश भी उसके साथ मित्रता करने के लिए उत्सुक हो रहा है और विश्व शान्ति की सुरक्षा के अपने असफल प्रयास में वह चीन रूस समझौते की बात कर रहा है । चीन की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को देखते हुए क्या यह आवश्यक नहीं हो गया है कि इस क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत करने के लिए भारत सक्रियरूप से प्रयत्न करे । अतः मैं आशा करता हूं कि यह सरकार यदि देश को नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना चाहती है तो इस दिशा मे कार्य करेगी ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह आभास होता है कि बहुत अधिक औद्योगिक प्रगति हुई है । हिन्दुस्तान स्टील में हमने 1000 करोड़ रुपए लगा रखा है किन्तु फिर भी उसमें हमें प्रतिवर्ष 38 करोड़ रुपया का घाटा हो रहा है । जबकि निजी क्षेत्र के उद्योगों से सरकार आग्रह करती है कि वे 6 प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं कमा सकते । इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने 24 प्रतिशत लाभ अर्जित किया है । भारत इलैक्ट्रोनिक्स ने 23 प्रतिशत और हिन्दुस्तान एंटी बायटिक्स ने 15 प्रतिशत लाभ अर्जित किया है । परिवहन उपकरण, रेलवे उपकरण, धातु उत्पाद, जूते आदि उद्योगों और उर्वरक उद्योग ने 1956 से कोई प्रगति नहीं की है ।

मीठापुर परियोजना का सरकार ने क्या किया ? सरकार ने उसे खम्बात की खाड़ी में भेज दिया । कुछ ही वर्षों में यह लाखों टन उर्वरक का उत्पादन कर सकती थी । फिर भी सरकार ने इसकी उपेक्षा की ।

देश में लाखों हथकरघा बुनकर बेकार हैं फिर भी सरकार कहती है औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि बोकारो इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है जबकि न तो देश को और न देश के बाहर ही इसके इस्पात की कोई मांग है। इसका कारण केवल यही है कि हरिद्वार, रांची और भोपाल में रूस की सहायता से जो भारी मशीनें बनाई जा रही हैं, उनकी और कहीं खपत नहीं है। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है। हैदराबाद में एल्यूमीनियम के कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है। कोयम्बत्तूर में पम्पिग सेट बनाने वाले कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है। भिलाई इस्पात कारखाने के स्टोर में 1,50,000 टन लौह पिण्ड पड़े हैं और फिर भी उनका वितरण नहीं किया जा रहा है।

कपड़ा मिलों को सरकार सस्ता और अच्छा कपड़ा बनाने को कहती है। इसका भार कपड़ा मिलों पर डालने की बजाय सरकार उन्हें उत्पादन के लिये राजसहायता क्यों नहीं देती है ?

गन्ना उत्पादक बड़ी कठिनाई में हैं। उन्हें मद्रास और अन्य राज्यों में 60 या 70 रुपये मूल्य भी नहीं मिलता है। चीनी मिलों के पास भारी स्टाक जमा हो गया है और सरकार उनका माल उठा नहीं रही है। ऐसा होते हुये गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य कैसे मिल सकता है ?

सरकार कृषि क्रांति और भूमि सुधार की बात करती है। बिहार राज्य में लाखों एकड़ भूमि जो भूमिहीन मजदूरों में बांटने के लिये सरकार ने अर्जित की थी, वह अब भी भूतपूर्व भू-स्वामियों के कब्जे में है। उसे गरीब किसानों में बांटा नहीं गया है। अतः जमींदारी समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियमों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में श्री चरण सिंह भूमि की अधिकतम सीमा को और घटाते जा रहे हैं। जो सीमा पहले रखी गई थी, उसमें भेदभाव बरता गया था। सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक आय पर इसको लागू नहीं किया गया।

जहां तक संविधान में संशोधन करने की बात है, संसद ऐसा कर सकती है। किन्तु मूल अधिकारों के सम्बन्ध में जो अध्याय है उसमें संशोधन करने या उसको संविधान से निकालने के लिये संसद को संयम से काम लेना चाहिये। उसे अपने ऊपर कुछ रोक लगानी चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही एक मुकदमे में कह चुकी है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। हम सभी यहां आने से पूर्व संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं। अतः संविधान की निन्दा करना कहां तक उचित है ?

पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने विधि तथा व्यवस्था के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध बन्ध आयोजित किया। उस समय गृह मंत्री को उसे बरखास्त करने का साहस नहीं हुआ किन्तु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य सरकारों को कमजोर करने के लिये राज्यपालों को इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते हैं। वह बरायेनाम गृह मंत्री हैं। वह केवल इन्दिराजी के गृह मंत्री है, सारे देश के गृह मंत्री नहीं।

पश्चिमी बंगाल में विधि तथा व्यवस्था नाम तक को नहीं है। वहां के मुख्य मंत्री साम्यवादी दलों के कैदी हैं। इसी प्रकार से प्रधान मंत्री भी एक कैदी हैं, यद्यपि इस देश के लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। इस सरकार के दिन अब गिने जा रहे हैं। यदि लोकतन्त्र का मृत्यु नाच इस देश में इसी प्रकार होता रहा तो हम सब के सब इन साम्यवादी मित्रों द्वारा मौत के घाट उतार दिये जायेंगे।

श्री अनन्त राव पाटिल (अहमद नगर) : सभापति महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का उल्लेख किया है। चण्डीगढ़ और फाजिल्का के बारे में किया गया निर्णय बिल्कुल उचित है। किन्तु खेद की बात है कि देश के अन्य भागों में जो सीमा सम्बन्धी विवाद हैं, उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

जब श्री मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बेलगांव और कुछ साथ लगते क्षेत्रों को बम्बई राज्य के विभाजन के समय मैसूर को दे दिया था। पिछले 14 वर्षों से बेलगांव और साथ लगते क्षेत्रों के लोग सम्बन्धित राज्यों और केन्द्र से न्याय की मांग करते रहे हैं किन्तु उनके साथ न्याय नहीं किया गया। अब उनके सब्र का प्याला लबरेज हो गया है।

मैसूर राज्य के मेरे मित्रों का यह कहना गलत है कि चूंकि महाजन आयोग की नियुक्ति महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर की गई थी, अतः इसकी सिफारिशों को अक्षरशः मान लिया जाना चाहिये और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

महाराष्ट्र के साथ न्याय करने के लिये प्रधान मंत्री को उसी साहस से काम लेना चाहिये, जिससे उन्होंने शाह आयोग की सिफारिशों को ताक में रखकर चण्डीगढ़ विवाद का एक सही हल निकाला है।

हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र तथा मैसूर के बीच सीमा को लेकर जो विवाद उठ खड़े हुए हैं, उनको पाटस्कर सूत्र में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर हल किया जाना चाहिये। ग्राम को यूनिट माना जाना चाहिये और किसी ग्राम में कन्नड़ भाषा-भाषी लोगों तथा मराठी भाषा-भाषी लोगों की बहुसंख्या तथा उसकी भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिये। बेलगांव में 47 प्रतिशत लोग मराठी भाषा बोलते हैं, इसलिये इसे महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिये। यदि कड़वार नगर में कन्नड़ भाषा-भाषी लोगों की बहुसंख्या है तो उसे मैसूर में ही मिला दिया जाना चाहिये। मेरे विचार में सभी राज्यों के सीमा-विवादों को हल करने के लिये एक सीमा आयोग बनाया जाना चाहिये।

श्री हनुमन्तय्या का यह कहना उनको शोभा नहीं देता है कि महाराष्ट्र समस्त भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहेगा जिसका अर्थ यह हुआ कि महाराष्ट्र एक विस्तारवादी है। इसके विपरीत मुझे इसका गर्व है कि देश पर जब भी कोई आपत्ति आती रही है, तभी महाराष्ट्र इसकी सहायता करने के लिये सदा आगे आता रहा है। इसलिये ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है।

डा० सुशीला नैयर (झाँसी) : खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महात्मा गांधी अथवा कस्तूरबा का और गांधी शताब्दी समारोह से सम्बन्धित कार्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि मुझे एक घंटे के लिये तानाशाह बना दिया जाये तो मेरा पहला काम किसी को प्रतिकर दिये बिना शराब की दुकानों को बन्द करना होगा। परन्तु दुःख है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस सरकार ने यह आवश्यक ही नहीं समझा है कि राष्ट्रपतिजी इन महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ कहें।

एक विख्यात फ्रांसीसी पत्रिका, "एल्ले" के एक प्रतिनिधि के साथ बातचीत के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 6 अक्तूबर, 1969 को प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा बताया जाता है कि यदि हम महात्मा गांधी के मतानुसार कार्य करते तो यह मानना पड़ेगा कि हम सदा ग्रामों में ही रहते, बैलगाड़ियों में ही यात्रा करते और आधुनिक जीवन की सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते। यदि हम यह मानने के लिये तैयार हो जायें तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें उद्योगों की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि हम रेलगाड़ियों, कारों, विमानों तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि क्या इन्हें बाहर से खरीदा जाये अथवा इनका यहीं पर निर्माण किया जाये। इस सम्बन्ध में, मैं उनका ध्यान हाल ही में नई दिल्ली में हुई विचारगोष्ठी की ओर जिसमें विश्व भर के सुविख्यात अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया था, दिलाना चाहती हूँ जिसने यह निष्कर्ष निकाला है कि गाँधीजी के सिद्धान्तों की आज भी विश्व भर में आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मंत्री तथा उनके समर्थकों का ध्यान नई कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री जगजीवन राम द्वारा बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में कहे गये शब्दों की ओर भी दिलाना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा कहा बताया जाता है कि यह कहना गलत होगा कि महात्मा गांधी मशीनीकरण अथवा उद्योगीकरण के विरुद्ध थे। वह तो केवल यह चाहते थे कि मशीनों द्वारा लोगों का शोषण नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु खेद है कि प्रधान मंत्री ने गांधी जी और उनकी विचारधारा की खिल्ली उड़ाई है और उन्हें प्रतिक्रियावादी बताया है। स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री ने महात्मा गाँधी के प्रकाशनों को पढ़ने का भी कष्ट नहीं किया है। क्योंकि यदि उन्होंने उन्हें समझने का प्रयत्न किया होता तो वह यह कभी न कहतीं। समाजवाद की खोखली बातें करने की बजाय समाजवाद को व्यवहारिक रूप से अपनाने का यदि प्रयत्न किया जाये तो बहुत ही अच्छा होगा।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु देखना यह है कि इसका परिणाम क्या निकला है। कहने को तो यह कहा जाता रहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् तांगेवालों, रिक्शा वालों, किसानों तथा अन्य लोगों को आसानी से ऋण मिल जाया करेगा। परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। बैंक कर्मचारियों की परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि यदि वे किसी को ऋण देते हैं जो बाद में वसूल नहीं हो पाता है तो उसके लिये उन्हें जिम्मेवार ठहराया जायेगा और यदि वे ऋण नहीं देते हैं तो वे वैसे लोगों में बदनाम होते हैं। अतः सरकार को चाहिये कि वह ये सभी बातें जनता को अच्छी तरह समझाये ताकि जो अनावश्यक भ्रम उत्पन्न हो गये हैं, वे दूर हो जायें।

जहां तक निजी थैलियों का सम्बन्ध है, इसमें दो रायें नहीं हैं कि इन्हें समाप्त कर दिया जाय। परन्तु इन्हें इस प्रकार शांतिपूर्वक ढंग से समाप्त किया जाना चाहिये कि इसमें कोई कटुता न फैले। इस सम्बन्ध में सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने की बजाय शांतिपूर्ण वातावरण में प्रेमपूर्वक बातचीत द्वारा कोई हल ढूंढ निकालना चाहिये क्योंकि देश के एकीकरण के मामले में उस समय राजाओं ने जो योगदान दिया था उसको भुलाया नहीं जा सकता है।

सामान्य बीमे के साथ-साथ उत्पादन के सभी साधनों का इस शर्त पर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये कि उनका संचालन कुशल ढंग से हो। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को गत वर्ष 58 करोड़ रुपये की और इस वर्ष 38 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसकी तुलना में राजाओं को निजी थैलियों के रूप में प्रतिवर्ष केवल 4 करोड़ रुपये ही देने पड़ते हैं। अतः सरकार को निजी थैलियों के सम्बन्ध में कोई ऐसा हल निकालना चाहिये जिससे श्रेय भी मिले और लोगों की समृद्धि भी बढ़े।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में अहमदाबाद का तो उल्लेख किया गया है परन्तु जगदलपुर, बनारस तथा अन्य उन स्थानों का, जहां साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं, उल्लेख नहीं है। पश्चिमी बंगाल में विद्यमान अराजकता का भी कोई उल्लेख नहीं है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कच्छ और सौराष्ट्र का तो उल्लेख है परन्तु बनासकंठा जहां पर सबसे अधिक सूखे का कुप्रभाव पड़ा है, उसका उल्लेख नहीं है। स्पष्ट है कि राष्ट्रपति से ऐसी बातें कहलवाने का सरकार का राजनीतिक उद्देश्य है। राष्ट्रपति को सत्ताधारी दल की कठपुतली नहीं बनना चाहिये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में न ही देश में राजनीतिक स्थिरता और न ही आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों की समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख है। इसी प्रकार हरिजनों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा को सुधारने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की स्थिति बहुत बिगड़ गई है। वहां पर छोटी जोतों पर भू-राजस्व पुनः लगा दिया गया है। शराब की दुकानें खोल कर वहां की सरकार की आय तो बढ़ गई है परन्तु इससे गरीब लोगों की दशा सुधरने की बजाय और बिगड़ रही है। क्या यही है वह समाजवाद जो सरकार लाना चाहती है ?

इन परिस्थितियों में, मुझे यह खेद से कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत ही निराशाजनक है।

**दिल्ली पुलिस
DELHI POLICE

सभापति महोदय : अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेते हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order. This Discussion was to be taken up day before yesterday but it was postponed for want of time and hence there

---

** आधे घंटे की चर्चा
Half-an-hour Discussion.

was no need to hold a new ballot in this respect. But I have observed from the Notice Board, that a new ballot has been held about which I had no information and thus my name has not been included in the ballot held to-day. It is highly objectionable. All the old names included in the previous ballot should also be clubbed with the new names included in the ballot held to-day.

Mr. Chairman : Shri Basu may start his speech. I will give my decision later on.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आज जब हम निर्धन लोगों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य निम्न आय वर्ग के लोगों को अधिक सुविधायें देने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने की बातें करते हैं और इसके साथ साथ जब इस वर्ष सरकार गांधी शताब्दी मना रही है तो यह बहुत ही उचित हो जाता है कि हम इन वचनों तथा आश्वासनों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करके दिखावें।

अप्रैल, 1967, में पुलिस के 79 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। जिनके पास सरकारी मकान थे उन्हें इन मकानों को खाली करने के लिये बाध्य कर दिया गया था। उन्हें कोई जीवन-निर्वाह भत्ता नहीं दिया जाता है। इन परेशानियों के अतिरिक्त उन्हें न केवल अपने परिवारों का पालन-पोषण ही करना पड़ता है परन्तु वकीलों को फीसें भी देनी पड़ रही हैं। इनमें अधिकांश कर्मचारी तो अनुसूचित जातियों के हैं। लगभग दिल्ली पुलिस के 400 कर्मचारियों की नौकरी समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 65 कर्मचारियों को जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद इसलिये नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने 1.8.1967 को अपने सम्बन्ध में हुई किंग्जवे कैम्प में तथा 15.4.1968 तथा 2.5.1968 को नई दिल्ली नगर पालिका हाल में हुई सार्वजनिक बैठकों में भाग लिया था और वे 16.4.1968 से 2.5.1968 तक नार्थ ब्लाक में भूख-हड़ताल करने वाले अपने नेताओं को देखने जाते रहे थे। छः कर्मचारियों को आन्दोलन में भाग लेने वाले दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमों के खर्च के लिये धन इकट्ठा करने पर नौकरी से निकाल दिया गया। 14 पुलिस कर्मचारियों को इसलिये नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अधूरी वर्दी लेने से इनकार कर दिया था, यद्यपि यह आदेशों के प्रतिकूल था। इसी प्रकार 4 कर्मचारियों को दुर्व्यवहार तथा आदेशों का पालन न करने पर नौकरी से निकाल दिया गया।

दिल्ली सशस्त्र पुलिस, दिल्ली के सिपाही, श्री गुरदित्ता मल तथा साऊथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के सिपाही, श्री जस्सू राम को जिनका मामला न्यायाधीन था, सेवा से अनिवार्य रूप से इसलिये निवृत्त कर दिया गया क्योंकि उनके सेवा में तीस वर्ष पूरे हो गये थे यद्यपि उनकी आयु अभी 55 वर्ष की नहीं हुई थी। इस प्रकार सेवा से निवृत करने के ऐसे मामलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही अवैध घोषित कर दिया है। परन्तु इन गरीब लोगों के पास पैसे हों तो वे न्यायालय में जायें।

8 महिला सिपाहियों को जेल भेज दिया गया था, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है। एक और महिला सिपाही को इसलिये नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वह 72 घंटे के लिये अनशन कर रहे श्री भगवान दास शास्त्री को देखने गई थीं। इन सभी महिला सिपाहियों पर मुकदमा कर रखा है।

एक और सिपाही, श्री कंवर पाल सिंह की मृत्यु हो गई क्योंकि जेल से जमानत पर छूटने के बाद वह आर्थिक रूप से इस स्थिति का सामना न कर सका।

लगभग 800 निलम्बित कर्मचारियों को दिल्ली में अथवा दिल्ली से बाहर रहने का अपना प्रबन्ध करने के लिये कह दिया गया है। इनको न्यायालयों में उपस्थित होने के लिये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, टिहरी गढ़वाल आदि में अपने-अपने स्थानों से आना पड़ता है और इस पर उनका काफी खर्च हो रहा है।

15 अप्रैल, 1969 को हिरासत में लिये गये पुलिस कर्मचारियों से भरा हुआ एक ट्रक विजय चौक पर उलट गया था और उसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा दल, जो कि उस ट्रक का पहरा दे रहा था, का एक सिपाही तथा दिल्ली पुलिस का एक सिपाही मारा गया था। दिल्ली पुलिस के कई अन्य कर्मचारी जो कि जेरे हिरासत थे, जख्मी हो गये थे और उन्हें कई दिन तक विलिंगडन अस्पताल तथा उसके बाद तिहाड़ जेल अस्पताल में रखा गया। सरकार ने यह घोषणा की थी कि इस दुर्घटना में जो मारे गये हैं उनके परिवारों को तथा जो जख्मी हुये हैं उनको 500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। परन्तु दिल्ली पुलिस के उन जख्मी कर्मचारियों में से किसी को भी कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

अप्रैल, 1967 में जब कि दिल्ली पुलिस के 1000 से अधिक कर्मचारी जेल में थे, यह घोषणा की गई थी कि उनके परिवारों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। समाचार-पत्रों में यह भी घोषणा की गई थी कि इस प्रयोजन के लिये 50,000 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। परंतु अभी तक किसी भी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है और इसके विपरीत वह सारा धन उन व्यक्तियों को इनाम के तौर पर दिया गया है जिन्होंने दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ को नष्ट-भ्रष्ट करने में पुलिस महानिरीक्षक की सहायता की थी।

दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अनुशासन में विश्वास करते हैं तथा वह अनुशासन में रहना चाहते हैं। वे सरकार के प्रति वफादार हैं। दिल्ली पुलिस में जो असंतोष की भावना फैली उसका कारण यह था कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उनकी सेवा की शर्तें अच्छी नहीं हैं। इस बात को खोसला आयोग के प्रतिवेदन में भी स्वीकार किया गया है। जहां तक दिल्ली पुलिस में अनुशासन का सम्बन्ध है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी बहुत अनुशासित हैं। 15 अप्रैल, 1967 को दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को हिसारत में लिये हुये सीमा सुरक्षा दल का जो ट्रक उलट गया था, और उसमें सीमा सुरक्षा दल का जो सन्तरी मारा गया था, उसकी राइफल और गोलियां आदि दिल्ली पुलिस के एक हवलदार ने संभाल कर रखी थीं। और बाद में उसने उन्हें सीमा सुरक्षा दल के एक अधिकारी को, जो कुछ समय बाद वहां पहुंचा था, सौंप दिया था। इससे सिद्ध होता है कि वे सरकार के प्रति कितने वफादार हैं।

अन्त में मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे साथ है कि (1) पुलिस वालों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे मामलों को वापस लिया जाये, (2) बर्खास्त किये गये अथवा नौकरी से निकाले गये पुलिस कर्मचारियों को पुनः नौकरी में लिया जाये।

(3) खोसला आयोग की रिपोर्ट को, विशेषतया वेतन तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी उसकी सिफारिशों को लागू किया जाये और (4) दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ को उसके संविधान के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी जाये । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ बेरहमी का सलूक नहीं किया जाना चाहिये तथा उन्हें सरकार को अपने परिवार के सदस्यों के समान समझना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Before asking any question from the Government, I want to request my Hon. friends on opposition benches that they should give support to this good cause. Today the Government is in minority and it cannot remain in power even for a second without the support from the other side. So they should exert their influence in compelling the Government to do certain good things. Today the Government is talking about new socialism. So in this age of new socialism, injustice should not be done to the poor and hard working class. I would request the Home Minister that the dismissed/terminated/suspended Delhi Police personnel be taken back in service. The court cases against them should be withdrawn forth with.

Besides, I may add that I have been told to-day itself in reply to a question that in Railways alone 1400 workers are facing prosecution and the services of 45000 railway employees have been terminated. Delhi Police employees, Railway employees, Defence employees and all other employees are Government servants. The Government should give sympathetic treatment to these employees and they should be pardoned.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन घटनाओं के कारण दिल्ली पुलिस का तथाकथित आन्दोलन हुआ, सरकार उन घटनाओं का सही अनुमान लगाने में विफल रही तथा सरकार के सूचना के स्रोत ऐसे थे जिससे उन्हें सही जानकारी न मिल सकी और वह खामखाह जरूरत से ज्यादा आतंकित हो गई । दिल्ली पुलिस का विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं था । पुलिस कर्मचारी तो केवल यह चाहते थे कि उन्हें भी मान अधिकार दिये जायें । खोसला आयोग के प्रतिवेदन से यह बात स्पष्ट हो जाती है । खोसला आयोग ने लिखा है कि दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के पास उस कार्यवाही के सिवाय जो उन्हें करनी पड़ी और कोई विकल्प नहीं था । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय तथा उनके वरिष्ठ सहयोगी हमें आश्वासन देंगे कि वे इस समस्या पर नये सिरे से विचार करेंगे और पुलिस कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करेंगे तथा उनके प्रति न्याय करेंगे । हम दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हम समझते हैं कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उनका समर्थन करने में हमें कोई हिचकचाहट हो । हम भी नगर की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं । क्या मंत्री महोदय हमें विश्वास दिलायेंगे कि इस मामले पर नये सिरे से विचार किया जायेगा और दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त किया जायेगा ?

श्री स० कुन्डू (बालासौर) : हमने इस मामले पर यहां कई बार चर्चा की है । अत: मैं फिर उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं । दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने परिस्थितियों के वशीभूत होकर गृह-कार्य मंत्री के समक्ष कुछ मांगें रखी थीं । खोसला आयोग ने यह स्वीकार किया है कि उनकी मांगें उचित थीं । खोसला आयोग की सिफारिशों को आंशिक रूप से क्रियान्वित भी किया गया है । इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उनकी मांगें उचित थीं । फिर सरकार

यह क्यों कहती है कि वे विद्रोह कर रहे थे ? उन्हें तंग किया गया है तथा वे कठिनाई में हैं । उनके परिवार बहुत कष्ट उठा रहे हैं । उनके लिये यह सजा नहीं तो और क्या है। इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह उनके मामले पर नये सिरे से तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । मंत्री महोदय को नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और उनका दृष्टिकोण वह नहीं होना चाहिये जो आई० सी० एस० अधिकारियों तथा ब्रिटिश साम्राज्य-वादियों का हुआ करता था । उन्हें इस सभा में इसी समय घोषणा करनी चाहिये कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : This question is a very important one and it needs careful consideration. The police personnel are mostly poor people and most of them belong to backward classes. They are also not highly educated. Moreover, their wages are too meagre in comparison to their hard duties and that is why they wanted to form a union so that their grievances may reach the Government. If the Government is not able to solve their difficulties then I would like to say that this Government has no right to stay in power. I had a discussion with the Home Minister in this regard and I would like to know what had been the result of that discussion and what are the views of the Government in this regard ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : On a point of order, Sir. The Khosla Commission was appointed by Government and the Khosla Commission has conceded that the policemen have the right to form association. They wanted to have a Union and nothing else. Then how can they be penalised ? It is the fundamental right of every police man and they were demanding their right. How can they be deprived of their fundamental rights ?

Shri Sheo Narain (Basti) : On a point of order, Sir. The fundamental rights are enshrined in the Constitution. According to article 19 of the Constitution every Indian has a right to form association. Then why the policemen are deprived of this fundamental right ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Mr. Chairman, Sir, I would like to appeal to the Hon. Members who have participated in this debate. (**Interruption**)..

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Sir, you should listen to us also. You always ignore us and give opportunity to others. Last year, I staged a dharna for 72 hours before the Parliament House in support of the policemen. The Government have made a prestige issue. I would like to say to the Hon. Minister that it is the need of the socialism that a committee of Members of Parliament be formed to go into the question and the Government should act according to the report of that committee.

I would appeal to the Hon. Members that they should not connect the recommendations of Khosla Commission with the indiscipline which was seen in Delhi Police. If the policemen had some real difficulties, there were other constitutional ways before them to put their grievances before the Government. They could have an easy approach to Government through Parliament or through the elected representatives and there were so many other constitutional ways to approach the Government. But indiscipline can not be tolerated in police which is a paramilitary force. If indiscipline is allowed there, then how the administration can function. I would like the Hon. Members to give full thought to this point. (**Interruption**)..

श्री म० ला० सोंधी : खोसला आयोग ने कहा है कि सरकार ने पुलिस के साथ बुरा व्यवहार किया है । **(व्यवधान)**

श्री स० कुण्डू : हम विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं ।

इसके पश्चात् श्री स० कुण्डू तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये
(Shri S. Kundu and some other Members then left the House)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह हमें कोई नई बात बता रहे हैं ।

सभापति महोदय : आप उनकी बात सुनिये ।

श्री नम्बियार खड़े हुये ।

सभापति महोदय : मैं आपको एक प्रश्न की अनुमति दे दूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह आज कोई नई बात कह रहे हैं ? हम उनके उपदेश सुनने को यहां नहीं आये हैं ।

इसके पश्चात् श्री ज्योतिर्मय बसु सभा भवन से बाहर चले गये
(Shri Jyotirmoy Basu then left the House)

Shri Vidya Charan Shukla : The statement of the Hon. Members that we have not considered this question is not correct. We have given due consideration to this question. It is not correct to say that we are guided by bureaucrats. The decision in this regard has been taken by the Government at Ministers' level and it is wrong to say that the decision has been taken at Secretaries' level.

The way in which attempts are made to raise this question again and again shows that the persons who have committed this mistake are still adament. They are not repenting over the mistake they have committed. So unless they repent over their mistake, how Government can change their decision.

The question of poverty and socialism are raised here but it has nothing to do with them. There is no question of financial considerations. The Hon. Members, if they examine the whole question in proper perspective, would also reach the same conclusion which the Government have arrived at. The Hon. Members should bear in mind that there is no use making hue and cry over the issue as it will not help taking the decision, but will complicate the matter further. So I will again appeal to them that let the cases be proceeded with.

So far as the policemen facing dismissal and prosecutions are concerned, we wish an early disposal of their cases by the court. But so long as the cases are pending in the court, we cannot take any decision. So there is no use exerting any pressure on the Government in this connection.

श्री नम्बियार : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि सरकार इस समूचे प्रश्न पर फिर से विचार करने को तैयार है बशर्ते कि पुलिस कर्मचारी अपने रवैये को बदलें, इसलिये यदि पुलिस कर्मचारियों से माफी मंगवाई जाये, तो क्या उनके मामले वापस ले लिये जायेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह नहीं कहा कि यदि पुलिस वाले माफी मांग लें, तो हम समूचे प्रश्न का पुनरीक्षण करेंगे। जब तक इन मामलों पर अदालत द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता, हम इस मामले पर पुनर्विचार नहीं कर सकते। यदि उन्हें दोषी नहीं पाया जाता है तो तदनुसार कार्यवाही की जायेगी और यदि उन्ह दोषी पाया गया, तब हम विचार करगे कि हमें क्या करना है। वर्तमान अवस्था में इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 26 फरवरी, 1970/7 फाल्गुन, 1891 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 26, 1970/Phalguna 7, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 9-5-70—340